सत्यमेव जयते

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

वार्षिक रिपोर्ट
2019-20

आधार

मेरा आधार, मेरी पहचान

वार्षिक रिपोर्ट 2019-20

भाविपप्रा

सत्यमेव जयते

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
(भाविपप्रा)

वार्षिक रिपोर्ट
2019-20

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
बंगला साहिब रोड, गोल मार्केट
नई दिल्ली – 110001

अस्वीकरण: प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी लिखित वार्षिक रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो, अंग्रेजी लिखित रिपोर्ट ही मान्य होगी।

भाविपप्रा © 2020

यह रिपोर्ट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है।

अनुप्रेषण पत्र

माननीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के माध्यम से भारत सरकार के लिए अनुप्रेषित

मुझे वर्ष 2019-20 के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की इस वार्षिक रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अग्रेषित करने का गौरव प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट में आधार (वित्तीय और अन्य प्रसुविधाओं, लाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 27 के उपबंधों के अंतर्गत भारत सरकार को प्रस्तुत की जाने वाली सूचना को शामिल किया गया है।

इस रिपोर्ट में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का 'अवलोकन' और इसे आधार अधिनियम, 2016 के द्वारा समनुदेशित प्रकार्य समाविष्ट हैं। यूआईडीएआई का लेखा लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा विवरण भी इस रिपोर्ट का भाग है।

पंकज कुमार

(पंकज कुमार)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संदेश

सदस्य
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

मुझे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। आधार, और उसके आधार अधिनियम, की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के बहुमत के फैसले उपरांत, मुख्य उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों को लागू करना था। हमने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और निर्देशों को लागू करने के लिए अपने श्रेष्ठ प्रयास किए और आधार अधिनियम, 2016 में, आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 14) के जरिए संशोधन किया, जो अन्य बातों के साथ-साथ राज्य के समेकित कोष से हुए व्यय, या उसके अंश के रूप में प्राप्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सहायिकियों, हितलाभों और सेवाओं के लिए आधार अधिप्रमाणन के उपयोग की सुविधा प्रदान करता है।

हमने आधार को अत्यंत सुरक्षा और संरक्षण के साथ निवासियों और आधार धारकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं के बीच आधार को अधिक जन-केंद्रित और प्रयोक्ता अनुकूल बनाने के लिए अपने प्रयासों को समेकित किया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा आधार सेवा केंद्र, पहले अपाइंटमेंट बुक करना, आदेश आधार पुनर्मुद्रण, एसएमएस पर वर्चुअल पहचान (वीआईडी), चैटबोट, एम-आधार ऐप्प जैसी विभिन्न सुविधाएं सफलतापूर्वक प्रदान की गई हैं और आधार धारक इनसे सार्वजनिक रूप से परिचित हो गये हैं।

अपने अस्तित्व में आने के लगभग एक दशक के दौरान, अभी तक आधार ने विशिष्ट डिजीटल पहचान के साथ 125.79 करोड़ से अधिक निवासियों को सशक्त बनाया है। जनसंख्या के अधिकांश भाग से जुड़े होने के साथ, आधार, भारत में पहचान के अन्य दस्तावेज की तुलना में अधिक आत्म-विश्वास और दृढ़ता प्रदान करता है। एक सुरक्षित डिजिटल पहचान के रूप में आधार, निवासियों को संवर्धित सुविधा के साथ सुलभ जीवन-शैली प्रदान करता है।

आधार ने बुनियादी बैंकिंग सेवाओं को घर-घर पहुंचाने के अलावा समाज के वंचित वर्गों के वित्तीय समावेशन को सुगम बनाया है। संवर्धित पारदर्शिता और जवाबदेही के अतिरिक्त, आधार ने बिचौलियों के बिना सरकार की विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के निर्बाध लक्षित वितरण की सुविधा प्रदान की है।

मैं, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सभी कर्मचारियों और आधार के ईको-सिस्टम साझेदारों सहित अन्य हितधारकों को आधार प्लेटफार्म एवं इसकी क्षमताओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने में उनके समर्पित प्रयासों के लिए धन्यवाद देता हूँ। मुझे, भारत में डिजीटल सशक्तीकरण की दिशा में आधार द्वारा निभाई गई भूमिका पर गर्व है, और यह प्रयास आगे भी जारी रहेगा।

डॉ. आनंद देशपांडे

संदेश

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

वर्ष 2010 में पहला आधार नंबर जारी होने से लेकर, 2020 में 125 करोड़ आधार नंबर जारी करने की उपलब्धि तक पहुंचने का सफर, वास्तव में उल्लेखनीय रहा है। आज आधार देश में सबसे व्यापक और विश्वसनीय पहचान है।

वर्ष 2019-20 आधार के लिए महत्वपूर्ण विकासों का साक्षी रहा है। आधार (वित्तीय और अन्य प्रसुविधाओं, लाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 में संशोधन किया गया था, ताकि सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों और न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण समिति की सिफारिशों के अनुसार निजता की सुरक्षा, व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग को रोकने तथा सेवाओं एवं लाभों से वंचित न किए जाने के लिए, इसमें और अधिक सुरक्षा उपायों को शामिल किया जा सके। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और अर्थशोधन निवारण अधिनियम, 2002 में आवश्यक संशोधन करके सिम कार्ड प्राप्त करने तथा बैंक खाता खोलने के लिए आधार • अधिप्रमाणन के स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति दी गई।

देश में 90.3 प्रतिशत आबादी का आधार नामांकन होने से, अब अधिकांश निवासियों को आधार अपडेट सेवा की आवश्यकता है। वर्ष 2019-20 के दौरान किए गए 2.2 करोड़ नामांकन की तुलना में 8.9 करोड़ आधार अपडेट किए गए हैं। आधार अधिप्रमाणन की संख्या 1,113 करोड़ पहुंच गयी। 68.9 करोड़ बैंक खातों को आधार के साथ जोड़ना, 236 करोड़ एईपीएस (आधार समर्थित भुगतान प्रणाली) और 164 करोड़ एपीबी (आधार भुगतान ब्रिज) लेन-देन के जरिए निवासियों के वित्तीय समावेशन को सुगम बनाने में अभी तक सबसे बड़ी कार्रवाई थी। आधार आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के तहत अब आधार अधिनियम की धारा 7 के तहत 304 योजनाओं (केंद्रीय रूप से प्रायोजित या केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं) को शामिल किया गया है।

प्रतीक्षारत निवासियों हेतु बैठने की व्यवस्था के साथ आरामदायक वातानुकूलित परिवेश में आधार नामांकन एवं अद्यतन सेवाएं प्रदान करने और प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग करने संबंधी एक पहल के तहत, देशभर में 37 आधार सेवा केंद्र (एएसके) खोले गए हैं। निवासियों के लिए एक आधार हैंडबुक तैयार की गई है और यह भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

आधार का उद्देश्य निवासियों को एक विशिष्ट पहचान के साथ सशक्त बनाना है, जिसे कभी भी, कहीं भी प्रमाणित किया जा सकता है। इसलिए, निवासी आधार के लिए केंद्रीय बिंदु है। निवासियों की आधार नामांकन और अद्यतन केंद्रों तक पहुंच बढ़ाना, अधिक आधार सेवाएँ ऑनलाइन उपलब्ध कराना, आधार अधिप्रमाणन सेवाओं की सीमा का विस्तार करना और निवासियों की सुविधा के लिए सेवा वितरण में निरंतर नवीनता लाना और उन्हें उन्नत करना प्राथमिकताएँ होंगी। निवासी के डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता सर्वोपरि है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक तकनीकी अवसंरचना के नवीकरण और उन्नयन करने, और प्रशासनिक और कानूनी संबंधी उपाय किए जाएंगे।

संक्षेप में, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का प्रयास होगा कि निवासी की विशिष्ट डिजीटल पहचान को हर संभव सीमा तक सुगम बनाया जाए।

पंकज कुमार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की संरचना

डॉ. आनंद देशपांडे
सदस्य (अंशकालिक), भाविपप्रा

डॉ. आनंद देशपांडे 8 सितंबर, 2016 से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण(यूआईडीएआई) के अंशकालिक सदस्य हैं।

डॉ. आनंद देशपांडे, संस्थापक, परसिस्टेंट सिस्टम्स के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, आईआईटी, खडगपुर से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में बी. टेक. (ऑनर्स) तथा एम.एस., इंडियना यूनिवर्सिटी, ब्लूमिंगटन, इंडियाना, अमेरिका से कंप्यूटर साइंस में पीएचडी हैं। 1990 में परसिस्टेंट सिस्टम्स को शुरू कर आज उसे एक वैश्विक व्यापारिक कंपनी के रूप में खड़ा करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है।

श्री पंकज कुमार
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भाविपप्रा

श्री पंकज कुमार, भारत सरकार के सचिव स्तर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के एक वरिष्ठ अधिकारी, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। उन्हें केंद्र और राज्य सरकारों में विभिन्न पदों पर कार्य करने का 32 से अधिक वर्षों का अनुभव है। 23 अक्तूबर 2019 से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भा.वि.प.प्रा. के रूप में, वे आधार - भारत में 12-अंक वाली दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक आधारित विशिष्ट पहचान परियोजना का संचालन कर रहे हैं। यूआईडीएआई में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, श्री कुमार इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) में अपर सचिव के पद पर कार्यरत थे।

इससे पूर्व, श्री कुमार, नागालैंड कैडर के 1987 बैच के अधिकारी, तीन साल की अवधि के लिए मुख्य सचिव के रूप में और नागालैंड सरकार के गृह और कार्मिक विभागों में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। पूर्व में, वे दूरसंचार विभाग में मुख्य सतर्कता अधिकारी और कृषि एवं सहकारिता विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) को तैयार करने के लिए गहन कार्य किया। अपने प्रशासनिक कार्यकाल में, उन्होंने केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता कार्य मंत्रालय में अपनी सेवाएं प्रदान की, जहां वे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के कार्यान्वयन में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे। राज्य सरकार में, उन्होंने राज्यपाल, नागालैंड के आयुक्त एवं सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा विभाग और अल्प-विकसित क्षेत्र विकास विभाग में गृह आयुक्त और आयुक्त एवं सचिव के पदों पर कार्य किया। इसके अलावा जिला स्तर पर आयुक्त (कर और उत्पाद शुल्क) एवं निदेशक (खाद्य और नागरिक आपूर्ति) और विभिन्न अन्य पदों पर अपनी सेवाएं दीं।

बीएचयू-आईटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक श्री कुमार ने यूनिवर्सिटी ऑफ स्विनबर्न, मेलबोर्न (ऑस्ट्रेलिया) से एमबीए भी किया है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (आईआईपीए) से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा भी किया है।

विषय सूची

1. अवलोकन.....1-9

1.1 वर्ष 2019-20 1

1.2 "आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019" की मुख्य विशेषताएं.....1

1.3 सेवाओं की सुविधा 2

1.4 सबसे विश्वसनीय पहचान 3

1.5 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का सृजन 3

1.6 भाविपप्रा का अधिदेश 5

1.7 भाविपप्रा का सफ़र 6

1.8 विज़न एवं मिशन 7

1.9 भाविपप्रा के उद्देश्य 8

1.10 मूल मंत्र 8

1.11 भाविपप्रा को सौंपे गए कार्यकलाप 8

2. संगठनात्मक संरचना.....10-13

2.1 प्राधिकरण की संरचना.....10

2.2 मुख्यालय की संरचना.....10

2.3 क्षेत्रीय कार्यालय की संरचना.....12

3. भाविपप्रा की कार्यप्रणाली.....14-34

3.1 अवलोकन.....14

3.2 नामांकन एवं अद्यतन ईकोसिस्टम.....15

3.3 नामांकन भागीदार.....17

3.4 नामांकन प्रक्रिया.....17

3.5 आधार नामांकन प्रगति.....18

3.6 आधार डाटा अद्यतन.....21

3.7 आधार सेवा केंद्र (एएसके).....22

3.8 आधार सेवाओं के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट.....23

3.9 अधिप्रमाणन ईकोसिस्टम.....23

3.10 अधिप्रमाणन भागीदार.....23

3.11 आधार अधिप्रमाणन सेवाएं.....24

3.12 प्रमुख पहलें....29
3.13 संभारिकी ईकोसिस्टम....30
3.14 आधार पत्र का मुद्रण और वितरण....30
3.15 ई-आधार....31
3.16 आदेश आधार पुनर्मुद्रण (ओएआर) सेवाएं....31
3.17 प्रशिक्षण, परीक्षण और अधिप्रमाणन ईकोसिस्टम....31
3.18 ग्राहक संबंध प्रबंधन....33
3.19 आधार सहायक सेवाएं - आधार संपर्क केंद्र....33
3.20. चैटबॉट सेवाएँ....34

4. डाटा सुरक्षा एवं निजता....35-38
4.1 आधार डाटा की सुरक्षा एवं निजता....35
4.2 डिजाइन द्वारा सुरक्षा एवं निजता....35
4.3 सुरक्षित प्रक्रिया के माध्यम से आधार नामांकन....36
4.4 सुरक्षित प्रक्रिया के द्वारा आधार अधिप्रमाणन....36
4.5 संयोजन रहित न्यूनतम डाटा....36
4.6 डाटा की कोई पूलिंग नहीं....37
4.7 इष्टतम अनभिज्ञता....37
4.8 स्थान की जानकारी नहीं....37
4.9 विकेंद्रित डाटा तथा एक-मार्गी संयोजन....37
4.10 आधार डाटा की सुरक्षा....38
4.11 भाविपप्रा आईएसओ 27001 प्रमाणित....38
4.12 "संरक्षित प्रणाली" के रूप में सीआईडीआर इन्फ्रास्ट्रक्चर की घोषणा....38
4.13 सुशासन जोखिम अनुपालन एवं निष्पादन सेवा प्रदाता (जीआरसीपी-एसपी)....38
4.14 भाविपप्रा में धोखाधड़ी प्रबंधन प्रणाली....38

5. आधार – सुशासन में उपयोग....39-43
5.1 आधार - सुशासन में सुधार हेतु एक साधन....39
5.2 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) में आधार....42

6. भाविपप्रा के संगठनात्मक मामले....44-49
6.1 यौन उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी....44
6.2 भाविपप्रा में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन....44
6.3 सिटिजन चार्टर....45

6.4 इंट्रानेट एवं ज्ञान प्रबंधन पोर्टल....45
6.5 नोडल आरटीआई प्रकोष्ठ....45
6.6 यूआईडीएआई वेबसाइट....46
6.7 एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन (अद्यतित एम-आधार)....47

7. भावी योजनाएं....50-51
7.1 चेहरा अधिप्रमाणन....50
7.2 आईरिस डिवाइस को बढ़ावा....50
7.3 आधार कार्ड आदेश....50
7.4 संपर्क केंद्र की नई उन्नत अवसंरचना....50
7.5 इंटरएक्टिव वर्चुअल लर्निंग और ट्रेनिंग मॉड्यूल....51
7.6 भाविपप्रा की वेबसाइट में भावी संवर्धन की योजना....51
7.7 एमआधार एप्लिकेशन में भावी संवर्धन की योजना....51

8. वित्तीय कार्यनिष्पादन....52-54
8.1 यूआईडीएआई बजट....52
8.2 बजट एवं व्यय....52
8.3 सेवाओं से आय....54

9. वर्ष 2019-20 के लिए भाविपप्रा का लेखापरीक्षित लेखा विवरण....55-102

10. अनुलग्नक....103-111
10.1 अनुलग्नक I: आधार अधिनयम....103
10.2 अनुलग्नक II: आधार विनियम....106
10.3 अनुलग्नक III: सत्यापन हेतु स्वीकार्य समर्थित दस्तावेजों की सूची....107
10.4 अनुलग्नक IV: 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार परिपूर्णता रिपोर्ट....109

11. लघुरूपण....112-117

आकृतियों की सूची

आकृति 1. संगठनात्मक संरचना....10
आकृति 2. भाविपप्रा मुख्यालय का संरचना चित्र....11
आकृति 3. भाविपप्रा क्षेत्रीय कार्यालयों का संरचना चित्र....13
आकृति 4. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आधार परिपूर्णता (31 मार्च, 2020 के अनुसार)....16
आकृति 5. विभिन्न आधार सेवाओं के लिए निवासी द्वारा देय शुल्क (31 मार्च, 2020 तक)....22

ग्राफ़ों की सूची

ग्राफ़ 1. वर्षवार आधार सृजन (सितंबर 2010 से मार्च 2020)....19
ग्राफ़ 2. संचयी आधार सृजन (सितंबर 2010 से मार्च 2020)....20
ग्राफ़ 3. वर्षवार आधार अद्यतन 21
ग्राफ़ 4. वर्षवार आधार अधिप्रमाणन संव्यवहार 25
ग्राफ़ 5. संचयी अधिप्रमाणन संव्यवहार 26
ग्राफ़ 6. वर्षवार ई-केवाईसी संव्यहार....27
ग्राफ़ 7. संचयी ई-केवाईसी संव्यहार....28
ग्राफ़ 8. बैंक खातों से जुड़े विशिष्ट आधारों की प्रगति....39
ग्राफ़ 9. एईपीएस संव्यवहार की प्रगति....40
ग्राफ़ 10. आधार भुगतान ब्रिज से संव्यवहार की प्रगति....41
ग्राफ़ 11. आधार भुगतान ब्रिज से मूल्य संव्यवहार की प्रगति 41

तालिकाओं की सूची

तालिका 1. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की संरचना....10
तालिका 2. भाविपप्रा के क्षेत्रीय कार्यालयों की संरचना....12
तालिका 3. माहवार आधार सृजन (2019-20)....20
तालिका 4. वर्षवार एवं संचयी अधिप्रमाणन संव्यवहार....25
तालिका 5. माहवार अधिप्रमाणन संव्यवहार (2019-20)....26
तालिका 6. वर्षवार एवं संचयी ई-केवाईसी संव्यवहार....27
तालिका 7. माहवार ई-केवाईसी संव्यवहार (2019-20)....28
तालिका 8. प्रदत्त प्रशिक्षण का विवरण (2019-20)....32
तालिका 9. कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण की वार्षिक रिपोर्ट (2019-20)....44
तालिका 10. बजट एवं व्यय (स्थापना से)....53
तालिका 11. 31.03.2020 तक की संक्षेप में वित्तीय स्थिति....54
तालिका 12. 31.03.2020 के अनुसार सेवाओं से हुई आय का विवरण 54
तालिका 13. विनियमों की सूची....106

1. अवलोकन

1.1 वर्ष 2019-20

1.1.1 वर्ष 2019-20 को भाविपप्रा के साथ आधार के समेकन का वर्ष कहा जा सकता है, जो अपनी सेवाओं और ऑनलाइन सुविधाओं की पहुंच का विस्तार करने का प्रयास करता है ताकि निवासियों को आसानी, सुलभता और सुविधा मिल सके। पिछले साल, 2018-19 में, जब माननीय उच्चतम न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने छह साल की मुकदमेबाजी के बाद आधार अधिनियम, 2016 की संवैधानिकता को बरकरार रखते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय दिया, भाविपप्रा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और निर्देशों को लागू करने के लिए बाध्य था।

1.1.2 भाविपप्रा ने पूरी निष्ठा के साथ सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लागू करने के लिए आधार अधिनियम के आवश्यक संशोधनों को तैयार करने सहित कई कार्यों और प्रक्रियाओं, तकनीकी और कानूनी पहल शुरू की। हालांकि, 16 वीं लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के कारण, आधार संशोधन विधेयक अधिनियम नहीं बन सका और भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए आधार और अन्य कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 की संख्या 9) में लाना पड़ा। आधार (संशोधन) अध्यादेश 2 मार्च, 2019 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया गया और यह तत्काल प्रभाव से लागू हुआ।

1.1.3 बाद में, 17वीं लोकसभा के गठन के उपरांत, आधार संशोधन विधेयक को, उच्चतम न्यायालय के निर्देशों और श्रीकृष्णा समिति की सिफारिशों के अनुसार पात्र व्यक्तियों की सेवाओं एवं हितलाभों की सुरक्षा और व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग को रोकने एवं गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षात्मक उपायों को शामिल करने हेतु, फिर से संसद में प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा, सिम कार्ड लेने और बैंक खाता खोलने के लिए आधार प्रमाणीकरण के स्वैच्छिक उपयोग संबंधी अनुमति देने हेतु आधार के जरिए बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए, विधेयक के माध्यम से क्रमश: भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और अर्थशोधन निवारण अधिनियम, 2002 में आवश्यक संशोधन भी किए गए थे।

1.1.4 विधेयक को संसद द्वारा पारित किया गया तथा आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 के 14) दिनांक 23.07.2019 को अधिसूचित किया गया। यह संशोधित अधिनियम, अन्य बातों के साथ-साथ किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के प्रयोजनार्थ ऐसी सहायिकी, हितलाभ या सेवा, जिसके लिए व्यय अथवा जो प्राप्ति की जाती है, वह राज्य के समेकित कोष का अंश है, के संबंध में प्राप्ति की एक शर्त के रूप में राज्य सरकार द्वारा आधार अधिप्रमाणन के उपयोग की सुविधा प्रदान करता है।

1.2 ''आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 की मुख्य विशेषताएं''

1.2.1 आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

- किसी व्यक्ति के वास्तविक आधार नंबर को छुपाने के लिए प्राधिकरण द्वारा सृजित वैकल्पिक नंबर प्रदान करने के लिए;
- अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बच्चों को अपना आधार नंबर रद्द करने का विकल्प देने के लिए;
- अधिप्रमाणन या ऑफलाइन सत्यापन अथवा अन्य विधियों द्वारा प्रत्यक्ष या इलेक्ट्रॉनिक रूप में आधार नंबर का स्वैच्छिक उपयोग प्रदान करने के लिए;
- आधार नंबर का अधिप्रमाणन या ऑफलाइन सत्यापन केवल आधार नंबर धारक की संसूचित सहमति से किया

जा सकता है;

- अधिप्रमाणन से इंकार करने या असमर्थ होने के कारण सेवाओं की अस्विकृति से बचाव;
- अधिप्रमाणन करने के लिए सुरक्षा और प्रतिबंध का प्रावधान;
- प्राधिकरण को ऐसे दिशानिर्देश देने हेतु अधिकार प्रदान करना, जो आधार ईकोसिस्टम में किसी संस्था के लिए आवश्यक हो;
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण निधि की स्थापना के लिए;
- सूचना की सहभागिता पर प्रतिबंधों में संवर्धन करने के लिए;
- सिविल दंडों को प्रदान के साथ ही इसके अधिनिर्णय और अपील के लिए;
- आधार अधिनियम की धारा 57 को समाप्त करना;
- टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और अर्थशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत स्वीकार्य केवाईसी दस्तावेज के रूप में स्वैच्छिक आधार पर अधिप्रमाणन हेतु आधार नंबर के उपयोग की अनुमति देना।
- राज्य सरकार को, एक सब्सिडी, हितलाभ या सेवा, जिसके लिए राज्य की समेकित निधि से व्यय हुआ है, या उससे किसी अंश को प्राप्त किया है कि प्राप्ति हेतु एक शर्त के रूप में एक व्यक्ति विशेष की पहचान स्थापित करने के प्रयोजनार्थ आधार अधिप्रमाणन के उपयोग को समर्थ बनाने के लिए।

1.2.2 आधार अधिनियम को लाभकारी कानून के रूप में बनाए रखने संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के साथ आधार संवैधानिक रूप से भारत के निवासियों को सशक्त बनाने वाली एक वैध बायोमेट्रिक आधारित विशिष्ट पहचान के रूप में उभरा है। राष्ट्रव्यापी अवसंरचना के साथ दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक स्वामित्व वाले बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी मंच पर निवासियों को जारी किए गए 125.79 करोड़ आधार संख्या के साथ, आधार निवासियों के लिए कहीं से भी, कभी भी ऑनलाइन अपनी पहचान स्थापित करने और किसी भी डर के बिना हकदारियों एवं अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संबल बना है। आधार की मदद से, कोई भी बैंक खाता खोल सकता है और केवल अंगूठे की छाप के साथ अपने नजदीक मूलभूत बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर सकता है।

1.2.3 सीमित संसाधनों वाली किसी भी सरकार का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वह संसाधनों का न्यायसंगत और सही वितरण सुनिश्चित करे। आधार ने सरकार को, संपूर्ण वितरण प्रणाली का नवीकरण करने और कल्याणकारी योजनाओं, जो लक्षित, निर्बाध, प्रत्यक्ष, पोर्टेबल, वास्तविक समय, सेवाओं की लेखापरीक्षा योग्य डिलीवरी, लाभ और सब्सिडी को, बिचौलियों और मध्यस्थों से मुक्त सुनिश्चित करने में सहायता की है।

1.2.4 आधार ने शासन की एक ऐसी प्रणाली तैयार की है, जो वंचितों और पीछे छूट गये लोगों को शासन की प्रणाली में शामिल करने को सुनिश्चित करती है, ताकि वे अपने अंगूठे की एक छाप पर अपनी वास्तविक हकदारियों को प्राप्त कर सकें। आधार के माध्यम से राशन की दुकानों से अनाज वितरित किया जा रहा है। आधार के जरिए करोड़ों छद्म और नकली राशन कार्ड, एलपीजी सिलेंडर कनेक्शनों, नकली मनरेगा जॉब कार्ड, फर्जी पेंशन लाभार्थियों, छद्म छात्रों को हटा दिया गया है, जिसके कारण सरकारी खजाने में पर्याप्त बचत हुई है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना जैसी योजनाएं आधार के माध्यम से वास्तविक लाभार्थी को सीधे लाभ पहुंचाने में सफल रही हैं।

1.3 सेवाओं की सुविधा

1.3.1 विभिन्न सरकारी कल्याण योजनाओं की सेवाओं या लाभों या सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए सहजता, सुलभता और सुविधा प्रदान करने हेतु, भाविपप्रा ने नामांकन और अपडेट के लिए अत्याधुनिक आधार सेवा केंद्रों (एएसके) का निर्माण करके आधार धारकों के लिए आधार सेवाओं और ऑनलाइन सुविधाओं में विस्तार किया है।

1.3.2 भाविपप्रा ने अपनी सेवाओं जैसे एमआधार, चेटबोट, ऑनलाइन आधार पुनर्मुदण आदेश, ई-केवाईसी, वर्चुअल आईडी और अधिप्रमाणन का लगातार विस्तार और उन्नयन किया गया है। वार्षिक रिपोर्ट के संबंधित अध्यायों में इन सुविधाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है।

1.4 सबसे विश्वसनीय पहचान

1.4.1 आधार, सबसे विश्वसनीय पहचान, के साथ भारत ने व्यक्तिगत रूप से आबादी को सशक्त बनाने के लिए पहचान का एक ऐसा भरोसेमंद परिप्रेक्ष्य दिया है कि कोई भी विकास के रास्ते पर पीछे न रहे। यह उपलब्ध सीमित संसाधनों के साथ सेवाओं, लाभों और सब्सिडी के पारदर्शी और लक्षित वितरण के लिए सबसे उपयुक्त तकनीक है। आधार भारत में किसी अन्य पहचान दस्तावेज की तुलना में अधिक आत्मविश्वास और विश्वास को प्रेरित करता है। वर्तमान में, दुनिया का लगभग हर छठा व्यक्ति आधार धारक है।

1.4.2 आधार - 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या - में परिवर्तन लाने की जबरदस्त क्षमता है, क्योंकि यह लोगों को कई तरीकों से सशक्त बनाता है, ताकि बड़े पैमाने पर लोगों के जीवन में सुरक्षा और विश्वास की भावना प्रबल हो सके। यह सब आधार की तकनीक, इसके प्लेटफ़ॉर्म, इसकी अधिप्रमाणन संरचना और सत्यापन योग्य पहचान के रूप में इसके उपयोग के कारण संभव हो पाया है।

1.4.3 आधार से पहले के दिनों में किसी की पहचान को साबित करना सबसे बड़ी चुनौती थी। इस असमर्थता ने न केवल सरकार द्वारा समय-समय पर प्रदान किए जाने वाले लाभ, सब्सिडी और अन्य अनुदानों को प्राप्त करने और उनका लाभ उठाने में समाज के गरीब और वंचित वर्गों को रोका, बल्कि यह छद्म/जाली और नकली पहचान के लिए संसाधनों की विविधता और लीकेज का भी कारण बनी। विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की एजेंसियों को, निवासियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए पहचान के प्रमाण की आवश्यकता होती है, लेकिन पहचान के सत्यापन के अभाव, फर्जी अभ्यावेदनों, सुविधाओं के दुरुपयोग और दुर्लभ सरकारी संसाधनों की चोरी का कारण बनते हैं। आधार पूर्व दिनों में, कोई भी राष्ट्रीय स्तर पर सत्यापित पहचान दस्तावेज/नंबर नहीं था, जिसे निवासियों और सेवा प्रदाता एजेंसियां विश्वास, सहजता और आत्मविश्वास के साथ उपयोग कर सकें।

1.4.4 सितंबर 2010 में इस पृष्ठभूमि के समक्ष, एक बड़े पैमाने पर तकनीकी रूप से जटिल पहचान कार्यक्रम, जिसे तत्समय विशिष्ट पहचान (यूआईडी) कार्यक्रम कहा जाता है, मानवीय इतिहास में अनसुना, को शुरू किया गया था। इसने भारत के प्रत्येक निवासी को न्यूनतम जनसांख्यिकीय डेटा जैसे नाम, जन्म तिथि, पता, लिंग और बायोमैट्रिक के आधार पर विशिष्ट पहचान देने की परिकल्पना की, जिसमें फोटो के साथ दस उंगलियों के निशान और आईरिस शामिल थे। चूंकि आधार बायोमैट्रिक के डि-डुप्लीकेशन पर आधारित है, इसलिए डुप्लिकेट, छद्म और नकली पहचान, जिन्हें ज्यादातर अन्य कार्यक्रमों में शामिल किया जाता था, यहां लगभग असंभव थी।

1.4.5 विशिष्ट पहचान (यूआईडी) संख्या, आधार के रूप में विख्यात, की भारत के निवासियों के लिए सार्वभौमिक रूप से यूआईडी नंबर स्थापित करने के उद्देश्य से एक परियोजना के रूप में कल्पना की गई थी, ताकि (क) डुप्लिकेट और नकली पहचान को खत्म करने के लिए इसे पर्याप्त रूप से मजबूत बनाया जा सके, और (ख) किफायती तौर पर आसानी से सत्यापित और प्रमाणित हो सके।

1.5 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का सृजन

1.5.1 विशिष्ट पहचान की अवधारणा पर सर्वप्रथम विचार-विमर्श और उस पर कार्य 2006 में उस समय किया गया था, जब "बीपीएल परिवारों के लिए विशिष्ट पहचान" परियोजना के संबंध में 3 मार्च, 2006 को प्रशासनिक अनुमोदन, पूर्ववर्ती सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दिया गया था। इस परियोजना को 12 महीनों की एक अवधि के दौरान राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र

(एनआईसी) द्वारा क्रियान्वित किया जाना था। तत्पश्चात, 3 जुलाई, 2006 को बीपीएल परिवारों के लिए विशिष्ट पहचान परियोजना के तहत मुख्य डेटाबेस से डेटा फील्ड के अद्यतन, आशोधन, आवर्धन और विलोपन हेतु प्रक्रियाओं पर सुझाव देने के लिए एक प्रक्रिया समिति का गठन किया गया था।

1.5.2 तत्पश्चात, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नेंस (एनआईएसजी) और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) के संरक्षण में एक "कार्यनीतिक दृष्टिकोण - निवासियों की विशिष्ट पहचान" को तैयार किया गया और उसे प्रक्रिया समिति को प्रस्तुत किया गया। इसने करीबी संयोजन की यह परिकल्पना की थी कि विशिष्ट पहचान निर्वाचन संबंधी डेटाबेस के लिए होगा। समिति ने तत्कालीन योजना आयोग (अब नीति आयोग) के संरक्षण में एक कार्यकारी आदेश द्वारा एक विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का गठन किए जाने की आवश्यकता का मूल्यांकन किया ताकि, प्राधिकरण के लिए एक अखिल-विभागीय और तटस्थ पहचान सुनिश्चित की जा सके और साथ-साथ एक 11वीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में संकेंद्रित दृष्टिकोण समर्थित हो सके। प्रक्रिया समिति ने 30 अगस्त, 2007 को आयोजित अपनी 7वीं बैठक में तत्कालीन योजना आयोग को "सैद्धांतिक" अनुमोदन के लिए संसाधन मॉडल पर आधारित एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।

1.5.3 उसी दौरान, भारत के महापंजीयक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के सृजन और भारत के नागरिकों के लिए बहु-उद्देश्यीय राष्ट्रीय पहचान पत्र बनाने में कार्यरत थे। इसलिए, तत्कालीन प्रधान मंत्री के अनुमोदन से दो योजनाओं - नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और तत्कालीन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) की विशिष्ट पहचान नंबर परियोजना को मिलाने के लिए मंत्रियों का अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) के गठन करने का निर्णय लिया गया।

1.5.4 सचिवों की समिति की सिफारिशों और मंत्रियों का अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) के निर्णय उपरांत, प्राधिकरण यूआईडीएआई का गठन किया गया और उसे जनवरी 2009 में अधिसूचना संख्या ए-43011/02/2009-प्रशा.। दिनांक 28 जनवरी, 2009 में निर्धारित कार्यों और उत्तरदायित्वों के साथ तत्कालीन योजना आयोग के संबद्ध कार्यालय के रूप में अधिसूचित किया गया। प्रारंभ में पांच वर्षों के कार्यकाल के लिए श्री नंदन एम नीलेकणि को मंत्रिमंडल सचिव के रैंक एवं दर्जे में दिनांक 2 जुलाई, 2009 की अधिसूचना संख्या (ए-43011/02/2009-प्रशा.।(खंड-।।) के तहत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। इसी वर्ष जुलाई में श्री राम सेवक शर्मा, भा.प्र.से. ने पहले महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

1.5.5 28 जनवरी, 2009 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना के उपरांत, कार्यक्रम, कार्यप्रणाली और कार्यान्वयन पर यूआईडीएआई को सुझाव देने के लिए 30 जुलाई, 2009 को यूआईडीएआई पर प्रधान मंत्री परिषद का गठन किया गया था ताकि, मंत्रालयों/विभागों, हितधारकों और भागीदारों के बीच समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। प्रधान मंत्री परिषद ने, 12 अगस्त, 2009 को अपनी पहली बैठक में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत यूआईडी प्रणाली पर विस्तृत कार्यनीति और दृष्टिकोण को अनुमोदित कर दिया।

1.5.6 यूआईडीएआई पर प्रधान मंत्री परिषद ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को जनसांख्यिकीय और बायोमैट्रिक डेटा के लिए मानक स्थापित करने वाले शीर्ष निकाय के रूप में घोषित कर दिया। इस अधिदेश के अनुसरण में, इन मानकों पर संस्तुति करने के लिए यूआईडीएआई ने दो समितियों अर्थात् (i) जनसांख्यिकीय डेटा मानक और सत्यापन प्रक्रिया संबंधी समिति और, (ii) बायोमैट्रिक मानक संबंधी समिति का गठन किया। श्री एन विट्ठल की अध्यक्षता में, जनसांख्यिकीय डेटा मानक और सत्यापन प्रक्रिया

संबंधी समिति द्वारा 9 दिसंबर, 2019 को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को बाद में यूआईडीएआई द्वारा स्वीकार कर लिया गया, जबकि विभिन्न बायोमैट्रिक विशेषताओं के लिए मानकों पर बायोमैट्रिक मानक संबंधी समिति द्वारा रिपोर्ट को, एनआईसी के तत्कालीन महानिदेशक डॉ. बी. के. गैरोला की अध्यक्षता में 07 जनवरी 2010 को प्रस्तुत किया गया। इस रिपोर्ट को भी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

1.5.7 प्रधानमंत्री परिषद को भाविपप्रा पर मंत्रिमंडल समिति से प्रतिस्थापित कर दिया गया। इस समिति का गठन भारत सरकार के दिनांक 22 अक्तूबर, 2009 के आदेश संख्या 1/11/6/2009 द्वारा किया गया था। इस अधिसूचना के अनुसार, इस समिति के प्रकार्यों में, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के संगठन, योजना, नीतियों, कार्यक्रमों, स्कीमों, वित्तपोषण और भाविपप्रा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली सहित प्राधिकरण से संबंधित सभी मुद्दें शामिल हैं।

1.5.8. मंत्रिमंडल के अनुमोदनों के अनुसार, आधार नामांकन को भौगोलिक रूप से यूआईडीएआई और आरजीआई के बीच विभाजित कर दिया गया। तदनुसार, यूआईडीएआई को 24 राज्यों एवं संघ राज्य-क्षेत्रों (यूटी) में आधार का नामांकन करने और आरजीआई को 12 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में नामांकन करने का कार्य सौंपा गया। हालांकि, गृह मंत्रालय ने दिनांक 5 मई, 2016 के अर्ध शासकीय पत्र सं. आरजी(पी)/एनपीआर/आरजीआई के द्वारा यूआईडीएआई को उन 10 राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों नामतः अरूणाचल प्रदेश, दादर और नगर हवेली, जम्मू व कश्मीर, लक्षद्वीप, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल (असम एवं मेघालय को छोड़कर), जिनके नामांकन का कार्य पूर्व में आरजीआई को सौंपा गया था, में नामांकन कार्य शुरू करने के लिए कहा।

1.5.9. इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने अपने दिनांक 20 अप्रैल, 2017 के पत्र द्वारा सूचित किया कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) योजना के तहत बायोमैट्रिक नामांकन का कार्य, आधार अधिनियम, 2016 के अधिनियमित होने के फलस्वरूप यूआईडीएआई द्वारा साफ्टवेयर में किए गए परिवर्तन के उपरांत 23 सितंबर, 2016 से बंद पड़ा है। इसलिए, यूआईडीएआई सांविधिक उपबंधों के तहत असम और मेघालय सहित संपूर्ण देश में आधार हेतु नामांकन करने के लिए सक्षम है।

1.5.10 संसद ने 2016 में आधार (वित्तीय एवं अन्य प्रसुविधाओं, लाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 के 18) को लागू करके आधार को विधायी स्तर प्रदान किया और भारत सरकार ने इसे 26 जून 2016 को अधिसूचित किया। तत्पश्चात, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को नई दिल्ली में प्रधान कार्यालय के साथ आठ क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु, चंडीगढ़, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई एवं रांची और केंद्र के लिए केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी ऑपरेशन, हेब्बल (बेंगलुरु) में और मानेसर (गुरुग्राम) में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ.2358 (ई) दिनांक 12 जुलाई, 2016 को आधार अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा एक सांविधिक विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया।

1.6 भाविपप्रा का अधिदेश

1.6.1 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को प्रत्येक निवासी को आधार नंबर जारी करने के संबंध में नीति बनाने, प्रक्रिया और प्रणाली विकसित करने तथा प्रमाणन निष्पादन करने के लिए अधिदेशित किया गया है।

1.6.2 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी (सीआईडीआर) में संचित सूचना को अनधिकृत ऐक्सेस या दुरुपयोग से सुरक्षित अनधिकृत ऐक्सेस या दुरुपयोग से सुरक्षित एवं संरक्षित करने के संबंध में सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

1.7 भाविपप्रा का सफर

1.7.1 पहली विशिष्ट पहचान (यूआईडी), विख्यात नाम आधार, 29 सितंबर, 2010 को जारी की गई थी। तत्पश्चात् 31 मार्च, 2020 तक 125.79 करोड़ से अधिक भारतीय निवासियों को आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं। एक विशिष्ट पहचान के तौर पर आधार की निम्न विशेषताएं हैं -

- यह 12 अंकों की एक यादृच्छिक संख्या है।
- यादृच्छिक संख्या में कोई आसूचना या रूपरेखा शामिल नहीं है।
- विशिष्टता का सुनिश्चयन बायोमैट्रिक गुणधर्म से होता है।
- इसमें केवल संख्याएं हैं, यह स्मार्ट कार्ड नहीं है।
- इसका नामांकन व अद्यतन देश में कहीं से भी किया जा सकता है।
- इसका ऑनलाइन अधिप्रमाणन देश में कभी भी, कहीं से भी किया जा सकता है।
- पूरे देश में संवहनीय पहचान है, जो क्षेत्र व भाषा की अड़चनों से परे है।
- एक बार सृजित और निर्गत संख्या फिर कभी भी पुनःसृजित और पुनर्निर्गत नहीं की जा सकती।
- यह नागरिकता, अधिकार एवं पात्रता प्रदान नहीं करता है।
- संग्रहित सूचना की निजता एवं सुरक्षा। निवासी की सहमति के बिना कोई डेटा साझा न करना।

1.7.2 नामांकन के संदर्भ में, भाविपप्रा ने लगभग पूरे देश को कवर कर लिया है। भाविपप्रा की संकल्पना देश के सभी निवासियों के नामांकन की है, जिसमें बच्चों, महिलाओं, दिव्यांगों, गरीबों एवं समाज के वंचित वर्गों के प्रति विशेष ध्यान दिया गया है। 31 मार्च 2020 तक 125.79 करोड़ से अधिक आधार सृजित किए गए हैं तथा इसमें प्रतिदिन निरंतर वृद्धि हो रही है। भाविपप्रा अपनी सेवा डिलीवरी में सुधार लाने के निरंतर उपाय कर रहा है, ताकि आम तौर पर लोगों की सुविधा के लिए जीवन सुगमता और व्यवसाय सुगमता का सृजन हो सके। आधार का उपयोग विभिन्न सरकारी योजनाओं में सब्सिडी, लाभ एवं सेवाए देने में किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप लाभार्थियों को सब्सिडी, लाभ एवं सेवाएं देने में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसके अलावा, आधार ने लीकेज पर अंकुश लगाने और विभिन्न डाटाबेसों से छदम्/नकली लाभार्थियों पर प्रतिबंध लगाने से राजकोष में महत्वपूर्ण बचत की है।

1.8 विज़न एवं मिशन

विज़न

भारत के निवासियों को एक विशिष्ट पहचान से कभी भी, कहीं भी अधिप्रमाणन के लिए एक डिजिटल प्लेटफार्म के साथ सशक्त बनाना।

मिशन

- एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान कर भारत में रहने वाले व्यक्तियों को सुशासन, सहायिकियों, लाभों और सेवाओं, जिनके लिए भारत की समेकित निधि से व्यय किया गया हो, का कुशल, पारदर्शी और लक्षित परिदान उपलब्ध कराना।
- व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के लिए नीति, प्रक्रिया और प्रणाली का विकास करना, ताकि इसके लिए अनुरोध करने वाले अपनी जनसांख्यिकीय व बायोमेट्रिक जानकारी प्रस्तुत कर नामांकन प्रक्रिया अपना सकें।
- आधार धारकों के लिए उनकी डिजिटल पहचान के अद्यतन और अधिप्रमाणन हेतु नीति, प्रक्रिया और प्रणाली का विकास करना।
- प्रौद्योगिकी अवसंरचना की उपलब्धता, मापनीयता और तन्यकता सुनिश्चित करना।
- भाविपप्रा के दृष्टिकोण व मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए इसे दीर्घकालिक सतत् संगठन बनाना।
- व्यक्तियों की पहचान सूचना एवं अधिप्रमाणन रिकॉर्ड की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करना।
- आधार अधिनियम का सभी व्यक्तियों और एजेंसियों से अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित कराना।
- आधार अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए आधार अधिनियम के अनुरूप विनियम और नियम बनाना।

1.9 भाविपप्रा के उद्देश्य

1.9.1 भाविपप्रा का सृजन भारत के निवासियों के लिए सार्वभौमिक रूप से "आधार" नामक विशिष्ट पहचान (यूआईडी) संख्याएं जारी करने के साथ निम्नलिखित उद्देश्य के लिया किया गया था:

- जो इतनी पुष्ट हों कि उनसे नकली और छद्म पहचानों को समाप्त किया जा सके, तथा
- जिनका सत्यापन और अधिप्रमाणन कभी भी, कहीं भी सरल एवं किफायती ढ़ंग से हो सके।

1.10 मूल मंत्र

- हम सुशासन सुगम बनाने में विश्वास रखते हैं
- हम सत्यनिष्ठा को महत्व देते हैं
- हम समावेशी राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं
- हम सहयोगपूर्ण दृष्टिकोण का अनुसरण और अपने भागीदारों को महत्व देते हैं
- हम निवासियों और सेवा प्रदाताओं को सेवाओं में उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए प्रयास करेंगे
- हमारा ध्यान हमेशा निरंतर सीखने और गुणवत्ता सुधार करने पर केंद्रित होगा
- हम नवप्रवर्तन से प्रेरित हैं और अभिनव के लिए अपने भागीदारों को प्लेटफार्म प्रदान करेंगे
- हम एक पारदर्शी और उदार संगठन में विश्वास करते हैं

1.11 भाविपप्रा को सौंपे गए कार्यकलाप

1.11.1 आधार अधिनियम, 2016 के अनुच्छेद 23 के अनुसार, भाविपप्रा ने व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने के लिए नीति, प्रक्रिया एवं प्रणाली का विकास किया और आधार अधिनियम के अंतर्गत उसका अधिप्रमाणन किया। प्राधिकरण के कार्यकलापों में, अन्य विषयों के साथ, निम्नलिखित शामिल हैं

- नामांकन के लिए अपेक्षित जनसांख्यिकीय एवं बायोमेट्रिक सूचना और उसकी प्रक्रियाओं के संग्रहण एवं सत्यापन को स्पष्ट रूप से विनियमों में विनिर्दिष्ट करना;
- आधार संख्या चाहने वाले व्यक्ति से जनसांख्यिकीय सूचना एवं बायोमेट्रिक सूचना का संग्रहण विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रविधि के अनुरूप करना;
- केंद्रीय पहचान डाटा रिपॉजिटरी (सीआईडीआर) के प्रचालन हेतु एक अथवा अधिक संस्थाओं की स्थापना करना;
- व्यक्तियों के लिए आधार संख्याओं का सृजन एवं निर्धारण करना;
- आधार संख्याओं के अधिप्रमाणन का निष्पादन करना;
- केंद्रीय पहचान डाटा रिपॉजिटरी (सीआईडीआर) में व्यक्तियों की सूचना का अनुरक्षण एवं अद्यतन विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रविधि के अनुरूप करना;
- विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रविधि के अनुरूप, एक आधार संख्या व उससे संबद्ध सूचना को निरस्त और निष्क्रिय करना;
- आधार संख्या के उपयोग की विधि विनिर्दिष्ट विभिन्न सहायिकियों, लाभों, सेवाओं को प्राप्त करने तथा अन्य प्रयोजनों के लिए करना;
- विनियमों में रजिस्ट्रारों, नामांकन एजेंसियों एवं सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति एवं ऐसी नियुक्तियों को समाप्त करने से संबंधित नियम एवं शर्तों का ब्योरा विनिर्दिष्ट करना;
- केंद्रीय पहचान डाटा रिपॉजिटरी (सीआईडीआर) की स्थापना, प्रचालन एवं अनुरक्षण करना;
- इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विनियमों में विनिर्दिष्ट के अनुरूप आधार संख्या धारकों से संबद्ध सूचना को साझा करना;
- आधार अधिनियम के अनुपालन में केंद्रीय पहचान डाटा रिपॉजिटरी, अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त रजिस्ट्रारों, नामांकन एजेंसियों एवं अन्य एजेंसियों से सूचना व रिकार्ड की मांग करना, उनका निरीक्षण करना तथा

प्रचालनों की लेखापरीक्षा करना;

- आधार अधिनियम के अंतर्गत डाटा प्रबंधन, सुरक्षा प्रोटोकॉल एवं अन्य प्रौद्योगिकी सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं को विनियमों में विनिर्दिष्ट करना;
- शुल्क लगाना एवं उसे एकत्रित करना अथवा रजिस्ट्रारों, नामांकन एजेंसियों अथवा अन्य सेवा प्रदाताओं को, इस अधिनियम के अंतर्गत उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए ऐसे शुल्क की प्राप्ति के लिए अधिकृत करना, जैसा कि विनियमों में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्राधिकरण को उसके कार्यकलापों के निर्वहन में सहायता देने के लिए आवश्यकता के अनुसार समितियों की नियुक्ति करना;
- बायोमेट्रिक एवं संबंधित क्षेत्रों के संवर्धन के लिए अनुसंधान एवं विकास प्रक्रियाओं व समुचित प्रक्रियाओं से आधार संख्या के उपयोग को बढ़ावा देना;
- रजिस्ट्रारों, नामांकन एजेंसियों एवं अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए विनियमों, नीतियों एवं व्यवहारों को विकसित एवं विनिर्दिष्ट करना;
- व्यक्तियों, रजिस्ट्रारों, नामांकन एजेंसियों एवं सेवा प्रदाताओं की शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत निवारण तंत्र और सुविधा केंद्रों की स्थापना करना;
- आधार अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, सूचना के संग्रहण, भंडारण, सुरक्षण या प्रक्रमण से संबंधित किसी क्रियाकलाप अथवा व्यक्तियों को आधार संख्या की सुपुर्दगी अथवा अधिप्रमाणन निष्पादन करने के लिए यथा आवश्यक, केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या अन्य एजेंसियों के साथ, समझौता ज्ञापन अथवा करार करना, जैसा भी मामला हो;
- आधार अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, अधिसूचना द्वारा अपेक्षित संख्या में रजिस्ट्रारों की नियुक्ति करना एवं सूचना के संग्रहण, भंडारण, सुरक्षण, प्रक्रमण या अधिप्रमाणन करने या उससे संबद्ध अन्य कार्यकलापों, यथा आवश्यक, के लिए एजेंसियों की नियुक्ति करना तथा उन्हें प्राधिकृत करना;
- इस अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलापों के सम्यक निर्वहन के लिए यथा आवश्यक, परामर्शदाताओं, सलाहकारों एवं अन्य व्यक्तियों को ऐसे, भत्तों या पारिश्रमिक तथा नियम एवं शर्तों के अनुसार नियुक्त करना, जैसा अनुबंध में विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. संगठनात्मक संरचना

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ("प्राधिकरण/भाविपप्रा") का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा यह बेंगलुरु, चंडीगढ़, गुवाहाटी, हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई, नई दिल्ली तथा रांची स्थित अपने आठ क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ कार्य करता है। भाविपप्रा के दो डाटा केंद्र - एक हेब्बल (बेंगलुरु) कर्नाटक तथा दूसरा मानेसर (गुरूग्राम) हरियाणा में स्थित है, जैसा कि आकृति-1 में दर्शाया गया है।

आकृति 1. संगठनात्मक संरचना

2.1 प्राधिकरण की संरचना

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) एक अध्यक्ष, दो अंशकालिक सदस्यों तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो प्राधिकरण के सदस्य सचिव भी हैं, से युक्त है। 31 मार्च 2020 के अनुसार प्राधिकरण की संरचना को तालिका-1 में दर्शाया गया है।

2.2 मुख्यालय की संरचना

मुख्यालय में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ कार्य-सहयोग के लिए भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के उपमहानिदेशक कार्यरत हैं, जो भाविपप्रा के विभिन्न कार्य-प्रभागों के प्रभारी हैं। उपमहानिदेशकों के साथ कार्य-सहयोग के लिए सहायक महानिदेशक, उप निदेशक, अनुभाग अधिकारी एवं सहायक अनुभाग अधिकारी नियुक्त हैं। यूआईडीएआई मुख्यालय की संगठनात्मक संरचना को आकृति-2 में दर्शाया गया है।

तालिका-1. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की संरचना

क्र.सं.	सदस्य का नाम तथा विवरण	पदनाम
1	**रिक्त**	**अध्यक्ष** (अंशकालिक) **सदस्य** (अंशकालिक)
2	**डॉ. आनन्द देशपांडे** पर्सिस्टेंट सिस्टम्स के संस्थापक, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**सदस्य**(अंशकालिक)
3	**श्री पंकज कुमार,** आईएएस (एनएल:1987)	**मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एवं सदस्य सचिव**

संरचना चित्र - मुख्यालय*

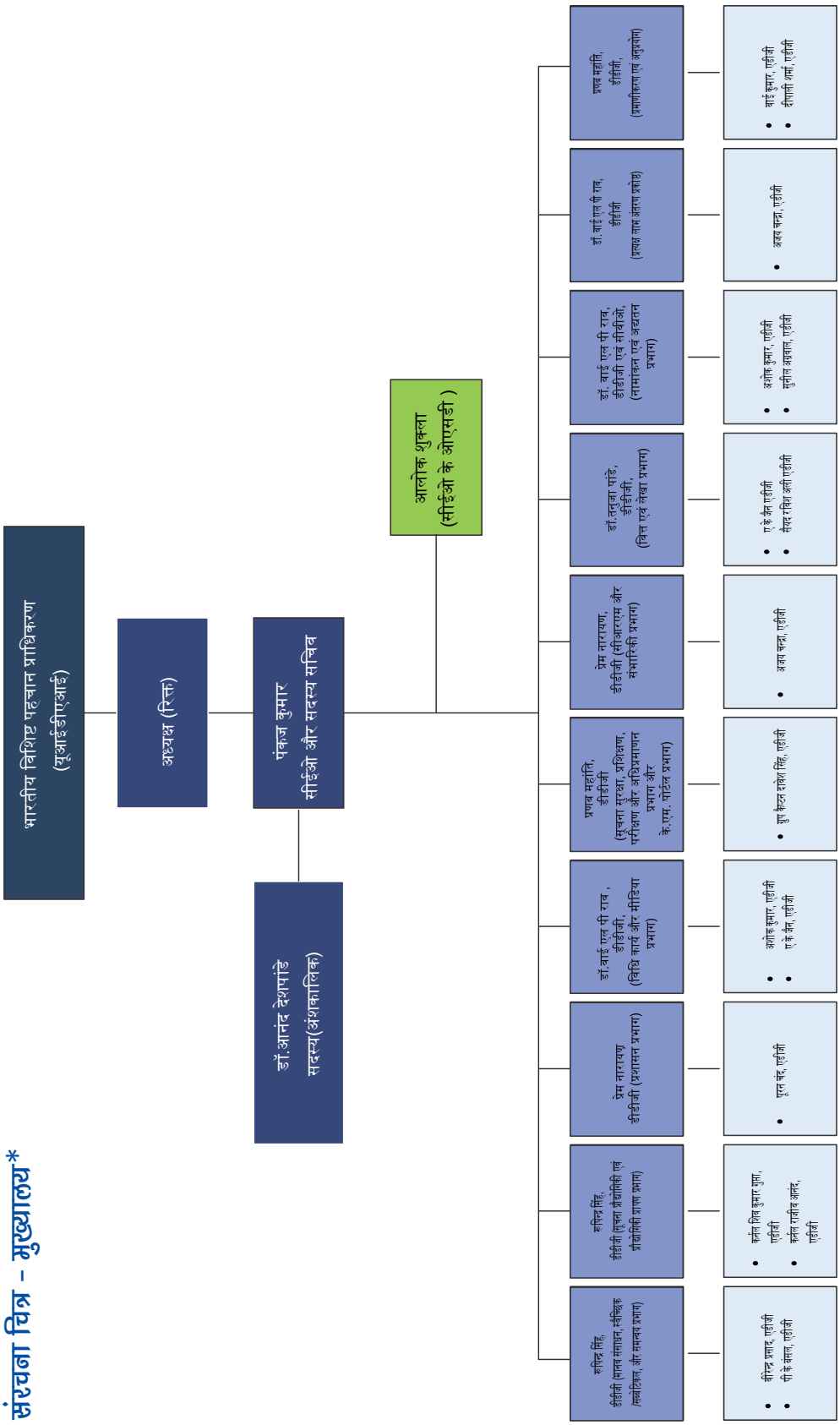

आकृति-2. भाविपप्रा मुख्यालय का संरचना चित्र

* 31 मार्च 2020 के अनुसार

2.3 क्षेत्रीय कार्यालय की संरचना

भाविपप्रा के आठ क्षेत्रीय कार्यालयों में से प्रत्येक का प्रमुख एक उपमहानिदेशक (डीडीजी) है तथा उनकी सहायता के लिए सहायक महानिदेशक, उप निदेशक, अनुभाग अधिकारी, सहायक अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, लेखाकार एवं वैयक्तिक कर्मचारी कार्यरत हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों और उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले राज्यों एवं संघ राज्य-क्षेत्रों का विवरण तालिका-2 में दर्शाया है। भाविपप्रा के क्षेत्रीय कार्यालयों के आग्रेनोग्राम को आकृति-3 में दर्शाया गया है।

तलिका 2. भाविपप्रा के क्षेत्रीय कार्यालयों की संरचना

क्षेत्रीयकार्यालय	क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र
बेंगलुरु	कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, तमिलनाडु
चंडीगढ़	चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, पंजाब और लद्दाख
नई दिल्ली	मध्य प्रदेश, नई दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड
गुवाहाटी	अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा
हैदराबाद	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना
लखनऊ	उत्तर प्रदेश
मुंबई	दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र
रांची	बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल

संरचना चित्र – क्षेत्रीय कार्यालय*

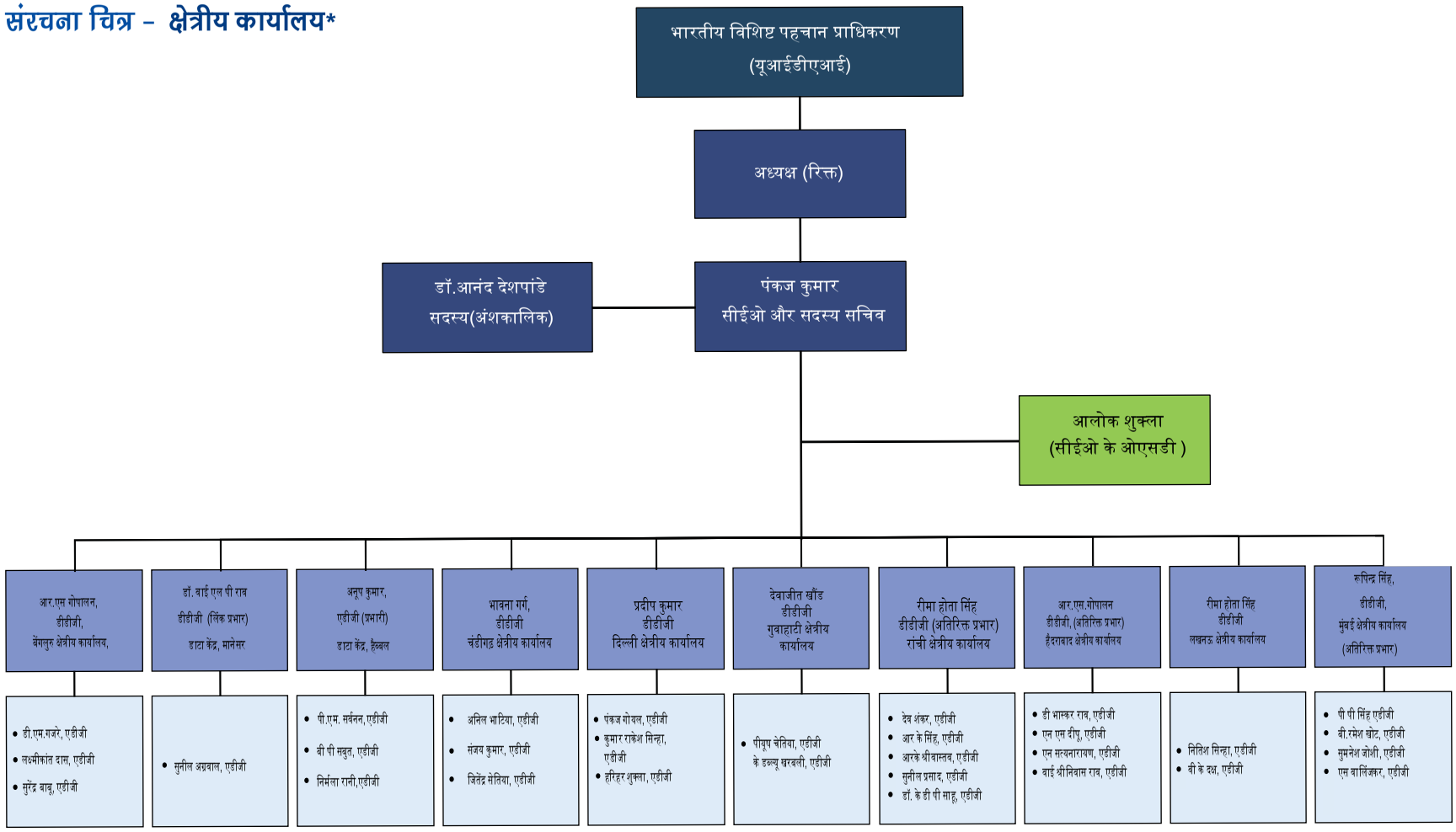

आकृति 3. भाविपप्रा क्षेत्रीय कार्यालयों का संरचना चित्र

* 31 मार्च, 2020 के अनुसार

3.भाविपप्रा की कार्यप्रणाली

3.1 अवलोकन

3.1.1 आधार का उद्देश्य भारत के निवासियों को, केवल "पहचान प्रमाण" के प्रयोजनार्थ एक विशिष्ट पहचान और डिजीटल प्लेटफार्म प्रदान करने के साथ सशक्त बनाना है। 12 अंकों का पहचान नंबर किसी निवासी को, उसके द्वारा जनसांख्यिकीय और बायोमैट्रिक जानकारी देने के साथ-साथ आधार नामांकन की प्रक्रिया से गुजरने के उपरांत जारी किया जाता है।

3.1.2 निवासियों के एक बार नामांकन होने पर, वे अपने आधार नंबर का उपयोग अधिप्रमाणन के लिए कर सकते हैं तथा आधार अधिनियम, 2016 के तहत यथा निर्धारित प्रमाणन की विभिन्न विधियों के जरिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के उपयोग या ऑफलाइन सत्यापन के द्वारा अपनी पहचान को स्थापित कर सकते हैं और इससे निवासी को प्रत्येक बार विभिन्न सेवाओं, हितलाभों और सब्सिडियों का उपयोग करने हेतु बारंबार समर्थित पहचान दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का झंझट नहीं होता है।

3.1.3 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अपने संपूर्ण डेटाबेस के समक्ष निवासियों की जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक विशेषताओं को डि-डुपलिकेट करने के उपरांत ही उनको आधार नंबर जारी करता है। आधार अधिप्रमाणन विभिन्न योजनाओं के तहत डुप्लिकेट कार्यों को दूर करता है और फलस्वरूप सरकारी राजकोष में पर्याप्त बचत होने की संभावना है। यह सरकार को लाभार्थियों के संबंध में सटीक डेटा भी उपलब्ध कराता है, प्रत्यक्ष लाभ कार्यक्रमों को सुगम बनाता है और सरकारी विभागों/सेवा प्रदाताओं को विभिन्न योजनाओं के समन्वय एवं उपयोग हेतु अनुमति प्रदान करता है। आधार लाभार्थियों के सत्यापन के संबंध में क्रियान्वयन एजेंसियों को समर्थ बनाता है तथा हितलाभों की लक्षित डिलीवरी को सुनिश्चित करता है।

3.1.4 सेवाओं के डिलीवरी तंत्र के बारे में सटीक एवं पारदर्शी जानकारी प्रदान करने में आधार प्लेटफार्म के साथ, सरकार वितरण प्रणाली में सुधार कर सकती है तथा सेवा डिलीवरी नेटवर्क में शामिल मानव संसाधन के बेहतर उपयोग सहित दुर्लभ विकास निधि का उपयोग इष्टतम रूप से कर सकती है। इसलिए, प्रभावी एवं कुशल सेवाओं की उच्च प्रवाह क्षमता, समावेशन और पूरे वर्ष उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा कभी भी, कहीं भी अधिप्रमाणन करने के लिए, भाविपप्रा ने विभिन्न इकोसिस्टम सृजित किए हैं तथा निवासियों की आवश्यकताओं का प्रबंधन करने के लिए उनका प्रचालन आधार अधिनियम एवं इसके विनियमों के अनुसार किया जाता है।

3.1.5 आधार अधिनियम, 2016 के तहत अधिसूचित विनियम निम्नवत हैं:

- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (प्राधिकरण की बैठकों में कार्य संचालन), विनियम 2016 (2016 का संख्या 1)
- आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम, 2016 (2016 का संख्या 2)
- आधार (अधिप्रमाणन) विनियम, 2016 (2016 का संख्या 3)
- आधार (डाटा सुरक्षा) विनियम, 2016 (2016 का संख्या 4)
- आधार (सूचना की सहभाजिता) विनियम, 2016 (2016 का संख्या 5)
- आधार (नामांकन एवं अद्यतन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2017 (2017 का संख्या 1)
- आधार (नामांकन एवं अद्यतन) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2017 (2017 का संख्या 2)

- आधार (नामांकन एवं अद्यतन) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2017 (2017 का संख्या 3)
- आधार (नामांकन एवं अद्यतन) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2017 (2017 का संख्या 5)
- आधार (नामांकन एवं अद्यतन) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2017 (2018 का संख्या 1)
- आधार (नामांकन एवं अद्यतन) (छठा संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का संख्या 2)
- आधार (अधिप्रमाणन सेवाओ का मूल्य-निर्धारण) विनियम, 2019 (2019 का संख्या 1)
- आधार (नामांकन एवं अद्यतन) (सातवां संशोधन) विनियम, 2019 (2019 का संख्या 3)
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2020 (2020 का संख्या 1)
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2020 (2020 का संख्या 2)

3.1.6 भाविपप्रा के ईकोसिस्टम निम्नवत हैः

- नामांकन एवं अद्यतन ईकोसिस्टम
- अधिप्रमाणन ईकोसिस्टम
- संभारिकी ईकोसिस्टम
- प्रशिक्षण, परीक्षण एवं प्रमाणन ईकोसिस्टम
- ग्राहक संबंध प्रबंधन

3.2 नामांकन एवं अद्यतन ईकोसिस्टम

3.2.1 भाविपप्रा का प्राथमिक अधिदेश आधार नामांकन होने के नाते, उसके कार्यकलापों में निवासियों के नामांकन पर विशेष ध्यान दिया गया है। आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम, 2016 के अनुसार, विशिष्ट पहचान नंबर-आधार नामांकन प्रक्रिया की शुरूआत, एक निवासी द्वारा नामांकन केंद्र में नामांकन एजेंसी को समर्थित दस्तावेजों के साथ भरा हुआ नामांकन प्रपत्र प्रस्तुत करने, जनसांख्यिकीय एवं बायोमेट्रिक डाटा देने तथा अनुलंग्नक-III में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों की सूची के अनुरूप अपनी पहचान का प्रमाण (पीओआई), पते का प्रमाण (पीओए) और जन्मतिथि के प्रमाण (पीओडीओबी) के स्वरूप स्वीकार्य दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रस्तुत करने से होती है।

3.2.2 देश भर में यूआईडीएआई रजिस्ट्रारों के रूप में बैंकों, डाक घरों, सीएससी, आधार सेवा केंद्रों (एएसके), बीएसएनएल और राज्य सरकारों द्वारा संचालित 40,000 से अधिक आधार नामांकन एवं अद्यतन केंद्र हैं। केंद्र में, नामांकन ऑपरेटर द्वारा सिस्टम में विवरण दर्ज करने के बाद, निवासी नामांकन/अद्यतन के लिए कैप्चर की गई जानकारी की सटीकता की पुष्टि करता है और प्रक्रिया पूरी होने पर नामांकन आईडी युक्त पावती पर्ची प्राप्त करता है।

3.2.3 नामांकन या अद्यतन के लिए कैप्चर की गई जानकारी को यूआईडीएआई के डेटा केंद्रों और आधार या इसके अपडेट किए गए संस्करण में क्रमशः संसाधित किया जाता है। 31 मार्च, 2020 तक यूआईडीएआई ने 125.79 करोड़ (122.22 करोड़ जीवंत आधार) से अधिक आधार जारी कर चुका है। 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आधार का परिपूर्णता स्तर 90 प्रतिशत से भी अधिक है, जबकि 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इसका परिपूर्णता स्तर 75 और 90 प्रतिशत है। आकृति 4 में 31 मार्च, 2020 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की परिपूर्णता स्थिति दर्शाई गई है।

3.2.4 जैसा कि कई राज्य पहले ही आधार परिपूर्णता प्राप्त कर चुके हैं, कार्य की मात्रा में 'नामांकन' से 'अपडेट' तक बदलाव हो गया है। लंबे समय में, इस विशिष्ट पहचान संख्या का लाभ उठाने वाले आधार और विभिन्न सेवाओं की सफलता इसके डेटाबेस की अप-टू-डेट स्थिति पर निर्भर करेगी, इस प्रकार आधार की जानकारी को अपडेट करना यूआईडीएआई के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। निवासी किसी भी आधार नामांकन केंद्र पर जाकर आधार में जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी को अपडेट कर सकते हैं। निवासी अपने घर से आराम से आधार में अपना पता भी ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। जिन निवासियों के पास आधार में

अपना पता अपडेट करने के लिए वैध प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाने वाला पता दस्तावेज नहीं है, वे यूआईडीएआई की वेबसाइट से "पता सत्यापन पत्र" प्राप्त करने के विकल्प का उपयोग कर सकते हैं, एक सुविधा जिसका उपयोग ऑनलाइन पता अपडेट करने के लिए किया जा सकता है।

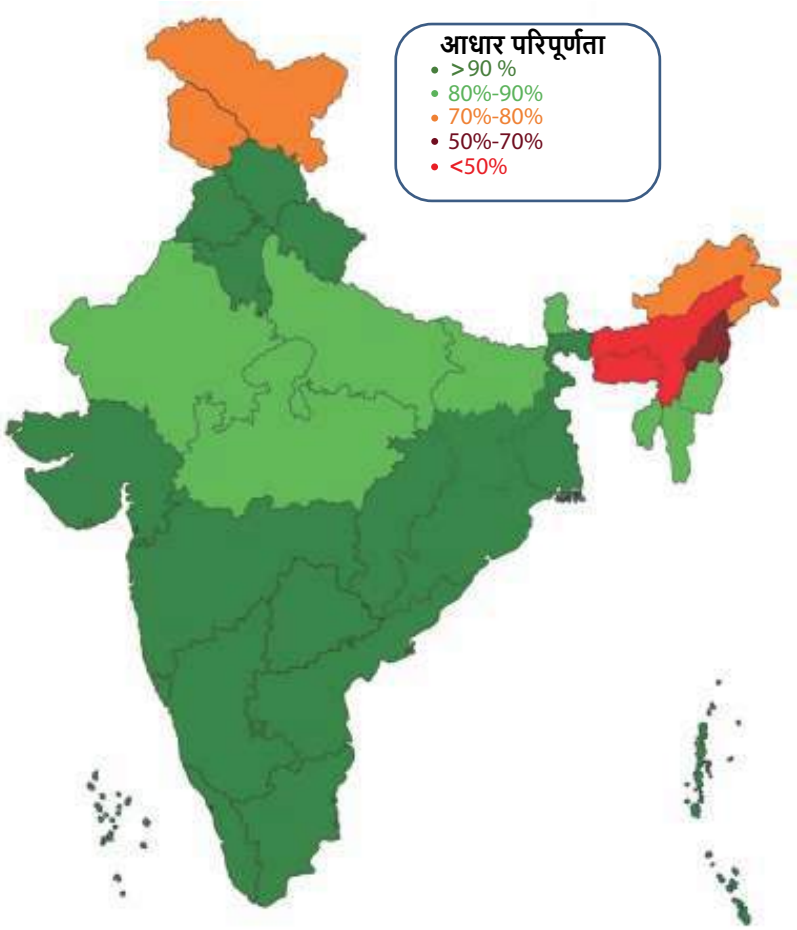

*31 मार्च, 2020 के अनुसार

आकृति 4. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आधार परिपूर्णता

3.3 नामांकन भागीदार

3.3.1. भाविपप्रा में आधार नामांकन व अद्यतन करने के लिए भागीदारों से युक्त एक ईकोसिस्टम है, जैसा कि आधार (नामांकन एंव अद्यतन) विनियम, 2016 में विर्निदिष्ट है:-

1. **रजिस्ट्रार:** कोई संस्था जो आधार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत व्यक्तियों के नामांकन के उद्देश्य से भाविपप्रा से प्राधिकृत अथवा मान्यता प्राप्त हो।

2. **नामांकन एजेंसी:** एक एजेंसी जिसे प्राधिकरण अथवा रजिस्ट्रार ने, जैसा भी मामला हो, आधार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत व्यक्तियों का जनसांख्यिकीय एवं बायोमेट्रिक विवरण प्राप्त करने के लिए नियुक्त किया हो।

3. **नामांकन केंद्र:** एक स्थायी अथवा अस्थायी केंद्र जिसकी स्थापना, नामांकन एजेंसी ने निवासियों के नामांकन एवं उनकी संबंधित सूचना को अद्यतन करने के लिए की हो।

4. **परिचायक:** ऐसे व्यक्ति जिनके पास वैध आधार हो और जिन्हें रजिस्ट्रार ने उन निवासियों को परिचय पत्र देने के लिए प्राधिकृत किया हो, जिनके पास निर्धारित सक्षम दस्तावेज नहीं हैं।

5. **प्रचालक:** नामांकन एजेंसियों द्वारा नियुक्त प्रमाणित कर्मी जिन्हें नामांकन केंद्रों में नामांकन के लिए नियुक्त किया गया हो।

6. **पर्यवेक्षक:** नामांकन एजेंसियों द्वारा नियुक्त प्रमाणित कर्मी जिन्हें नामांकन केन्द्रों के प्रचालन एवं प्रबंधन के लिए नियुक्त किया गया हो।

7. **सत्यापनकर्ता:** नामांकन केन्द्रों में दस्तावेजों के सत्यापन के लिए रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त किया गया कर्मी।

3.4 नामांकन प्रक्रिया

3.4.1 एक निवासी के लिए आधार नामांकन प्रक्रिया में नामांकन केंद्र जाकर नामांकन प्रपत्र भरना, जनसांख्यिकीय एवं बायोमेट्रिक डाटा, अपनी पहचान एवं पते और जन्मतिथि के दस्तावेज प्रस्तुत कर अपनी सूचित सहमति प्रदान करना एवं नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् नामांकन आईडी युक्त पावती प्राप्त करना शामिल है।

3.4.2 नामांकन प्रपत्र में भरे गए नामांकन डाटा को समर्थित दस्तावेजों के साथ सत्यापित किया जाता है और सिस्टम में अपलोड किया जाता है जहां डाटा विभिन्न परीक्षणों और वैधीकरण प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, जिसके बाद आधार संख्या का सृजन होता है।

स्कूल में आधार नामांकन शिविर

3.4.3 भाविपप्रा की निर्धारित नामांकन एवं अद्यतन प्रक्रिया विविध प्रकार के पहचान एवं पता और जन्मतिथि के दस्तावेजों, जिनका उल्लेख अनुलग्नक-III में किया गया है, प्रमाण के रूप में स्वीकार करती हैं। फिर भी यदि परिवार के किसी सदस्य के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है, तो भी वह परिवार पात्रता दस्तावेज में अपना नाम होने पर नामांकन करवा सकता है। ऐसे मामले में, पात्रता दस्तावेज में वर्णित परिवार के मुखिया

के पास नामांकन हेतु पहचान एवं पते और जन्मतिथि के वैध दस्तावेज होना आवश्यक है। तत्पश्चात्, परिवार का मुखिया आधार नामांकन के लिए परिवार के अन्य सदस्यों को रिश्ते का प्रमाण (प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप) दस्तावेज का परिचय दे सकता है। भाविपप्रा रिश्ते का प्रमाण (पीओआर) के रूप में अनेक दस्तावेज स्वीकार करता है, जिनका उल्लेख अनुलग्नक-III में किया गया है। यदि कोई भी वैध दस्तावेज उपलब्ध न हो तो, निवासी रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत परिचायक की सहायता प्राप्त की जा सकती है।

3.4.4 आधार नामांकन प्रक्रिया के दौरान केवल न्यूनतम जनसांख्यिकीय सूचना जैसे नाम, लिंग, आवासीय पता, जन्म तिथि एवं बायोमेट्रिक - सभी दस अंगुलियों के निशान, दोनों पुतलियों की स्कैनिंग तथा चेहरे की छवि ली जाती है।

3.4.5 इसके अलावा, वैकल्पिक तौर पर निवासी चाहे तो अपना ई-मेल एवं मोबाइल नंबर दे सकता है।

5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के मामले में केवल नाम, लिंग, जन्म तिथि एवं बच्चे के चेहरे की छवि लेकर माता-पिता में से किसी एक की आधार/नामांकन पहचान दर्ज की जाती है।

3.4.6 संक्षेप में, नामांकन के लिए तीन तरीके हैं –

दस्तावेज आधारित	परिवार मुखिया आधारित	परिचायक आधारित
पहचान से संबंधित एक वैध दस्तावेज और पते से संबंधित एक वैध दस्तावेज की प्रस्तुति	परिवार का मुखिया अपना संबंध प्रमाणित करने वाले दस्तावेज प्रस्तुत कर परिवार के शेष सदस्यों का परिचायक बन सकता है।	पहचान का वैध दस्तावेज (पीओआई) एवं पते का वैध दस्तावेज (पीओए) न होने पर किसी ऐसे परिचायक की सेवाएं प्राप्त की जा सकती है। परिचायक वह व्यक्ति होगा, जिसे रजिस्ट्रार ने नियुक्त किया हो और जिसके पास वैध आधार नंबर हो।

3.4.7 आधार एक पूर्णतः समावेशी कार्यक्रम है, अतः भाविपप्रा ने उन व्यक्तियों के लिए भी नामांकन प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं, जो किसी कारणवश अपने सभी या कुछ बायोमेट्रिक देने में असमर्थ हैं। अतएव, किसी भी निवासी को आधार से अपवर्जित नहीं रखा गया है।

3.5 आधार नामांकन प्रगति

3.5.1 सितंबर, 2010 में पहले आधार सृजन के बाद, आधार नामांकन में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई हैं एवं 31 मार्च 2020 तक 125.79 करोड़ से अधिक आधार सृजित हो चुके हैं। आधार के सफर और वर्ष-वार प्रगति को ग्राफ-1 में चित्रित किया गया है। संचयी रूप से आधार के सृजन को ग्राफ-2 में दर्शाया गया है। वर्ष 2019-20 के दौरान, माह-वार आधार सृजन को तालिका-3 में दर्शाया गया है।

3.5.2 आधार नामांकन में हुई प्रगति के आकलन के लिए, जारी किए गए आधार की संख्या की तुलना जनसंख्या के प्रतिशत से की जानी चाहिए। सरकारी जनसंख्या आंकड़े वर्ष 2011 के हैं। अतः औचित्यपरक आकलन के लिए अनुमानित जनसंख्या का उपलब्ध जनसंख्या आंकड़ों तथा जन्म एवं मृत्यु

जनसंख्या का उपलब्ध जनसंख्या आंकड़ों तथा जन्म एवं मृत्यु की दर के अनुरूप गणना करना उचित होगा। अतः 31 मार्च, 2020 तक अनुमानित जनसंख्या 135.38 करोड़ है।

3.5.3 एक आधार संख्या केवल एक बार ही जारी की जाती है तथा इसे कभी पुनः जारी नहीं किया जाता है। तथापि, वास्तविक आधार धारकों की संख्या होने वाली मृत्युओं के कारण सदैव कम ही रहेगी। इस प्रकार, "आधार - लाइव" की अवधारणा की गई है, ताकि जीवित आधार धारकों की संख्या का पता लग सके। 31 मार्च, 2020 तक जारी किए गए लाइव आधार की संख्या 122.22 करोड़ अनुमानित है। राज्यवार लाइव आधार परिपूर्णता का ब्योरा अनुलग्नक- IV पर दिया गया है।

3.5.4 प्रौढ़ आबादी में आधार ने परिपूर्णता स्तर प्राप्त कर लिया है और इस प्रकार, यूआईडीएआई का मुख्य ध्यान अब 0-5 और 5-18 वर्ष की आयु के बच्चों का नामांकन करने पर है। उपरोक्त आयु वर्ग में शेष आबादी को कवर करने के लिए, क्रमश: आंगनवाड़ियों और स्कूलों में बच्चों के नामांकन के लिए यूआईडीएआई ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राज्य शिक्षा विभाग (एसईडी) के साथ भागीदारी की है।

ग्राफ-1. वर्षवार आधार सृजन (सितंबर, 2010 से मार्च, 2020)

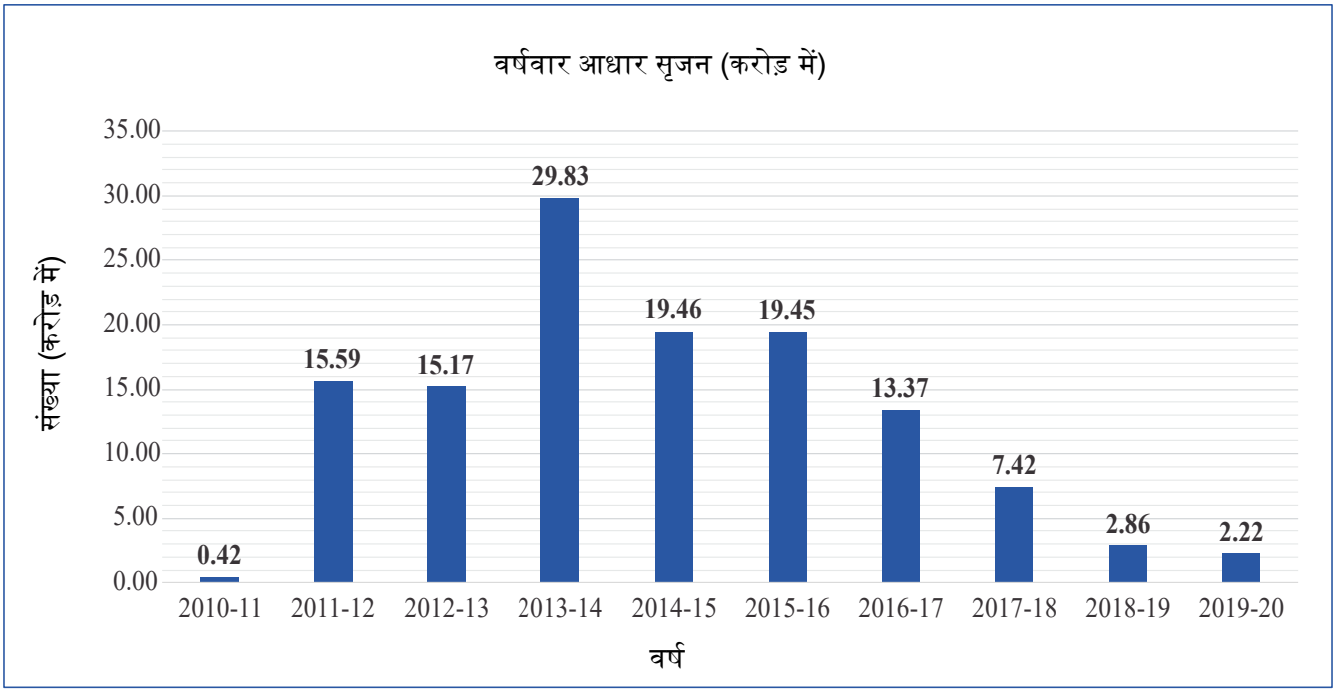

ग्राफ 2. संचयी आधार सृजन (सितंबर 2010 - मार्च 2020)

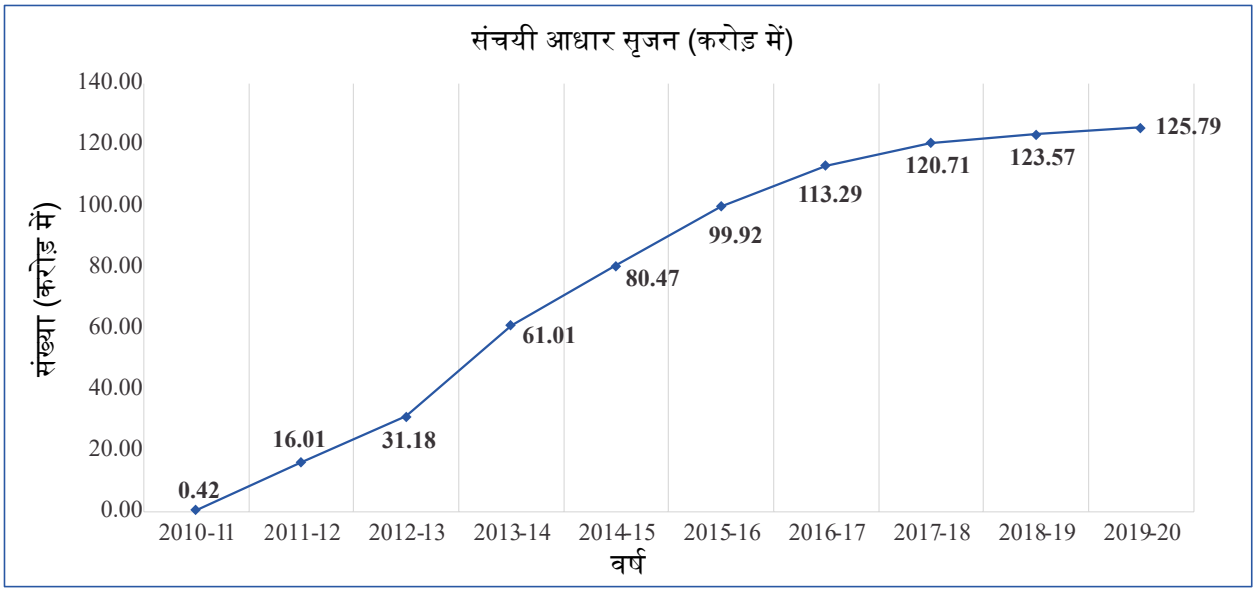

तालिका 3. माहवार आधार सृजन (2019-20)

माह	माहवार आधार सृजन (लाख में)
अप्रैल,2019	12.11
मई,2019	10.80
जून,2019	13.69
जुलाई,2019	22.05
अगस्त,2019	19.87
सितंबर,2019	15.76
अक्तूबर,2019	16.90
नवंबर,2019	20.30
दिसंबर,2019	21.52
जनवरी,2020	24.26
फरवरी,2020	22.87
मार्च,2020	22.02
योग	**222.15**

3.6 आधार डाटा अद्यतन

3.6.1 आधार संख्या किसी निवासी को जारी की जाने वाली एक जीवनपर्यन्त संख्या है। भाविपप्रा के डाटाबेस में निवासी के बायोमेट्रिक गुणों के अलावा जनसांख्यिकीय विवरण - निवासी का नाम, पता, जन्मतिथि, लिंग एवं वैकल्पिक तौर पर मोबाइल नंबर/ई-मेल का संग्रहण किया जाता है। चूंकि जनसांख्यिकीय विवरण किसी निवासी के जीवनकाल में उसके निवास परिवर्तन करने, मोबाइल नंबर बदलने, विवाह के बाद नाम परिवर्तित होने/करने इत्यादि के कारण समय के साथ ही बदलता है और बायोमेट्रिक गुण में परिवर्तन की जरूरत, 5 तथा 15 वर्ष की आयु में अद्यतन करने अथवा किसी दुर्घटना की स्थिति में ही पड़ती है। तदनुसार, आधार से जुड़े जनसांख्यिकीय एवं बायोमेट्रिक क्षेत्र का अद्यतन आवश्यक है, जिससे अधिप्रमाणन के उद्देश्य से डाटाबेस में संग्रहित सूचना की सटीकता सुनिश्चित की जा सके।

3.6.2 एक निवासी अपने आधार डाटा को निम्नलिखित उपलब्ध दो माध्यम अपडेट कर सकता है:-

- ऑनलाइन माध्यम से स्वयं सेवा अद्यतन पोर्टल (एसएसयूपी): यह एक ऑनलाइन तरीका है जिसमें समर्थित दस्तावेजों के साथ निवासी अपना डाटा अपडेट कर सकते है। इस सुविधा का उपयोगवही निवासी कर सकते हैं, जो पहले ही अपने आधार में मोबाइल नबंर दर्ज करा चुके हैं।
- आधार नामांकन एवं अपडेट केंद्र में जाने के द्वारा: कोई भी निवासी जनसांख्यिकीय या बायोमेट्रिक डेटा में अपडेट करने के लिए निर्दिष्ट बैंक की शाखाओं, डाक-घरों या अन्य सरकारी कार्यालयों में स्थित 40,000 आधार नामांकन एवं अपडेट केंद्र में से किसी पर भी जा सकता है।

3.6.3 स्थापना से 31 मार्च, 2020 तक 36.09 करोड़ जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक अद्यतन किए हैं। 2012 के बाद से वर्ष-वार आधार अद्यतन ग्राफ-3 में दर्शाया गया है।

3.6.4 निवासियों को बच्चों के आधार नामांकन और अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट करने की निःशुल्क सेवा प्रदान की जाती है। हालांकि, अन्य सेवाओं के लिए नाममात्र का शुल्क लिया जाता है, जिसे आकृति-5 में दर्शाया गया है।

ग्राफ 3. वर्षवार आधार अद्यतन

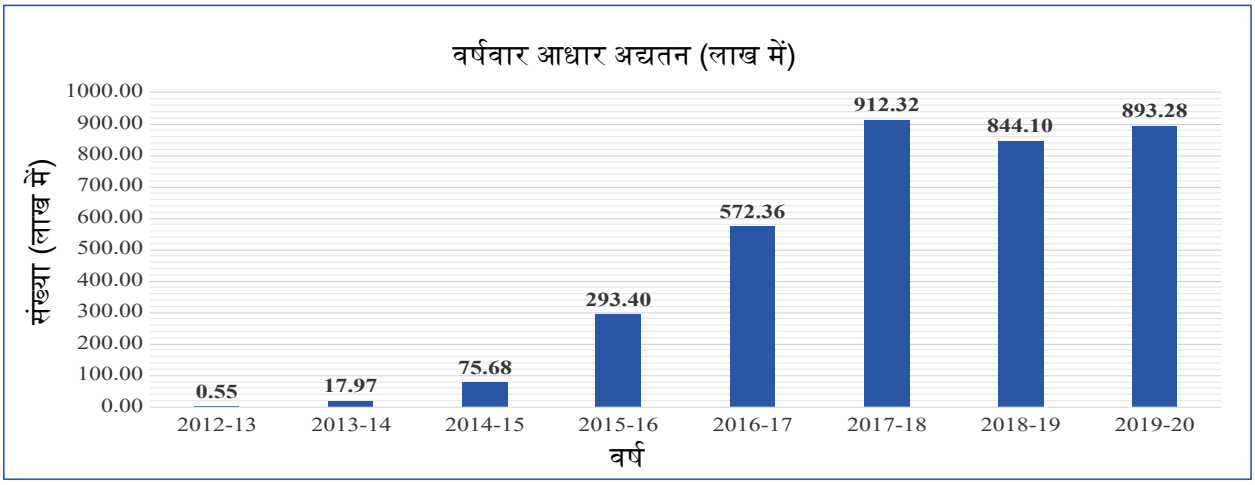

आकृति 5. विभिन्न आधार सेवाओं के लिए निवासी द्वारा देय शुल्क (31 मार्च, 2020 तक)

3.7 आधार सेवा केंद्र (एएसके)

3.7.1 भाविपप्रा ने देश भर के 108 शहरों में 178 आधार सेवा केंद्र (एएसके) स्थापित करने की योजना बनाई है, ताकि निवासियों को नामांकन और अद्यतन सेवाओं के सुरक्षित और पूर्व अपाइंटमेंट आधारित सुविधाजनक अनुभव प्रदान करने के लिए अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण और प्रबंधन के तहत सेवा के विशेष अत्याधुनिक केंद्रों को आधार के रूप में पेश किया जा सके। ये आधार सेवा केंद्र (एएसके) सप्ताह के सभी 7 दिनों में अन्य सुविधाओं के अलावा उच्च सेवा क्षमता, वातानुकूलित परिवेश, कई नामांकन काउंटर, बैठने की व्यवस्था और इलेक्ट्रॉनिक टोकन प्रणाली प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सभी आधार सेवा केंद्र (एएसके) व्हील-चेयर के अनुकूल हैं और बुजुर्गों या विशेष रूप से विकलांग/दिव्यांगों की सेवा करने के लिए इनमें विशेष प्रावधान हैं। 31 मार्च, 2020 तक 37 आधार सेवा केंद्रों (एएसके) को चालू कर दिया गया है।

3.7.2 देश के 108 शहरों में इन 178 एएसके को स्थापित करने और चलाने के लिए, भाविपप्रा ने दो सेवा प्रदाताओं को नियुक्त किया है। अनिवासी भारतीयों सहित, निवासी निम्नलिखित सेवाओं के लिए पूर्व अपाइंटमेंट के साथ अपने आस-पास के किसी भी सुविधाजनक आधार सेवा केंद्र (एएसके) का दौरा कर सकते हैं:

- आधार नामांकन
- अपने आधार में किसी भी जनसांख्यिकीय जानकारी का अद्यतन - नाम, पता, लिंग, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी
- उनके आधार में बायोमेट्रिक जानकारी का अद्यतन - फोटो, फिंगरप्रिंट और आईरिस स्केन
- डाउनलोड एवं प्रिंट आधार सेवाएं

3.8 आधार सेवाओं के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट

3.8.1 निवासियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, भाविपप्रा ने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग सुविधा शुरू की है। सभी भाविपप्रा द्वारा संचालित आधार सेवा केंद्र ऑनलाइन अपॉइंटमेंट प्रणाली का पालन करते हैं, जहां कोई भी निवासी अपनी पसंद के अनुसार आधार नामांकन के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है या आसपास के किसी भी आधार सेवा केंद्र (एएसके) में अपडेट कर सकता है। कोई भी निवासी निम्नलिखित लिंक से स्वयं या परिवार के किसी सदस्य के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है:

https://appointments.uidai.gov.in/bookappointment.aspx

3.8.2 यह एक निशुल्क सेवा है, जहां एक निवासी को आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, एक निवासी एक ही मोबाइल नंबर का उपयोग करके प्रति माह अधिकतम 4 अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है।

आधार प्रमाणीकरण निवासी के आधार नम्बर का सत्यापन करता है और साथ ही पहचान के प्रमाण के रूप में भी कार्य करता है। आधार ने औपचारिक रूप से फिंगरप्रिंट आधारित अधिप्रमाणन की शुरूआत 7 फरवरी, 2012 को तथा आईरिस आधारित अधिप्रमाणन, ओटीपी प्रमाणीकरण और ई-केवाईसी सेवाएं 24 मई, 2013 को शुरू की थी।

3.9.2 तत्पश्चात, पीडीएस, मनरेगा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम छात्रवृत्ति और एलपीजी जैसी विभिन्न योजनाओं को सेवाओं के लक्षित परिदान के लिए आधार के साथ एकीकृत किया गया। ई-केवाईसी सेवा का उपयोग आयकर रिटर्न भरने एवं पैन कार्ड जारी करने जैसे विभिन्न सरकारी अनुप्रयोगों में किया जा रहा है। ई-केवाईसी सेवा प्रदाता, आधार आधारित ई-केवाईसी का उपयोग करते हुए कागजरहित केवाईसी सेवा प्रदान कर सकते हैं तथा पेपर हैंडलिंग, स्टोरेज और जाली दस्तावेजों के जोखिम से बच सकते हैं। चूंकि आधार ई-केवाईसी वास्तविक समय पर आधारित है, यह सेवा प्रदाताओं को निवासियों हेतु सेवाओं

एएसके सेवा प्रक्रिया

3.9 अधिप्रमाणन ईकोसिस्टम

3.9.1 भाविपप्रा जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग करते हुए ऑनलाइन अधिप्रमाणन सेवा प्रदान करता है। विशिष्ट पहचान (आधार) नंबर, जो किसी निवासी की विशिष्ट रूप से पहचान करता है, व्यक्ति को देश भर में सार्वजनिक तथा/या निजी एजेंसियों को स्पष्ट रूप से अपनी पहचान स्थापित करने का साधन प्रदान करता है। ऑनलाईन

आधारित है, यह सेवा प्रदाताओं को निवासियों हेतु सेवाओं की तत्काल डिलीवरी करने में समर्थ बनाती है।

3.10 अधिप्रमाणन भागीदार

3.10.1 भाविपप्रा अधिप्रमाणन एवं ई-केवाईसी की सेवाएं अधिप्रमाणन उपयोगकर्ता एजेंसी (एयूए), ई-केवाईसी प्रयोक्ता एजेंसी (केयूए) तथा अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी (एएसए) के माध्यम से प्रदान करता है, इनकी नियुक्ति आधार

(अधिप्रमाणन) विनियम 2016 के विनियम-12 के अनुरूप की जाती है।

1. **अधिप्रमाणन उपयोगकर्ता एजेंसी (एयूए):** यूआईडीएआई, अधिप्रमाणन उपयोगकर्ता एजेंसी (एयूए) नामक अनुरोधकर्ता संस्थाओं के माध्यम से हाँ/नहीं अधिप्रमाणन सेवाएं प्रदान करता है। एयूए भारत में पंजीकृत कोई भी सरकारी/सार्वजनिक वैधानिक संस्था है, जो निवासियों/ग्राहकों को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करती हैं। एक अधिप्रमाणन उपयोगकर्ता एजेंसी (एयूए), सुरक्षित प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए एक एएसए(चाहे वह खुद हो या किसी मौजूदा एएसए की सेवाएं ले रहा हो) के माध्यम से यूआईडीएआई के डेटा केंद्र/केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी से जुड़ी होती है। 31 मार्च 2020 को 184 एयूए सक्रिय हैं। स्थापना से, 31 मार्च 2020 तक अनुरोधकर्ता संस्थाओं द्वारा 797.38 करोड़ ई-केवाईसी संव्यवहार सहित 4,010.11 करोड़ प्रमाणीकरण किए गए हैं।

   वर्ष-वार और संचयी रूप से आधार अधिप्रमाणन संव्यवहार को तालिका-4, ग्राफ-4 एवं ग्राफ-5 में दर्शाया गया है। इसी प्रकार, वर्ष 2019-20 के दौरान माह-वार आधार प्रमाणन संव्यवहारों को तालिका-5 में दर्शाया गया है।

2. **ई-केवाईसी उपयोगकर्ता एजेंसी (केयूए):** केयूए एक अनुरोधकर्ता संस्था है, जो एक एयूए होने के अलावा, ई-केवाईसी अधिप्रमाणन सेवाओं का उपयोग करती है। 31 मार्च, 2020 तक, 170 केयूए संस्थाएं आधार प्लेटफार्म पर सक्रिय हैं तथा स्थापना से 31 मार्च, 2020 तक, 797.38 करोड़ ई-केवाईसी संव्यवहारों को निष्पादित किया जा चुका है।

3. **अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी (एएसए):** एएसए एक ऐसी एजेंसी है जिसकी सीआईडीआर के साथ सुरक्षित लीज्ड लाइन कनेक्टिविटी होती है। वे सीआईडीआर के साथ स्थापित सुरक्षित कनेक्शन के जरिए सक्षमकर्ता मध्यस्थों की भूमिका निभाते हैं। एएसए, एयूए के प्रमाणीकरण अनुरोधों को सीआईडीआर को प्रेषित करते हैं तथा सीआईडीआर की प्रतिक्रिया को एयूए को वापस प्रेषित करते हैं। 31 मार्च, 2020 तक 23 एएसए सक्रिय हैं।

3.10.2 आधार समर्थित सेवाओं की एक रेंज के साथ, केंद्र और राज्य सरकार के विभागों ने डेटाबेसों के डि-डुप्लिकेशन में और सेवाओं की डिलीवरी में आधार के उपयोग हेतु एप्लिकेशनों का निर्माण किया है तथा आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर का सृजन किया है। आधार के उपयोग ने विभिन्न सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं की सेवाओं की डिलीवरी के सुधार में सहायता की है तथा उनकी जवाबदेही एवं पारदर्शिता में वृद्धि हुई है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, अवसंरचना और आधार उपयोगी एप्लिकेशनों का विकास करने में विभिन्न केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों के साथ निकट समन्वय में कार्य कर रहा है। यूआईडीएआई राज्य सरकारों को मौजूदा प्रक्रियाओं की री-इंजीनियर कर आधार के साथ एकीकृत करने और नामांकन किटों की खरीद के लिए आईसीटी अवसंरचना हेतु सहायता प्रदान करता है।यूआईडीएआई परियोजना के शुरू होने से लेकर 31 मार्च, 2020 तक 28 राज्यों, 07 संघ राज्य-क्षेत्रों, 03 विभागों और 02 केंद्रीय मंत्रालयों को 442.37 करोड. रुपए की आईसीटी सहायता प्रदान की गई है।

3.11 आधार अधिप्रमाणन सेवाएं

3.11.1 आधार अधिप्रमाणन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आधार नंबर को, अन्य विशेषताओं के साथ (जनसांख्यिकीय/बायोमैट्रिक/ओटीपी) यूआईडीएआई के केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी (सीआईडीआर) को सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाता है। सीआईडीआर सत्यापन करता है कि क्या प्रस्तुत डेटा सीडीआईआर में उपलब्ध डेटा से मेल खाता है या नहीं और तत्पश्चात वह "हाँ/नहीं" में अपना प्रत्युत्तर देता है। प्रतिक्रिया के रूप में कोई व्यक्तिगत पहचान सूचना नहीं दी जाती है। प्रमाणीकरण का उद्देश्य निवासियों को उनकी पहचान

सुनिश्चित करने के लिए समर्थ बनाना है कि सेवा प्रदाता यह पुष्टि कर सकें कि 'ये वही हैं जो वे कह रहे हैं' जिन्हें सेवाएं एवं हितलाभ दिए जाने हैं। आधार ई-केवाईसी, एक अन्य प्रकार की प्रमाणीकरण सेवा है जिसमें यूआईडीएआई उसके सीआईडीआर में संचित डेटा के समक्ष इनपुट मानदंडों को विधिमान्य करता है तथा एन्क्रिप्टेड ई-केवाईसी डेटा के साथ डिजीटल रूप से हस्ताक्षरित ई-केवाईसी प्रमाणन प्रतिक्रिया देता है।

3.11.2 अधिप्रमाणन के प्रकार

प्राधिकरण द्वारा दो प्रकार की अधिप्रमाणन सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, नामतः

1. **"हाँ/नहीं" अधिप्रमाणनः** यूआईडीएआई ने फरवरी, 2012 में "हाँ/नहीं" अधिप्रमाणन सेवा शुरू की जिसमें अनुरोधकर्ता संस्था आधार तथा जनसांख्यिकीय एवं/या बायोमेट्रिक सूचना तथा/अथवा आधार नंबर धारक द्वारा प्रदत्त ओटीपी एन्क्रिप्टेड फार्मेट में भेजती है। यूआईडीएआई प्राप्त मानदंडों को अपने पास संचित डेटा से विधिमान्य करता है तथा वापसी में हाँ अथवा नहीं प्रतिक्रिया देता है।

तालिका 4. वर्षवार एवं संचयी अधिप्रमाणन संव्यवहार

वर्ष	अधिप्रमाणन संव्यवहार(करोड़ में)	संचयी संव्यवहार(करोड़ में)
2012-13	0.24	0.24
2013-14	6.45	6.69
2014-15	34.04	40.73
2015-16	109.81	150.54
2016-17	403.64	554.18
2017-18	1,261.92	1,816.10
2018-19	1,080.47	2,896.57
2019-20	1,113.54	4,010.11

ग्राफ 4. वर्षवार आधार अधिप्रमाणन संव्यवहार

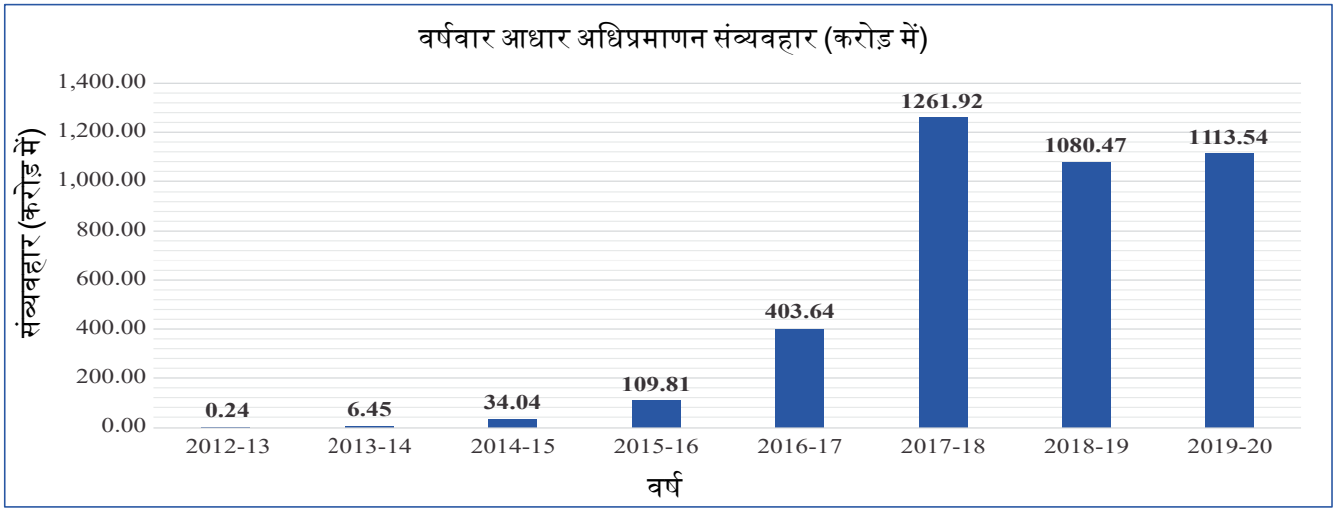

ग्राफ 5. संचयी अधिप्रमाणन संव्यवहार

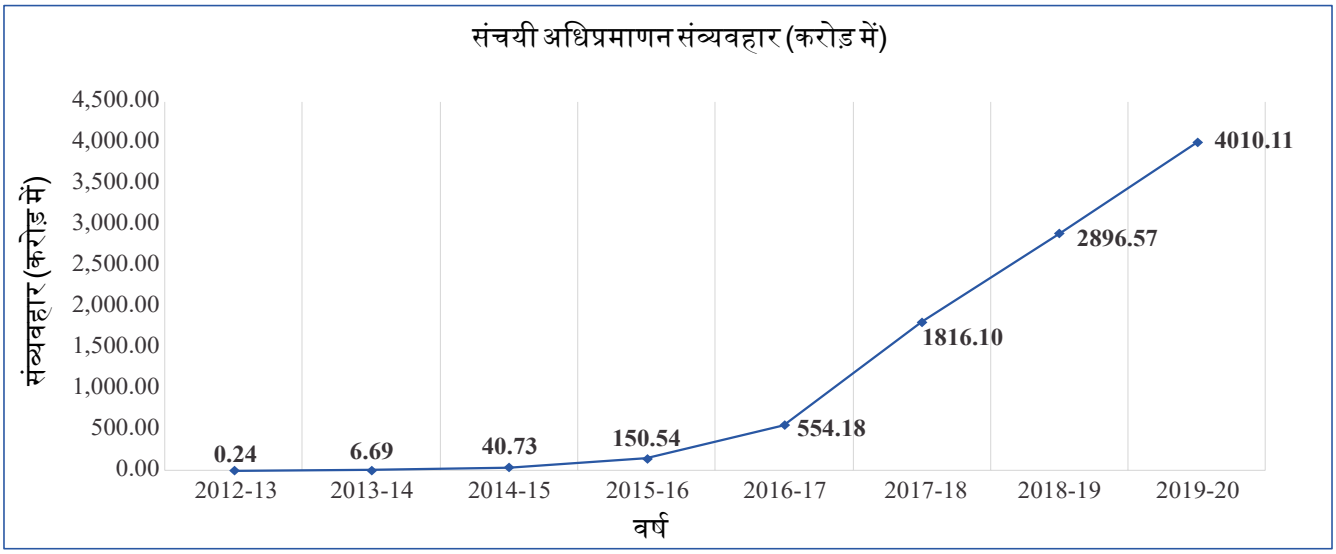

तालिका 5. माहवार अधिप्रमाणन संव्यवहार (2019-20)

माह	अधिप्रमाणन संव्यवहार (करोड़ में)
अप्रैल, 2019	75.42
मई, 2019	74.55
जून, 2019	81.14
जुलाई, 2019	94.73
अगस्त, 2019	97.75
सितंबर, 2019	98.09
अक्तूबर, 2019	87.95
नवंबर, 2019	98.27
दिसंबर, 2019	105.03
जनवरी, 2020	107.37
फरवरी, 2020	112.68
मार्च, 2020	80.56
योग	**1,113.54**

2. **ई-केवाईसी अधिप्रमाणनः** यूआईडीएआई ने मई, 2013 में ई-केवाईसी अधिप्रमाणन सेवा शुरू की, जिसमें अनुरोधकर्ता संस्था आधार तथा जनसांख्यिकीय एवं/या बायोमैट्रिक सूचना तथा/अथवा आधार नंबर धारक द्वारा प्रदत्त ओटीपी एन्क्रिप्टेड फार्मेट में भेजती है। यूआईडीएआई प्राप्त मानदंडों को अपने पास संचित डेटा से विधिमान्य करता है तथा वापसी में एन्क्रिप्टेड ई-केवाईसी डेटा के साथ डिजीटल रूप से हस्ताक्षरित ई-केवाईसी प्रमाणन प्रतिक्रिया देता है। वर्ष-वार और संचयी रूप से ई-केवाईसी संव्यवहार को तालिका-6, ग्राफ-6 एवं ग्राफ-7 में दर्शाया गया है। इसी प्रकार, वर्ष 2019-20 के दौरान माह-वार आधार अधिप्रमाणन संव्यवहारों को तालिका-7 में दर्शाया गया है।

तालिका 6. वर्षवार एवं संचयी ई-केवाईसी संव्यवहार

वर्ष	ई-केवाईसी संव्यवहार (करोड़ में)	संचयी संव्यवहार (करोड़ में)
2013-14	0.01	0.01
2014-15	2.98	2.99
2015-16	5.43	8.42
2016-17	108.60	117.02
2017-18	384.96	501.97
2018-19	205.99	707.97
2019-20	89.41	797.38

ग्राफ 6. वर्षवार ई-केवाईसी संव्यवहार

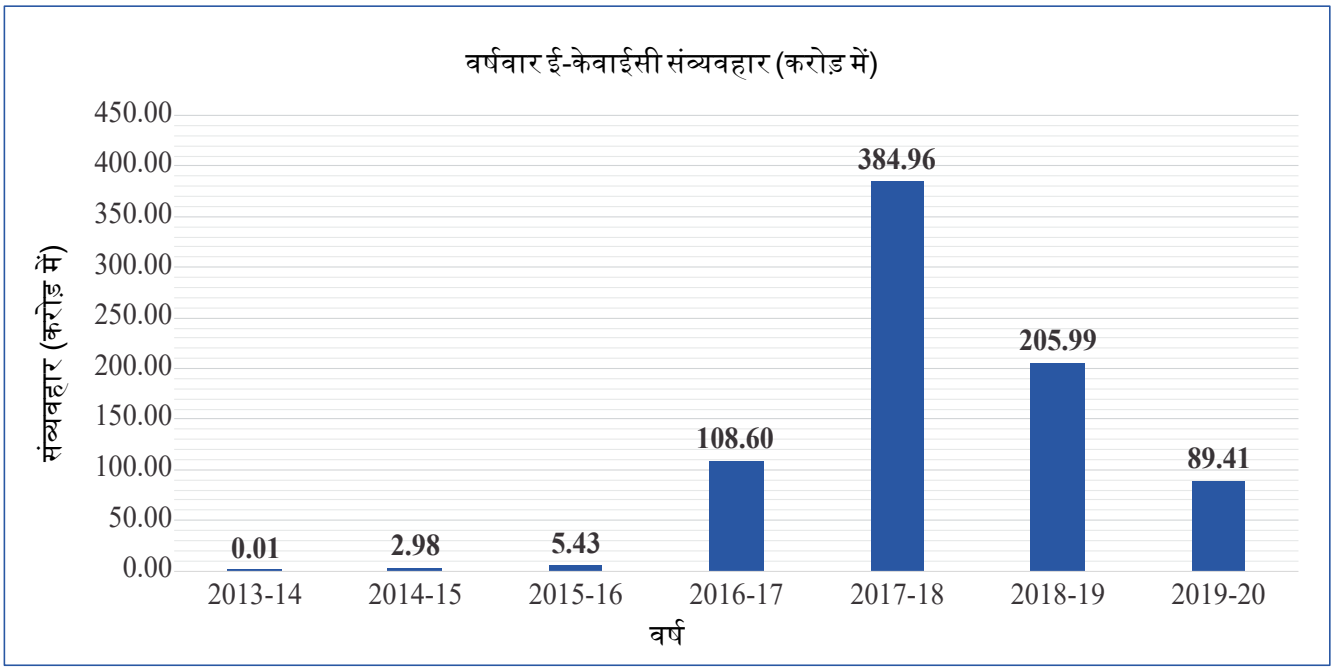

ग्राफ 7. संचयी ई-केवाईसी संव्यवहार

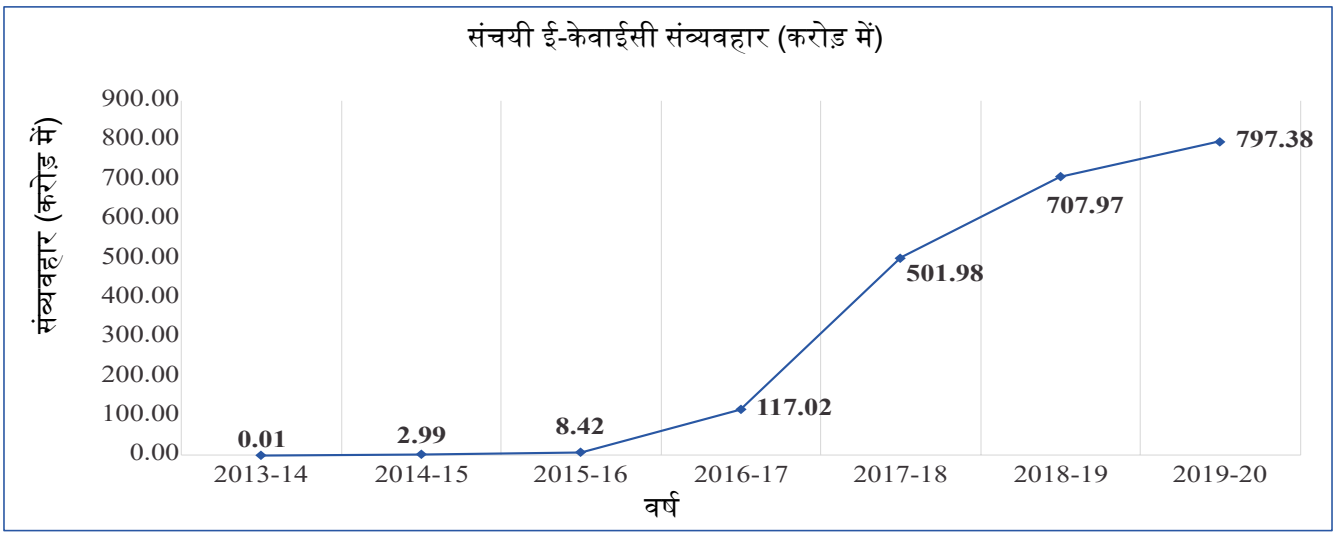

तालिका 7. माहवार ई-केवाईसी संव्यवहार (2019-20)

माह	ई-केवाईसी संव्यवहार (करोड़ में)
अप्रैल, 2019	3.80
मई, 2019	4.11
जून, 2019	6.84
जुलाई, 2019	8.06
अगस्त, 2019	9.18
सितंबर, 2019	8.09
अक्तूबर, 2019	7.47
नवंबर, 2019	8.92
दिसंबर, 2019	8.84
जनवरी, 2020	8.33
फरवरी, 2020	9.23
मार्च, 2020	6.54
योग	**89.41**

3.11.3 अधिप्रमाणन की विधियां

यूआईडीएआई अधिप्रमाणन के विभिन्न तरीके प्रदान करता है। जैसे जनसांख्यिकीय, बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट और आईरिस), ओटीपी और बहु-कारक अधिप्रमाणन। किसी अधिप्रमाणन अनुरोध पर प्राधिकरण द्वारा विचार केवल आधार (अधिप्रमाणन) विनियम, 2016 के अनुसार तथा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विनिर्देशनों के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक रूप में अनुरोधकर्ता संस्था द्वारा अनुरोध भेजने पर ही किया जाता है। अधिप्रमाणन को निम्नलिखित विधियों के जरिए क्रियान्वित किया जा सकता है:

1. **जनसांख्यिकीय अधिप्रमाणनः** आधार संख्या धारक से प्राप्त आधार संख्या और जनसांख्यिकीय जानकारी का मिलान केंद्रीय डाटा पहचान रिपॉजिटरी (सीआईडीआर) में दर्ज आधार संख्या धारक की जनसांख्यिकीय जानकारी से किया जाता है।

2. **एकल प्रयोग पिन (ओटीपी) आधारित अधिप्रमाणनः** सीमित समय वैधता के साथ एक एकल प्रयोग पिन (ओटीपी) आधार संख्या धारक के पंजीकृत मोबाइल नंबर या ई-मेल पर भेजा जाता है या अन्य उपयुक्त माध्यमों से उत्पन्न किया जाता है। आधार संख्या धारक को अधिप्रमाणन के लिए अपने आधार नंबर के साथ यह ओटीपी देना होता है और इस ओटीपी का मिलान प्राधिकरण द्वारा दिए गए ओटीपी से कर अधिप्रमाणन किया जाता है।

3. **बायोमेट्रिक-आधारित अधिप्रमाणनः**आधार संख्या धारक द्वारा प्रस्तुत आधार संख्या और बायोमेट्रिक जानकारी का मिलान सीआईडीआर में दर्ज आधार नंबर धारक की बायोमेट्रिक जानकारी से किया जाता है। इसके लिए दी गई बायोमेट्रिक जानकारी, जो फिंगरप्रिंट-आधारित या आंखों की पुतलियों आधारित या अन्य बायोमेट्रिक आधारित हो सकती है, का मिलान सीआईडीआर में संग्रहित बायोमेट्रिक जानकारी से किया जाता है।

4. **बहु-कारक अधिप्रमाणन:** अधिप्रमाणन के लिए उपरोक्त में से दो या अधिक विधियों का संयोजन किया जा सकता है।

3.11.4 अनुरोधकर्ता संस्था द्वारा अधिप्रमाणन के लिए उपलब्ध किसी भी विधि अथवा सुरक्षा में बढ़ोतरी के लिए विविध अधिप्रमाणन विधियों का उपयोग व्यावसायिक कार्यकलाप/संव्यवहार के लिए अपनी आवश्यकताओं के अनुसार किया जा सकता है।

3.11.5 अपवाद संचालन

आधार (प्रमाणीकरण) विनियम 2016 के विनियम 14 (1)(7) के अनुसार, सभी अनुरोधकर्ता संस्थाओं को आधार नंबर धारक को प्रमाणीकरण सेवाओं के निर्बाध प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए अपवाद-संचालन तंत्र और बैक-अप पहचान अधिप्रमाणन तंत्र को लागू करना आवश्यक है।

3.12 प्रमुख पहलें

3.12.1 **एल1 पंजीकृत उपकरणः**डेटा की सुरक्षा में संवर्धन हेतु, यूआईडीएआई ने सभी बायोमेट्रिक प्रमाणन अनुरोधों के लिए पंजीकृत उपकरणों (आरडी) के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है। फील्ड में एल ज़ीरो (L0) पंजीकृत उपकरणों के सफलतापूर्वक स्थानांतरण के उपरांत, यूआईडीएआई ने एल1 पंजीकृत उपकरणों की अवधारणा को शुरू किया। एल1 पंजीकृत उपकरणों में, हस्ताक्षर एवं बायोमेट्रिक के एन्क्रिप्शन को ऐसे ट्रस्टेड एग्जीक्यूशन एन्वायरमेंट (टीईई) के तहत लागू किया जाता है, जहां होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम (ओएस) के पास प्राइवेट कुंजी प्राप्त करने या बायोमेट्रिक इंजेक्ट करने का कोई तंत्र नहीं है। एल1 पंजीकृत उपकरणों में, प्राइवेट कुंजियों का प्रबंधन पूर्णतया टीईई के अंतर्गत किए जाने की आवश्यकता है। एल 1 आरडी की प्रमाणन प्रक्रिया शुरू हो गई है।

3.12.2 **आधार कागजरहित ऑफलाइन ई-केवाईसीः** यूआईडीएआई ने आधार नंबर धारक की बिना प्रमाणीकरण के पहचान को सत्यापित करने की प्रक्रिया शुरू की है। आधार कागजरहित ऑफलाइन ई-केवाईसी डिजीटल रूप

से हस्ताक्षरित एक सुरक्षित दस्तावेज है, जिसमें नाम, पता, फोटो, लिंग, जन्मतिथि, पंजीकृत मोबाइल नंबर का हैश, पंजीकृत ईमेल पते का हैश और संदर्भ आईडी (समय की मुहर के साथ आधार के अंतिम 4 अंक) जैसा ब्योरा अंतर्निहित होता है। आधार नंबर धारक इस दस्तावेज को यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाऊनलोड कर सकता है तथा ऑफलाइन आधार सत्यापन चाहने वाली संस्थाओं को परस्पर सुविधा के अनुसार शेयर कोड के साथ (4 अक्षर का कोड) दस्तावेज को शेयर कर सकता है।

3.12.3 **आधार लॉक/अनलॉकः** आधार नंबर की सुरक्षा और बढ़ाने के लिए, यूआईडीएआई ने आधार नंबर को लॉक एवं अनलॉक करने की एक सुविधा शुरू की है, जो आधार नंबर धारक को अपने आधार नंबर को 'लॉक एवं अनलॉक' करने का विकल्प प्रदान करता है। लॉक्ड आधार के मामले में, अनुरोधकर्ता संस्थाएं आधार नंबर के उपयोग द्वारा प्रमाणन (बायोमेट्रिक/जनसांख्यिकीय/ओटीपी) का निष्पादन नहीं कर सकेंगी। हालांकि, अनुरोधकर्ता संस्थाएं लॉक्ड आधार नंबर की वर्चुअल आईडी के उपयोग द्वारा प्रमाणन कार्य कर सकेंगी। आधार नंबर धारक यूआईडीएआई वेबसाइट, एसएमएस एवं एमःआधार मोबाइल एप्लिकेशन जैसे विभिन्न साधनों के जरिए अपने आधार नंबर को लॉक कर सकते हैं।

3.12.4 **आधार सुरक्षित क्यूआर कोडः** आधार सुरक्षित क्यूआर कोड, ऑफलाइन सत्यापन के लिए यूआईडीएआई द्वारा प्रदत्त एक तीव्र प्रतिक्रिया कोड है, जिसमें नाम, पता, फोटो, लिंग, जन्मतिथि, पंजीकृत मोबाइल नंबर का हैश, पंजीकृत ईमेल पते का हैश और संदर्भ आईडी (समय की मुहर के साथ आधार के अंतिम 4 अंक) जैसा ब्योरा भी अंतर्निहित होता है। डिजीटल रूप से हस्ताक्षरित क्यूआर कोड ई-आधार, आधार पत्र, एम-आधार में उपलब्ध है। आधार सुरक्षित क्यूआर कोड को एंड्रॉयड/आईओएस/विंडो रीडर एप्लिकेशन या क्यूआर कोड स्कैनर के उपयोग द्वारा स्कैन किया जा सकता है।

3.13 संभारिकी ईकोसिस्टम

यूआईडीएआई के संभारिकी प्रभाग को निवासियों के आधार पत्र के मुद्रण एवं वितरण का कार्य सौंपा गया है। नये नामांकन, जनसांख्यिकीय अपडेट (मोबाइल एवं ईमेल को छोड़कर) तथा पुनर्मुद्रण के मामले में आधार पत्र का मुद्रण करके निवासियों को प्रेषित किया जाता है। यूआईडीएआई ने 01 दिसंबर, 2018 से एक प्रीमियम सशुल्क, नामतः, 'आदेश आधार पुनर्मुद्रण (ओएआर)' को शुरू किया है।

3.14 आधार पत्र का मुद्रण और वितरण

3.14.1 आधार के एक बार सृजित होने पर, यह सुनिश्चित किया जाए कि उसका मुद्रण और निवासी को उसकी वितरण स्वीकार्य समय-सीमा में हो जाए। प्रत्येक आधार पत्र में उसका मुद्रण, फोटोग्राफ के साथ लैमिनेटेड दस्तावेज, जन्म-तिथि, निवासी की जनसांख्यिकीय सूचना, आधार नंबर (यूआईडी) और सुरक्षित तीव्र प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड शामिल है, जिसमें ऑफलाइन सत्यापन के लिए यूआईडीएआई के डिजीटल हस्ताक्षर सहित फोटोग्राफ एवं जनसांख्यिकीय ब्योरा निहित होता है।

3.14.2 आधार पत्र 13 विभिन्न भाषाओं में मुद्रित किया जाता है। निवासियों को उनके द्वारा नामांकन/अपडेट के समय दिए गए पतों पर आधार पत्रों की वितरण का भागीदार डाक विभाग है। यूआईडीएआई नये नामांकन और अद्यतन मामलों के लिए आधार पत्रों को भेजता है। स्थापना के बाद से अब तक, 124.87 करोड़ आधार पत्र मुद्रित कर इंडिया पोस्ट के माध्यम से निवासियों को फर्स्ट क्लास डिजिटली फ्रैंकेड आर्टिकल्स के रूप में प्रेषित किए गए हैं। इसके अलावा, 24.78 करोड़ अपडेट किए गए आधार पत्रों को 31 मार्च 2020 तक इंडिया पोस्ट के माध्यम से निवासियों को प्रथम श्रेणी के डिजिटल रूप से चिह्नित लेखों के रूप में भेज दिया गया है (ईमेल/मोबाइल के अपडेट को छोड़कर)।

3.15 ई-आधार

3.15.1 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने यूआईडीएआई की वेबसाइट (www.uidai.gov.in) से पीडीएफ फार्मेट में आधार पत्र डाऊनलोड करने के लिए नवंबर, 2012 में ई-आधार पोर्टल को शुरू किया। ई-आधार, आधार पत्र का एक इलेक्ट्रॉनिक रूप है, जो यूआईडीएआई की वेबसाइट के आधार पोर्टल से डाऊनलोड करने योग्य है। यह एक वैध और सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है, जो मुद्रित आधार पत्र के समतुल्य है।

3.15.2 ई-आधार में एक सुरक्षित तीव्र प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड भी निहित है, जो यूआईडीएआई द्वारा डिजीटल रूप से हस्ताक्षरित है और उसे स्कैन करने पर उसमें आधार धारक का फोटोग्राफ एवं जनसांख्यिकीय ब्योरा प्रदर्शित होता है। आधार प्रणाली में, निवासी के ब्योरे को स्थापित ऑनलाइन अधिप्रमाणन प्रक्रिया या क्यूआर कोड एवं ऑफलाइन एक्सएमएल की सहायता से ऑफलाइन सत्यापन के जरिए सत्यापित किया जा सकता है। इसलिए, ई-आधार पहचान का एक स्वीकार्य वैध प्रमाण है। 31 मार्च, 2020 तक, 105.84 करोड़ ई-आधार डाऊनलोड किए गए हैं।

3.16 आदेश आधार पुनर्मुद्रण (ओएआर) सेवाएं

3.16.1 यूआईडीएआई ने 1 दिसंबर, 2018 से निवासियों को उनके आधार पुनर्मुद्रण की सुविधा मुहैया कराने के लिए 50/- रुपए के नाममात्र शुल्क, जिसमें स्पीड पोस्ट डिलीवरी का खर्च भी शामिल है, के साथ अपनी वेबसाइट uidai.gov.in के जरिए ऑनलाइन आधार आदेश (ओएआर) सेवा शुरू की है।

3.16.2 निवासी द्वारा आधार पत्र के गुम होने या उसके द्वारा नया आधार पत्र चाहने की स्थिति में, निवासी ऑनलाइन 50/- रुपए के भुगतान द्वारा यूआईडीएआई की वेबसाइट पर आदेश आधार पुनर्मुद्रण कर सकता है। यह यूआईडीएआई द्वारा शुरू की गई एक प्रीमियम सेवा है, जिसमें ओएआर पत्रों को भारतीय डाक की स्पीड पोस्ट सेवा द्वारा भेजा जाता है। 31 मार्च, 2020 तक, यूआईडीएआई ने 57 लाख ओएआर पत्रों का प्रेषण किया है।

3.17 प्रशिक्षण, परीक्षण और अधिप्रमाणन ईकोसिस्टम

3.17.1 किसी कार्यक्रम की सफलता के लिए, विशेषकर आधार जैसे बड़े पैमाने पर, यह अनिवार्य है कि नामांकन के दौरान संग्रहित डेटा की गुणवत्ता पर पर्याप्त बल दिया जाए। इसके अतिरिक्त, यह समान रूप से महत्वपूर्ण है कि आधार डेटा का कैप्चर और उपयोग करने वाले लोगों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाए। इसे सुनिश्चित करने के लिए, यूआईडीएआई ने एक प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रमाणीकरण ईकोसिस्टम का सृजन करने के लिए तत्परतापूर्वक कार्य किया है। इस ईकोसिस्टम में अंतर्वस्तु विकास एजेंसी तथा परीक्षण एवं अधिप्रमाणन एजेंसी शामिल है।

3.17.2 आधार नामांकन एवं अपडेट के समय संग्रहित डेटा की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए, यूआईडीएआई ने केवल प्रमाणित ऑपरेटरों, पर्यवेक्षकों और बाल नामांकन लाइट क्लाइंट (सीईएलसी) ऑपरेटरों को नियुक्त किया है। आधार नामांकन/अपडेट में शामिल सभी हितधारकों के पर्याप्त एवं प्रभावी प्रशिक्षण के लिए यूआईडीएआई द्वारा मेगा प्रशिक्षण एवं अधिप्रमाणन शिविरों और पुनश्चर्या/अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यप्रणालियों को अपनाया गया है। इसके फलस्वरूप, सभी राज्यों में नामांकन एवं अद्यतन के कार्य को सुव्यवस्थित ढंग में आयोजित किया गया। साथ ही, सेवाओं की डिलीवरी में विभिन्न सरकारी संगठनों में आधार के उपयोग को बढ़ाने के लिए, आधार सीडिंग, अधिप्रमाणन एवं ई-केवाईसी पर सरकारी अधिकारियों के लिए मास्टर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

- **सीडिंग, अधिप्रमाणन और ई-केवाईसी पर मास्टर प्रशिक्षण:** प्रशिक्षण की अंतर्वस्तु में आधार सीडिंग, अधिप्रमाणन एवं ई-केवाईसी में प्रमुख प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है। वर्ष के दौरान आधार सीडिंग और अधिप्रमाणन पर कुल 22 मास्टर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं, जिसमें 1337 सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

- **मेगा प्रशिक्षण एवं अधिप्रमाणन शिविरः** यूआईडीएआई मेगा प्रशिक्षण एवं अधिप्रमाणन शिविरों के जरिए एक अभ्यास आयोजित करता है, ताकि नामांकन की निर्बाध गति सुनिश्चित करने के लिए अभिप्रमाणित ऑपरेटरों/पर्यवेक्षकों का एक बड़ा पूल बनाया जा सके। 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 के दौरान आधार नामांकन पर कुल 192 मेगा प्रशिक्षण एवं अधिप्रमाणन शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 8,107 लोगों को प्रशिक्षित एवं प्रमाणित किया गया।
- **अभिविन्यास कार्यक्रमः** नए नियुक्त किए गए नामांकन कर्मचारियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ताकि वे नामांकन प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो सकें। यूआईडीएआई ने वर्ष के दौरान 333 सत्र किए, जिसमें 10,654 व्यक्तियों ने भाग लिया।
- **पुनश्चर्या कार्यक्रम:** प्रमाणित नामांकन कर्मचारियों को आधार प्रक्रियाओं में शामिल परिवर्तनों को समझने के लिए, कई पुनश्चर्या कार्यक्रम और प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। वर्ष के दौरान, 527 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 23,502 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया।

भाविपप्रा द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान उपयोग में लाई गई प्रशिक्षण डिलीवरी विधियों के विभिन्न प्रकारों का सारांश तालिका 8 में प्रस्तुत किया गया है

3.17.3 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, 8.92 लाख से ऊपर नामांकन ऑपरेटरों, पर्यवेक्षकों और सीईएलसी ऑपरेटरों को प्रमाणित किया गया। इसमें प्राइवेट/पीएसयू बैंकों से 4,322, डाक विभाग से 5,302, शिक्षा विभाग से 5,053, स्वास्थ्य विभाग से 582 और बीएसएनएल और अन्य विभागों/मंत्रालयों से 10,737 कार्मिकों का प्रमाणीकरण किया जाना शामिल है।

तालिका 8. प्रदत्त प्रशिक्षण का विवरण (2019-20)

क्र.सं.	प्रशिक्षण का स्वरूप	प्रतिभागी	सत्रों की संख्या	प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या
1.	सीडिंग, अधिप्रमाणन एवं ई-केवाईसी के लिए मास्टर प्रशिक्षण	सरकारी कर्मी तथा अधिप्रमाणन एजेंसी कर्मचारी	22	1,337
2.	मेगा प्रशिक्षण तथा अधिप्रमाणन कार्यक्रम	नामांकन कर्मचारी बनने के इच्छुक सरकारी कर्मी	192	8,107
3.	अभिविन्यासकार्यक्रम	नए/अप्रशिक्षित नामांकन कर्मचारी	333	10,654
4.	पुनश्चर्या कार्यक्रम	विद्यमान नामांकन कर्मचारी	527	23,502
	योग		**1,074**	**43,600**

3.18 ग्राहक संबंध प्रबंधन

3.18.1. ग्राहक संबंध प्रबंधन भाविपप्रा के लिए मूल महत्व का कार्य रहा है। आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम, 2016 की धारा 32, अध्याय 6 (शिकायत निवारण तंत्र व्यवस्था) में प्राधिकरण (भाविपप्रा) को निवासियों द्वारा की जाने वाली पूछताछ एवं शिकायतों के निवारण के समाधान के लिए केंद्रीय संपर्क बिंदु की तरह एक संपर्क केंद्र की स्थापना करनी है, जहां टोल फ्री नंबरों तथा/अथवा ईमेल, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट हो, के माध्यम से निवासियों को संपर्क करने की सुविधा उपलब्ध हो। ऐसे संपर्क केंद्रों मेः-

- निवासियों द्वारा की जाने वाली पूछताछ अथवा शिकायतें दर्ज करने की व्यवस्था की जाएगी तथा निवासियों को मामले का समाधान होने तक के लिए एक विशिष्ट संदर्भ संख्या उपलब्ध कराई जाएगी।
- सहायता यथासंभव क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध करवाई जाएगी।
- निवासियों से उनकी पहचान के संबंध में प्राप्त किसी भी सूचना की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
- प्राधिकरण द्वारा इस उद्देश्य से निर्धारित की गई प्रक्रियाओं तथा प्रक्रिया विधि का अनुपालन किया जाएगा।

3.19 आधार सहायता सेवाएं - आधार संपर्क केंद्र

3.19.1. भाविपप्रा द्वारा आधार जीवन क्रम एवं संबद्ध सेवाओं के संबंध में निवासियों द्वारा की जाने वाली पूछताछ तथा शिकायतों के निवारण में सहायता के लिए आधार संपर्क केंद्र अथवा संपर्क केंद्र स्थापित किए गए हैं। आधार संपर्क केंद्रों का प्रमुख उद्देश्य निम्नवत है -

- अखिल भारतीय स्तर पर संपर्क साधन के लिए टोल फ्री नंबर तथा ईमेल उपलब्ध करवाना, जिसके उपयोग से निवासी आधार संपर्क केंद्र से संपर्क स्थापित कर सकते हैं।
- भारत के प्रत्येक भाग से की जाने वाली पूछताछ एवं शिकायतों के लिए बहु क्षेत्रीय भाषी सहायता उपलब्ध करवाना।
- आधार संपर्क केंद्र में फोन करने वाले निवासियों के लिए इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पोंस सिस्टम (आईवीआरएस) उपलब्ध कराना।
- निवासियों को उनकी इच्छानुसार आधार संपर्क केंद्र कर्मियों के साथ बात करने की सुविधा प्रदान करना।
- निवासी अपनी शिकायतें भाविपप्रा के रेजिडेंट पोर्टल के माध्यम से भी दर्ज कर सकते हैं।
- निवासियों को उनकी पूछताछ एवं शिकायतों के निवारण में सहायता के लिए समान ग्राहक संपर्क प्रबंधन (सीआरएम) अनुप्रयोग का सृजन तथा रखरखाव करना।

3.19.2 आधार संपर्क केंद्र की अवसंरचना तथा प्रौद्योगिकी

वर्तमान में, आधार संपर्क केंद्र में निम्न सुविधाएं हैं -

- **टोल फ्री नम्बर 1947**: टोल फ्री नंबर 1947 का उपयोग भारत में कहीं से भी किया जा सकता है। दूरसंचार विभाग ने 'शॉर्ट कोड '1947' श्रेणी 1 में भाविपप्रा को टोल फ्री नंबर आबंटित किया है। शॉर्ट कोड 1947 का इनबॉण्ड और आउटबॉण्ड एसएमएस सेवाओं के लिए भी उपयोग किया जाता है।

- **संपर्क केंद्र अवसंरचना**: संपर्क केंद्र अवसंरचना ट्रंक लाइनों, पीबीएक्स समाधान, आईवीआरएस सिस्टम, ऑटोमेटिक काल डिस्ट्रीब्यूटर (काल सेंटर के मध्य कॉल डिस्ट्रीब्यूशन सुविधा प्रदानकर्ता), कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन यूनिट तथा वॉयस लॉगर सिस्टम (100 प्रतिशत कॉल की रिकार्डिंग गुणवत्ता एवं प्रशिक्षण के उद्देश्य से की जाती है) से युक्त है। आईवीआरएस के माध्यम से कॉल करने वाले के साथ डुपलेक्स विधि में

संश्लेषित की गई आवाज़ हिंदी/अंग्रेजी/देशीय भाषाओं में प्रयोक्ता द्वारा चयन की गई भाषा के अनुसार संपर्क किया जाता है। वर्तमान में आईवीआरएस से संपर्क में हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मराठी, तेलुगू, बंगाली, पंजाबी, ओडिया, तमिल, असमी तथा मलयालम भाषाएं उपलब्ध हैं। वर्तमान में आईवीआरएस में उपलब्ध विशेषताएं निम्न हैं:-

- प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
- 14 अंकों की नामांकन आईडी खोज पर आधारित आधार नामांकन स्थिति
- 14 अंकों की यूआरएन संख्या से आधार अद्यतन की स्थिति
- कॉल करने वालों के क्षेत्रानुसार आईवीआरएस आधारित भाषा विकल्प का युक्तिसंगत चयन
- पहले से ही दर्ज शिकायतों की स्थिति
- अपनी आधार संख्या जानिए
- कॉल करने वालों की इच्छानुसार आधार संपर्क केंद्र के कर्मी से संपर्क करने की सुविधा

3.19.2 सीआरएम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन: आधार संपर्क केंद्र के लिए माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स (एमएसडी) आधारित सीआरएम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का उपयोग किया जा रहा है। यह व्यवस्था का केंद्र है तथा इसका पृष्ठांकन एकीकरण भाविपप्रा के केंद्रीय पहचान डाटा निधान (सीआईडीआर) के जरिए संपर्क केंद्र फर्मों को संबद्ध सूचना प्रदान करने के लिए किया गया है, जिससे निवासियों द्वारा की जाने वाली पूछताछ का निवारण हो सके। इसका एकीकरण एवं विस्तार भाविपप्रा के प्रभागों में निवासियों द्वारा की जाने वाली पूछताछ अथवा शिकायतों के प्राप्त होने और उनके अंतिम समाधान होने तक के लिए भी किया गया है। एमएसडी आधारित सीआरएम एप्लीकेशन का संचालन निवासियों को समाधान उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से विविध प्रकार के एकीकरण के लिए भी किया जा सकता है। सीआरएम एप्लीकेशन का उपयोग भाविपप्रा के संपर्क केंद्र, प्रभागों, तकनीकी केंद्र और क्षेत्रीय कार्यालयों में मामलों के समाधान के लिए किया गया है। काल सेंटर 12 भाषाओं अर्थात् असमी, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल तथा तेलुगू में सेवाएं प्रदान करता है। ईमेल help@uidai.gov.in पर सहायता केवल अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है।

3.19.3 कॉल परिमाण: सामान्यतया, यूआईडीएआई के संपर्क केंद्रों में डेढ़ से दो लाख कॉल प्रतिदिन और 2500 से 3000 ईमेल प्रतिदिन प्राप्त होती हैं। किसी विशेष योजना/लाभ के लिए आधार के उपयोग के संबंध में केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा किसी भी बड़ी घोषणा के साथ मात्रा भिन्न होती है, जिसके परिणामस्वरूप अचानक बढ़त प्राप्त होती है। केंद्र सरकार की योजनाओं/लाभों के साथ आधार के अधिक नामांकन, अद्यतन एवं अधिप्रमाणन और आधार के कारण वर्तमान मात्रा के कम से कम 5% (वार्षिक आधार पर) तक बढ़ने की संभावना है।

3.20. चैटबॉट सेवाएँ

3.20.1 यूआईडीएआई ने एक चैट सॉल्यूशन शुरु किया है, जो यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट (www.uidai.gov.in) पर टैगलाइन "आस्क आधार" के तहत उपलब्ध है। इस चैटबॉट को पूर्वनिर्धारित स्टैंडर्ड रिस्पांस टेम्प्लेट्स (एसआरटी) के आधार पर निवासी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और इसका उद्देश्य निवासी के अनुभव को बेहतर बनाना है। चैटबोट में पीईसी का पता लगाने, आधार नामांकन की जांच/अद्यतन स्थिति, शिकायत दर्ज करने और वीडियो फ्रेम एकीकरण जैसी अतिरिक्त विशेषताएं भी हैं। आधार चैटबॉट अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में उपलब्ध है।

4. डाटा सुरक्षा एवं निजता

4.1 आधार डाटा की सुरक्षा एवं निजता

4.1.1 यूआईडीएआई के पास एक अच्छी तरह से डिजाइन, बहु-स्तरीय मजबूत सुरक्षा प्रणाली स्थापित है, जिसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और जिसे उच्चतम स्तर की डेटा सुरक्षा और प्रामणिकता बनाए रखने के लिए अपग्रेड किया जाता है। आधार ईको-सिस्टम के आर्किटेक्चर को डेटा सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो प्रारंभिक डिजाइन से अंतिम चरण तक सिस्टम का एक अभिन्न अंग है। डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता को और मजबूत करने के लिए, नियमित आधार पर सुरक्षा लेखापरीक्षा की जाती है तथा डेटा को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए सभी संभव कदम उठाए जाते हैं।

4.1.2 आधार में डेटा की गोपनीयता को अत्यंत प्राथमिकता दी जाती है, जो आबद्धकारी मौलिक सिद्धांतों से स्पष्ट है, जिस पर आधार को डिजाइन किया गया है तथा इसे आधार अधिनियम और विनियमों के विभिन्न उपबंधों के माध्यम से और सुदृढ़ किया गया है। आधार अधिनियम की धारा 29 किसी भी उद्देश्य के लिए कोर बायोमेट्रिक की सहभागिता या प्रकटीकरण पर रोक लगाती है, जिसका उल्लंघन करना अधिनियम की धारा 37 के तहत तीन साल तक की कैद के साथ दंडनीय है। केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी (सीआईडीआर) में अनधिकृत एक्सेस करने के लिए 10 साल तक के कारावास के दंड का प्रावधान है (धारा 38)। सीआईडीआर में डेटा से छेड़छाड़ के लिए 10 साल तक के कारावास के दंड का प्रावधान है (धारा 39)।

4.1.3 आधार अधिनियम के तहत विनियमों को यह सुनिश्चित करने के लिए अधिसूचित किया गया है कि नामांकन, अधिप्रमाणन और अन्य संबद्ध गतिविधियों को कानून के अनुसार सख्ती से लागू किया जाए। आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 यह सुनिश्चित करता है कि नामांकन एक सुरक्षित प्रक्रिया के तहत किया जाता है, जिसकी प्रक्रिया में शामिल सभी एजेंसियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही स्पष्ट रूप से परिभाषित होती है। इसके अलावा, आधार (अधिप्रमाणन) विनियम 2016 को यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है कि अधिप्रमाणन सुरक्षित स्थितियों में किया जाए।

4.2 डिजाइन द्वारा सुरक्षा एवं निजता

4.2.1 आधार की अवसंरचना को आंतरिक रूप से न्यूनतम सुरक्षा, इष्टतम अनभिज्ञता और फ़ेडरेटेड डेटाबेस के तीन मुख्य सिद्धांतों के साथ डेटा सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आधार का डिजाइन स्वाभाविक रूप से इस तरह किया गया है कि व्यक्ति की सूचनात्मक गोपनीयता की सुरक्षा हो सके। यह नामांकन के समय न्यूनतम डेटा के संग्रह द्वारा, और बाद में अद्यतन के समय, विशिष्ट पहचान प्रदान करने के लिए, बायोमेट्रिक डी-डुप्लीकेशन के बाद आधार संख्या जारी करने, उस पहचान रिकॉर्ड के जीवनचक्र में बदलाव और एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) की पहचान सत्यापन (ऑनलाइन अधिप्रमाणन) करने की आवश्यकता वाले विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए पहचान की पुष्टि करने के लिए सुनिश्चित किया जाता है ।

4.2.2 इष्टतम अनभिज्ञता के सिद्धांत के अनुपालन में, आधार कोई अन्य जानकारी एकत्र नहीं करता है, कभी भी ऐसा कोई विवरण एकत्र नहीं करता है जो किसी व्यक्ति की गोपनीयता का कारण बन सके। आधार एक यादृच्छिक संख्या है, जिसमें कोई खुफिया या प्रोफाइलिंग जानकारी अंतर्निहित नहीं है।

4.2.3 आधार केवल पहचान आधारित डिजाइन है और कुछ नहीं। शुद्ध पहचान प्लेटफार्म के रूप में आधार प्रणाली का डिजाइन आधार के संभावित दुरुपयोग के भ्रम को दूर करता है, जबकि व्यक्ति को अपनी पहचान साबित करने के लिए आधार के उपयोग की अनुमति दी जाती है। यह आधार

प्लेटफॉर्म पर बनाए जा सकने वाले विभिन्न अनुप्रयोगों और उपयोगिताओं को नया रूप देने और उनका उपयोग करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी प्रावधान करता है। आधार लिंकिंग के दौरान, संबंधित डेटाबेस, आधार नंबर धारक की स्पष्ट सहमति के साथ केवल आधार आधारित सत्यापन करता है, लेकिन तत्पश्चात् उक्त डेटाबेस किसी भी जानकारी को साझा नहीं करता है, यहां तक कि यूआईडीएआई के पास सत्यापन से संबंधित जानकारी भी नहीं होती है।

4.3 सुरक्षित प्रक्रिया के माध्यम से आधार नामांकन

4.3.1. भाविपप्रा ने भारत के निवासियों का आधार नामांकन करने के लिए रजिस्ट्रारों एवं अधिकृत नामांकन एजेंसियों के माध्यम से राष्ट्रव्यापी अवसंरचना स्थापित की है। रजिस्ट्रार मुख्यतः सरकारी विभागों/एजेंसियों तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों से संबद्ध हैं। नामांकन एजेंसियों का चयन एक कड़ी चयन प्रक्रिया से किया जाता है। निवासी का नामांकन, भाविपप्रा प्रमाणित प्रचालक द्वारा यूआईडीएआई के सॉफ्टवेयर पर अत्यधिक मजबूत, नियंत्रित, अपरिवर्तनीय एवं सुरक्षित प्रक्रिया से किया जाता है।

4.3.2. कड़ी परीक्षा और जांच प्रक्रिया के आधार पर चुने गए प्रमाणित ऑपरेटरों के माध्यम से ही निवासियों को पूरे देश में आधार के लिए नामांकित किया जाता है। प्रचालक को भी पहले अपना आधार नंबर प्राप्त करना होता है और तत्पश्चात उसे अपनी अंगुलियों की छाप तथा आधार संख्या के जरिए प्रत्येक नामांकन को हस्ताक्षरित करना होता है। इस प्रक्रिया से यह पूरा लेखा-जोखा मिल जाता है कि कौन सा नामांकन कब, कहां, किस प्रचालक ने किया तथा किसी मामले में उल्लंघन की स्थिति में प्रचालक एवं नामांकन एजेंसी के दायित्व को तत्काल निर्धारित किया जा सकता है। तत्पश्चात, व्यक्ति के एकत्रित बायोमेट्रिक डाटा का मिलान आधार धारकों, जो वर्तमान में 125.79 करोड़ से अधिक हैं, के विद्यमान डाटाबेस से किया जाता है और मिलान न होने पर ही, आधार नंबर सृजित किया जाता है। इतने बड़े पैमाने का बायोमेट्रिक मिलान 24 घंटे के भीतर हो जाता है।

4.3.3. बायोमेट्रिक सहित समस्त नामांकन डाटा 2048 बिट कूट कुंजी से नामांकन के समय ही कूटबद्ध कर दिया जाता है तथा इसके पश्चात कोई भी एजेंसी इसको एक्सेस नहीं कर सकती तथा भाविपप्रा द्वारा भी इसका एक्सेस केवल उसी को उपलब्ध सुरक्षित अकूटन कुंजी के उपयोग से किया जा सकता है। यहां यह उल्लेख करना भी उपयुक्त होगा कि पृथ्वी पर उपलब्ध विश्व के सबसे तीव्रतम कंप्यूटर से भी इस कूटन कुंजी को भेदने में करोड़ों वर्ष लग सकते हैं। अभी तक, ऐसी कोई घटना संज्ञान में नहीं आई है जिसमें आधार के डाटाबेस से किसी नामांकित निवासी के मूल बायोमेट्रिक तक अनधिकृत एक्सेस करने की सूचना प्राप्त हुई हो।

4.4 सुरक्षित प्रक्रिया के द्वारा आधार अधिप्रमाणन

4.4.1. आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया से केवल हां/नहीं में प्रयुत्तर प्राप्त होते हैं। यह डाटा निजता को सुरक्षित रखते हुए निवासी के पहचान दावे का एप्लिकेशनों के द्वारा "सत्यापन" करा देता है। सुविधा के सुनिश्चयन और साथ ही निवासी के पहचान डाटा के संरक्षण के लिए 'निजता एवं उद्देश्य' के बीच संतुलन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। बाह्य प्रयोक्ता एजेंसियों की आधार डाटाबेस तक एक्सेस नहीं है।

4.4.2. आधार ई-केवाईसी सेवा निवासी को, अपने आधार पत्र के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को साझा करने के लिए यूआईडीएआई को अधिकृत करने की अनुमति देता है। आधार ई-केवाईसी के प्रत्येक अनुरोध के लिए, सफल निवासी अधिप्रमाणन के बाद ही जनसांख्यिकीय और फोटो डेटा इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में साझा किया जाता है।

4.5 संयोजन रहित न्यूनतम डाटा

4.5.1. आधार व्यवस्था में देश के प्रत्येक आधार धारक से संबंधित डाटा भाविपप्रा के केंद्रीय निधान में होता है, अतः इसका डिजाइन न्यूनतम डाटा संग्रहण को ध्यान में रखकर इस प्रकार किया गया है कि इससे केवल पहचान संबंधी क्रियाकलाप (सृजन तथा अधिप्रमाणन) ही किए जा सकें। इस डिजाइन की अवधारणा इस तथ्य को ध्यान में

रखते हुए की गई है कि भाविपप्रा निवासियों की निजता का सम्मान करता है तथा अपनी व्यवस्था में गैर-अनिवार्य डाटा का संयोजन नहीं करता है। न्यूनतम डाटा (4 गुण - नाम, पता, लिंग, तथा जन्म तिथि तथा 2 गुण - वैकल्पिक डाटा – मोबाइल एवं ई-मेल) के अलावा इसके केंद्रीय डाटाबेस में आधार का उपयोग कर रही विद्यमान प्रणाली या अनुप्रयोगों से कोई संयोजन उपलब्ध नहीं होता है।

4.5.2. यह केन्द्रीकृत मॉडल के स्थान पर अनिवार्य रूप से विभिन्न अनुप्रयोगों/व्यवस्थाओं (निवासियों के डाटा के विकेंद्रित मॉडल) के डाटा समूह तैयार हो जाते हैं, जिससे किसी निवासी से संबंधित पूर्ण जानकारी तथा उसके अधिप्रमाणन का इतिहास पता चल पाने का एक केंद्रीकृत मॉडल में बना रहने वाला जोखिम समाप्त हो जाता है।

4.6 डाटा की कोई पुलिंग नहीं

4.6.1. आधार तंत्र को विभिन्न प्रकार के डाटा का संग्रहण एवं पुल करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है और इस प्रकार यह ऐसा एकल केंद्रीय डाटा रिपॉटजिटरी नहीं बन सकता, जिसमें निवासियों के बारे में सभी जानकारी मौजूद हो। इसमें सूचनाओं (जैसे पैन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, पीडीएस कार्ड नंबर, ईपीआईसी नंबर, इत्यादि) का कोई संयोजन किसी अन्य प्रणाली के साथ नहीं होता है। इस डिज़ाइन ने संव्यवहार डेटा को एक फ़ेडरेटेड मॉडल में विशिष्ट सिस्टम में रहने की अनुमति दी है। यह दृष्टिकोण विभिन्न एजेंसियों के स्वामित्व वाली कई प्रणालियों में वितरित सूचनाओं को रहने की अनुमति देता है।

4.7 इष्टतम अनभिज्ञता

4.7.1. आधार, संव्यवहार विवरण, अधिप्रमाणन उद्देश्य, बैंक खाता संख्या, बैंक विवरण, पसंद या नापसंद, जाति, पारिवारिक संबंध, धर्म, आय, पेशा, संपत्ति, शिक्षा, मोबाइल (संचार प्रयोजनों या आधार नामांकन ओटीपी भेजना के लिए यूआईडीएआई के दौरान पंजीकृत एक के अलावा अन्य), ऐसा कोई विवरण जो किसी व्यक्ति की गोपनीयता के संबंध में चिंता का कारण हो जैसे अन्य जानकारी एकत्र नहीं करता है। यहां तक कि जन्म की तारीख या किसी अन्य जानकारी जैसे कि प्रशासनिक सीमाओं (राज्य/जिला/तालुक) का उपयोग करके जन्म या निवास का स्थान, आधार संख्या में एम्बेडेड नहीं है। आधार संख्या एक यादृच्छिक संख्या है जिसमें कोई खुफिया या प्रोफाइलिंग जानकारी अंतर्निहित नहीं है। 12 अंकों की संख्या को अगले कुछ शताब्दियों के लिए आबादी की पहचान की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनाया गया है।

4.7.2. अधिप्रमाणन का डिजाइन इस प्रकार तैयार किया गया है कि इससे न तो अधिप्रमाणन का "उद्देश्य" और न ही किसी प्रकार के अन्य संव्यवहार संदर्भों की जानकारी आधार तंत्र को हो पाती है। आधार अधिप्रमाणन तथा इसके प्रचालन मॉडल का निर्माण शून्य-ज्ञान व्यवस्था के रूप में किया गया है तथा यह सुरक्षा से कोई समझौता किए बिना वैयक्तिक निजता की रक्षा, स्वतः ही संव्यवहार अपरिज्ञानी बन कर करता है। किसी एजेंसी द्वारा आधार संख्या धारक का अधिप्रमाणन करने मात्र से आधार तंत्र को अधिप्रमाणन के उद्देश्य अथवा स्थल की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अतः आधार व्यवस्था को यह बिल्कुल ज्ञात नहीं हो पाता है कि आधार अधिप्रमाणन करने वाला व्यक्ति कोई बैंककर्मी है जो अपनी ड्यूटी पर स्वयं अपनी हाजिरी के लिए अधिप्रमाणन कर रहा है अथवा कोई अपने खाते को खोलने अथवा उसमें से धन अंतरण के लिए आधार अधिप्रमाणन कर रहा है इत्यादि।

4.8 स्थान की जानकारी नहीं

4.8.1. यूआईडीएआई अधिप्रमाणन प्रणाली में स्थान की जानकारी नहीं होती है, अर्थात् आधार अधिप्रमाणन उस स्थान से अंजान होता है, जहाँ से अधिप्रमाणन अनुरोध भेजा जाता है, जिससे किसी निवासी के ट्रैक होने का जोखिम समाप्त हो जाता है।

4.9 विकेंद्रित डाटा तथा एक-मार्गी संयोजन

4.9.1 इसके विशिष्ट डिजाइन के द्वारा यह सिस्टम सभी डोमेन विशिष्ट संव्यवहार डाटा युक्त आधार डेटाबेस को समाप्त

कर देता है और इस तरह निवासी विशिष्ट संव्यवहार डाटा सामान्य डेटाबेस में विकेंद्रित रहने की बजाय सभी प्रयोक्ता एजेंसियों के बीच विकेंद्रित रहता है।

4.9.2 यहां यह भी नोट करना महत्वपूर्ण है कि विभिन्न तंत्र (आधार संख्या के उपयोग के माध्यम से) भाविपप्रा से संदर्भित होती हैं, परंतु भाविपप्रा द्वारा ऐसी प्रणालियों के लिए विपरीत संयोजन का अनुरक्षण नहीं किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, बैंक खाता खोलते समय, बैंक को आधार नंबर दिया जाता है, परंतु बैंक में धारित किसी डाटा अथवा बैंक खाता संख्या और न ही किसी बैंकिंग संव्यवहार विवरण तक भाविपप्रा एक्सेस नहीं कर सकता है। इस प्रकार, आधार सीडिंग एक प्रकार से कड़ी व्यवस्थित एकमार्गीय संयोजन है, जिसमें आधार संख्या का समावेश लाभार्थी के डाटाबेस से किसी प्रकार के डाटा से भाविपप्रा के डाटाबेस में पुलिंग के बिना संव्यवहार किया जाता है।

4.10 आधार डाटा की सुरक्षा

4.10.1 भाविपप्रा द्वारा विश्व की अत्यधिक उन्नत एंक्रिप्शन प्रौद्योगिकी के उपयोग से आधार डाटा का संव्यवहार एवं भंडारण किया जाता है। आधार आधारित अधिप्रमाणन किसी भी समकालिक अन्य प्रणाली की तुलना में सुदृढ़ एवं सुरक्षित है। आधार व्यवस्था में से किसी भी आधार बायोमेट्रिक के दुरूपयोग की स्थिति में जांच करने एवं चोरी की पहचान तथा कार्रवाई करने की क्षमता उपलब्ध है।

4.10.2 भाविपप्रा के सर्वरों में से प्रमुख बायोमेट्रिक का उल्लंघन अथवा लीकेज की कोई घटना रिपोर्ट नहीं की गई है।

4.10.3 आधार डाटा सुरक्षा को नियमित सूचना सुरक्षा मूल्यांकन और विभिन्न ईको-सिस्टम साझेदारों की लेखापरीक्षा के जरिए और अधिक सुदृढ़ किया गया है।

4.11 भाविपप्रा आईएसओ 27001 प्रमाणित

4.11.1 भाविपप्रा ने अत्यधिक सुदृढ़ सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली स्थापित की है, तथा इसने एसटीक्यूसी ने आईएसओ 27001:2013 प्रमाणन प्राप्त किया है।

4.12 "संरक्षित प्रणाली" के रूप में सीआईडीआर इन्फ्रास्ट्रक्चर की घोषणा

4.12.1. निवासी डेटा की सुरक्षा के लिए यूआईडीएआई-सीआईडीआर सूचना की सुरक्षा सर्वोपरि है। सूचना की गोपनीयता, सत्यनिष्ठा और उपलब्धता नियंत्रणों के जरिए हर समय बनाए रखी जाती है, जो सूचना परिसंपतियों के अनुरूप है, ताकि सूचना प्रणाली को सभी प्रकार के जोखिमों से बचाया जा सके।

4.12.2. यूआईडीएआई-सीआईडीआर को राष्ट्रीय सुरक्षा सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (एनसीआईआईपीसी) द्वारा "संरक्षित प्रणाली" के रूप में घोषित किया गया है, जिसमें आईटी सुरक्षा आश्वासन का एक और स्तर शामिल है।

4.13 सुशासन जोखिम अनुपालन एवं निष्पादन सेवा प्रदाता (जीआरसीपी-एसपी)

4.13.1 जीआरसीपी ढांचे का विज़न, यूआईडीएआई के संचालन के लिए एक मजबूत, व्यापक और सुरक्षित वातावरण के निर्माण की सुविधा प्रदान करना है। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, जीआरसीपी-एसपी दृश्यता, प्रभावकारिता और नियंत्रण के संदर्भ में यूआईडीएआई और भागीदार ईको-सिस्टम की निगरानी के साथ यूआईडीएआई प्रबंधन प्रदान करता है।

4.14 भाविपप्रा में धोखाधड़ी प्रबंधन प्रणाली

4.14.1 भाविपप्रा में सुव्यवस्थित, बहुस्तरीय उपागम युक्त सुदृढ़ धोखाधड़ी प्रबंधन प्रणाली स्थापित है। फोरेंसिक प्रयोगशाला की स्थापना होने से भाविपप्रा की धोखाधड़ी जांच क्षमता कई गुणा बढ़ गई है।

5. आधार - सुशासन में उपयोग

5.1 आधार - सुशासन में सुधार हेतु एक साधन

5.1.1 वित्तीय समावेशन हेतु आधार

5.1.1.1 आधार नंबर एक विशिष्ट डिजिटल पहचान है, जो किसी व्यक्ति के जीवनकाल में नहीं बदलता है। बैंक खाते के साथ लिंक किए जाने पर,आधार वित्तीय पता बन जाता है, जो देश के वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा करने में सहायता करता है। 12-अंकीय आधार संख्या किसी भी भुगतान को, किसी व्यक्ति को हस्तांतरित करने के लिए पर्याप्त है। यह अब एक व्यक्ति को अमुक खाते में डीबीटी फंड प्राप्त करने का अधिकार देता है, इस प्रकार बैंक खाता, आईएफएससी कोड और बैंक शाखा विवरण सरकार/संस्थानों को देने की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। डीबीटी लिंक्ड बैंक खाते को, लाभार्थी भारतीय बैंक एसोसिएशन द्वारा अनुमोदित फार्म को भर कर व आधार की डाक प्रति जमा कर किसी भी अन्य बैंक खाते से लिंक व बदल सकते हैं। 19 दिसंबर 2017 से, कुछ परिवर्तन किए गए थे, जो प्रक्रिया को सरल बनाते हैं और खाताधारक की जानकारी के बिना किसी अन्य बैंक खाते को डीबीटी से जुड़े बैंक खाते के हस्तांतरण पर खाता धारक की सुभेद्यता को कम करते हैं। आधार को वित्तीय पता बनाने के लिए 31 मार्च 2020 तक, 68.87 करोड़ से अधिक विशिष्ट आधार देश के 110 करोड़ से अधिक बैंक खातों के साथ जुड़ गए हैं। ग्राफ 8 में मई 2014 से बैंक खातों से जुड़े आधार संख्या की प्रगति को दर्शाता है।

ग्राफ 8. बैंक खातों से जुड़े विशिष्ट आधारों की प्रगति

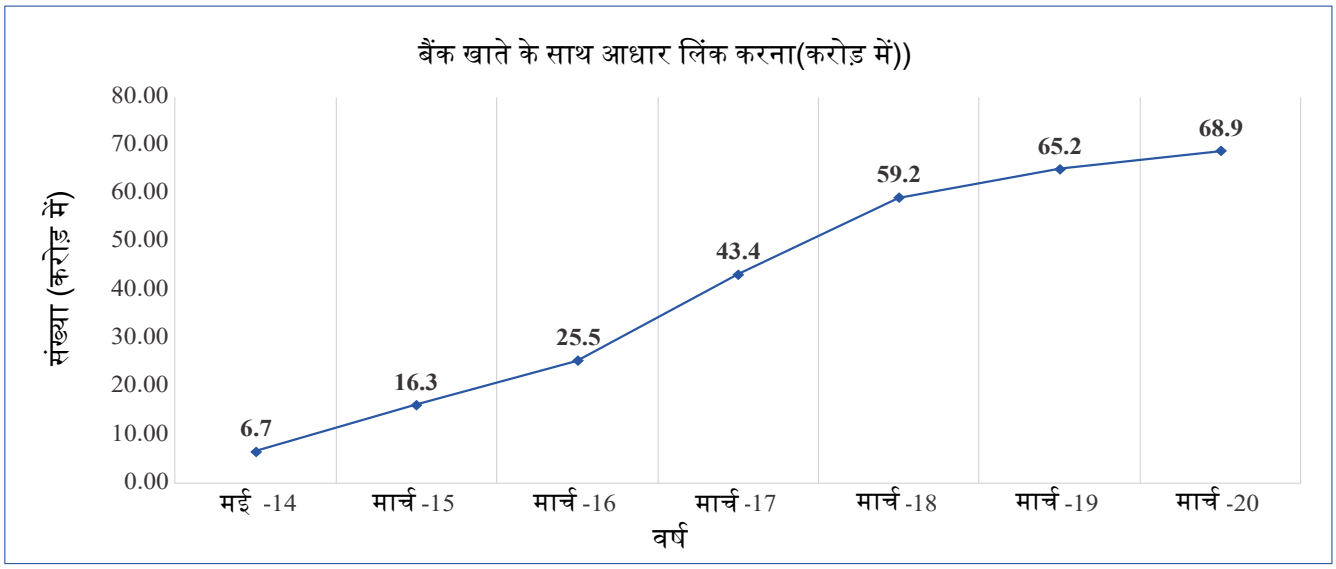

5.1.1.2 विभिन्न प्रकार की भुगतान प्रणालियां, जो आधार संख्या का उपयोग करती हैं और जो वित्तीय समावेशन को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण मदद करती हैं, उन्हें अनुवर्ती खंडों में वर्णित किया गया है।

5.1.2 आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एईपीएस)

5.1.2.1 आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) एक ऐसा प्लेटफार्म है, जिससे कोई भी व्यक्ति आधार आधारित बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन कर माइक्रो-एटीएम के जरिए अपने

बैंक खाते से धन निकासी, जमा, धन अंतरण, इत्यादि सामान्य बैंकिंग संव्यवहार कर सकता है। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, 546.04 करोड़ से अधिक सफलतापूर्वक संव्यवहार एईपीएस प्लेटफार्म पर किए गए हैं तथा 123 बैंकों और डाक विभाग द्वारा लगभग 20.76 लाख माइक्रो एटीएम उपलब्ध कराये गये हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान, वर्ष 2018-19 में 169 करोड की तुलना में 236 करोड़ से अधिक एईपीएस संव्यवहार किए गए हैं। ग्राफ-9 में, मई, 2014 से, माइक्रो एटीएम में एईपीएस संव्यवहारों की प्रगति को दर्शाया गया है।

ग्राफ 9. एईपीएस संव्यवहार की प्रगति

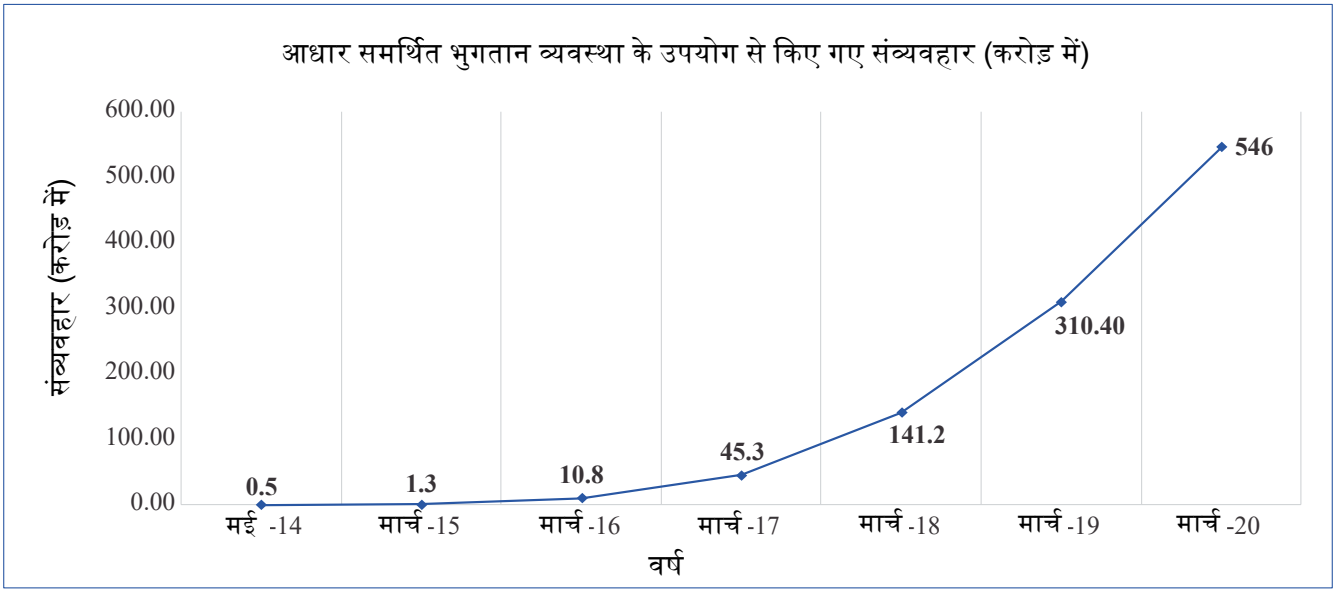

5.1.3 आधार भुगतान ब्रिज (एपीबी)

5.1.3.1 एपीबी कार्यान्वयन दोनों पक्षों, अर्थात् सरकार और निवासियों को लाभ के साथ बैंकिंग लेनदेन से संबंधित चुनौतियों से निपटने में मदद करता है। यह मुख्यतः सरकार-से-नागरिक (जी2सी) तथा व्यवसाय-से-उपभोक्ता (बी2सी) का एक अंतरण प्लेटफार्म है, जिसमें किसी आधार धारक की निधियों का अंतरण मात्र उसकी आधार संख्या का उल्लेख करके ही किया जा सकता है। आधार से संबंद्ध (लिंक) बैंक खातों में निधि का आधार भुगतान ब्रिज के माध्यम से स्वतः अंतरण हो पाता है।

5.1.3.2 ईको-सिस्टम स्तर पर, आधार भुगतान ब्रिज को पहले ही व्यापक स्वीकार्यता मिल चुकी है तथा अब यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक अनुमोदित भुगतान व्यवस्था है। 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार, 987 बैंक आधार भुगतान ब्रिज से संबद्ध हैं, जिनमें सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा कई सहकारी बैंक शामिल हैं। संचयी रूप से 631.68 करोड़ से अधिक के लेनदेन को सफलतापूर्वक एपीबी पर किया गया है, जिसकी राशि 2,81,493 करोड़ रुपए है। मई, 2014 से, लेन-देन क्रमशः ग्राफ 10 और 11 एपीबी की प्रगति और लेनदेन की संख्या को दर्शाते हैं।

ग्राफ 10. आधार भुगतान ब्रिज से संव्यवहार की प्रगति

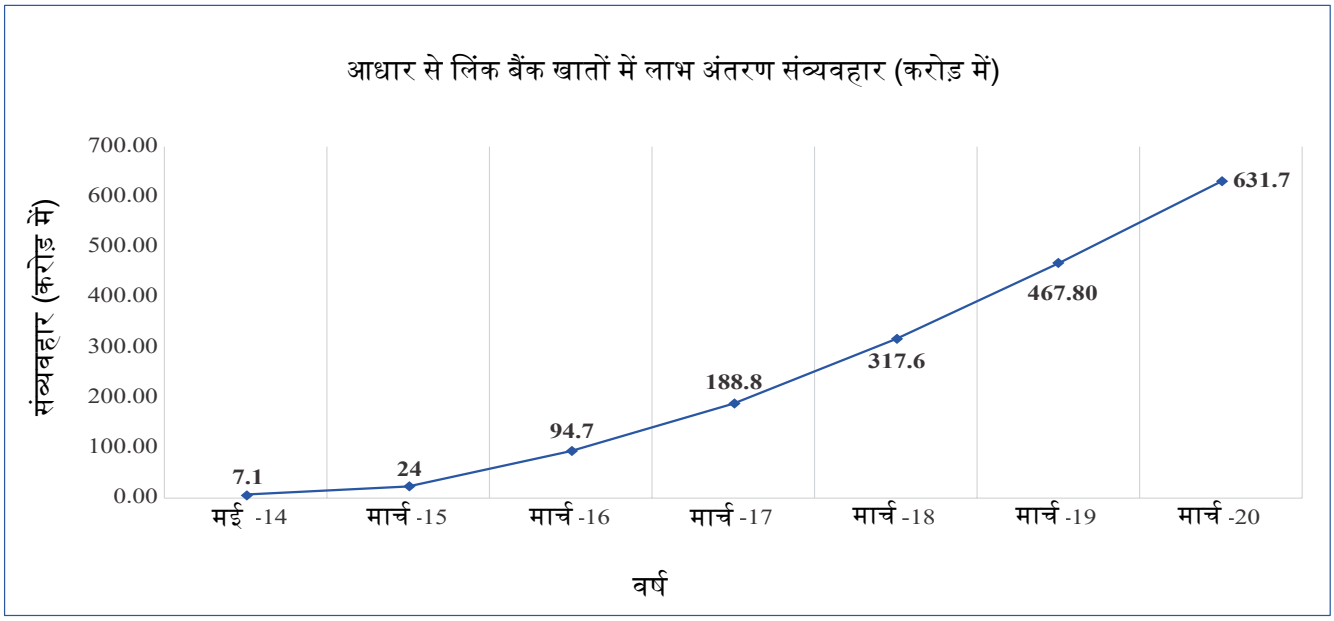

ग्राफ 11. आधार भुगतान ब्रिज से मूल्य संव्यवहार की प्रगति

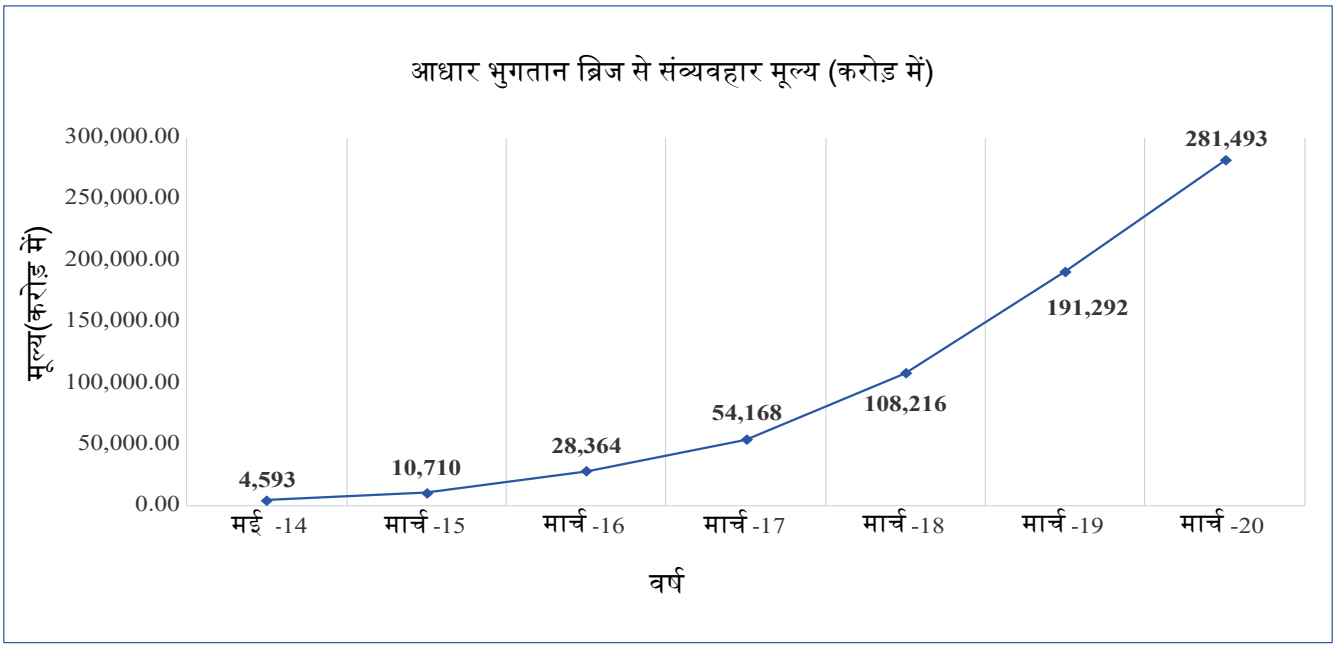

5.1.4 भीम आधार

5.1.4.1 भीम आधार एईपीएस का व्यापारी संस्करण (मर्चेंट वर्जन) है। यह आधार धारक द्वारा विभिन्न सेवाओं या वस्तुओं के लिए व्यापारियों को भुगतान करने के लिए उपभोक्ता-से-व्यापार (सी2बी) लेनदेन प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाया गया था। इसने भीतरी प्रदेश में भुगतान के तरीके

को बदल दिया है, जिससे उन्हें तात्कालिक, सुरक्षित और सही मायने में डिजिटल रखा गया है।

5.1.4.2. एक बैंक खाता धारक व्यापारी एक सामान्य कम-लागत वाला एंड्रॉइड स्मार्ट फोन लगभग 2,000 रुपए की बायोमेट्रिक डिवाइस प्राप्त करके और गुगल प्ले स्टोर ऐप से डाउनलोड करके एक डिजिटल व्यापारी बन सकता है, इस प्रकार एक व्यापारी ग्राहकों से कैशलेस भुगतान लेने में सक्षम होता है। वर्तमान में इसे 75 बैंकों द्वारा परिनियोजित किया गया है और 52,900 से अधिक व्यापारी इसका सक्रिय रूप से उपयोग कर रहे हैं। 31 मार्च 2020 तक, इसके द्वारा संचयी रूप से लगभग 1.78 करोड़ लेनदेन किए गए हैं।

5.2 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) में आधार

5.2.1 कल्याणकारी सेवाओं की अधिक पारदर्शी और कुशल ढंग में लक्षित डिलीवरी की प्राप्ति हेतु, भारत सरकार ने जनवरी 2013 के दौरान आधार भुगतान ब्रिज (एपीबी) और अन्य चैनलों के जरिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) को शुरू किया था। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अधिकार के साथ संयुक्त त्रि-व्यवस्था जेएएम (जन-धन, आधार और मोबाइल) ने समाज के वंचित वर्गों को औपचारिक रूप से वित्तीय प्रणाली में शामिल कर दिया है, जिसके द्वारा पारदर्शी एवं जवाबदेह सुशासन, लोगों के विकास और सशक्तीकरण के पथ पर क्रांति आयी है।

5.2.2 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को केंद्रीय क्षेत्र और केंद्रीय रूप से प्रायोजित सभी योजनाओं के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है। लाभार्थियों के बैंक खातों से संबद्ध आधार हेतु नगद लाभों के अंतरण हेतु एपीबी पर विभिन्न डीबीटी योजनाएं लाभ ले रही हैं। 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, पहल (पीएएचएएल) सहित विभिन्न योजनाओं में 631.68 सफलतापूर्वक संव्यवहारों में 2,81,493 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था, जो लाभार्थियों के बैंक खातों के साथ आधार को लिंक करने के कारण संभव हुआ। 31 मार्च, 2020 तक, 110 करोड़ बैंक खाते, 68.87 करोड़ से अधिक विशिष्ट आधार से लिंक किए जा चुकें हैं।

प्रत्यक्ष लाभ अतंरण (डीबीटी) योजनाओं के लिए आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के तहत आधार का उपयोग

5.2.3 अधिनियम 2016 की धारा 7 [आधार और अन्य कानूनों (संशोधन) अधिनियम, 2019 के द्वारा यथा संशोधित] के तहत, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत भारत के समेकित कोष या राज्य के समेकित कोष से वित्तपोषित किसी भी योजना के लिए आधार का उपयोग करने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार से संबंधित विभाग/मंत्रालय को राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा मंत्रिमंडल सचिवालय के निर्णय के अनुसार, यूआईडीएआई को आधार अधिनियम 2016 के अनुपालन में संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा धारा 7 की अधिसूचनाओं के प्रारूपण एवं पुनरीक्षण कार्य को कानून और न्याय मंत्रालय की सम्यक विधीक्षा के साथ सुगम बनाने हेतु अधिदेशित किया गया है। 31 मार्च 2020 तक, केंद्र सरकार में 45 मंत्रालयों/विभागों ने आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के तहत 304 योजनाओं (केंद्रीय रूप से प्रायोजित या केंद्रीय क्षेत्र) को कवर करते हुए 169 अधिसूचनाएं जारी की हैं।

5.2.4 आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 के साथ अधिनियम 2016 की धारा 7 में संशोधन करके इसे समेकित कोष राज्य के लिए भी लागू किया गया। तदनुसार, यूआईडीएआई ने 25 नवंबर, 2019 को सभी राज्य समेकित निधि से वित्तपोषित योजनाओं के लिए आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के तहत आधार के उपयोग के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। दिशानिर्देशों में वयस्क और बाल लाभार्थियों के लिए धारा 7 अधिसूचना के लिये अलग अलग दो टेम्पलेट भी शामिल हैं।

राष्ट्र हित में निर्धारित प्रयोजनों के लिए आधार अधिनियम 2016 की धारा 4 के तहत आधार का उपयोग

5.2.5. आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत आधार अधिनियम 2016 की धारा 4 में भी संशोधन किया गया है, ताकि केंद्र सरकार प्राधिकरण के परामर्श से और राज्य के हित में, इस तरह के प्रयोजन के लिए आधार अधिप्रमाणन करने की अनुमति दे सके। यह संशोधन ऐसे उद्देश्यों के लिए आधार अधिप्रमाणन का उपयोग को संभव बनाता है, जो राज्य के हित में निर्धारित किए जा सकें, उदाहरणार्थ, सुशासन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग। तदनुसार, नियमों को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

6. भाविपप्रा के संगठनात्मक मामले

6.1 यौन उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी

6.1.1. कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 22 तथा उसके संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 02 फरवरी 2015 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/2/2014-स्थापना ए-।।। के अनुसार अपेक्षित सूचना तालिका-9 में दर्शाई गई है।

तालिका 9. कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण की वार्षिक रिपोर्ट (2019-20)

क्र.सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2018-19
1.	वर्ष के दौरान प्राप्त यौन उत्पीड़न की शिकायतें	कोई नहीं
2.	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	कोई नहीं
3.	90 दिन से अधिक अवधि के बकाया मामले	कोई नहीं
4.	वर्ष के दौरान लैंगिक उत्पीड़न के निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष के प्रति जागरूकता हेतु आयोजित कार्यशालाएं	3 (मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय/तकनीकी केंद्र)
5.	कार्रवाई का स्वरूप	लागू नहीं

6.1.2. उक्त अधिनियम और इसके संबंधित नियमों/आदेशों (माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित विशाखा दिशानिर्देश सहित) के अनुसार, यूआईडीएआई ने "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी नीति" तैयार की है। यह यूआईडीएआई की अधिकारिक वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है।

6.2 भाविपप्रा में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

6.2.1 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अपने मुख्यालय और सभी 8 क्षेत्रीय कार्यालयों में भारत सरकार की राजभाषा नीति को लागू कर रहा है तथा राजभाषा अधिनियम और राजभाषा (संघ के आधिकारिक प्रयोजनों के लिए उपयोग) नियमों में परिकल्पित विभिन्न प्रावधानों और इस संबंध में समय-समय पर जारी भारत सरकार के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कर रहा है।

6.2.2. वर्ष 2019-20 के दौरान, मुख्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें आयोजित की गई, जिनमें अन्य मदों/विषयों और हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई और सरकारी कार्य में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के संबंध में निर्णय लिए गए।

6.2.3 राजभाषा नीतियों/नियमों पर जानकारी देने के लिए तीन कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इन कार्यशालाओं में कुल 93 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भागीदारी की।

6.2.4 मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की अध्यक्षता में मुख्यालय और यूआईडीएआई के सभी 8 क्षेत्रीय कार्यालयों

में हिंदी के प्रगामी प्रयोग पर आंतरिक समीक्षा बैठकों (आईआरएम) में नियमित रूप से चर्चा और समीक्षा की जाती है और सरकार द्वारा गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम 2019-20 में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को विशेष रूप से क्षेत्र क, ख और ग क्षेत्र में, हिंदी में मूल पत्राचार करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

6.2.5. मुख्यालय यूआईडीएआई में 14 से 28 सितंबर, 2019 के दौरान हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। मुख्यालय यूआईडीएआई में आयोजित पांच प्रतियोगिताओं के दौरान 161 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। 04 नंवबर, 2019 को वार्षिक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विजेताओं को नकद पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र दिए गए।

6.2.6 सरकारी कार्य में राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए, प्रत्येक वर्ष भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अपने मुख्यालय में और साथ ही क्षेत्रीय कार्यालयों में स्वतंत्र रूप में हिंदी में नोटिंग और ड्राफ्टिंग की प्रोत्साहन योजना को लागू किया गया है। भा.वि.प.प्रा. मुख्यालय के पांच कर्मचारियों को योजना के अनुसार नकद पुरस्कार के लिए पात्र पाया गया और उन्हें नकद पुरस्कार और प्रमाणपत्र से सम्मानित किया गया।

6.3. सिटीजन चार्टर

6.3.1 यह विनिर्दिष्ट मानकों, गुणवत्ता और समय सीमा के साथ नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने को सुगम बनाने के लिए एक साधन है, जो संगठन से अपने सभी हितधारकों के लिए प्रतिबद्ध है। निम्नलिखित लिंक पर यूआईडीएआई की वेबसाइट पर नागरिक चार्टर दिया गया है:

https://uidai.gov.in/images/uidai_citizen_charter_final.pdf

6.3.2. सिटीजन चार्टर की समीक्षा नियिमत आधार पर की जाती है।

6.4. इंट्रानेट एवं ज्ञान प्रबंधन पोर्टल

6.4.1 आंतरिक संचार, बेहतर सूचना के विनियम और यूआईडीएआई के कर्मचारियों के बीच टीम वर्क को बढ़ाने के लिए, यूआईडीएआई द्वारा 'इंटरानेट एवं ज्ञान प्रबंधन पोर्टल' (केएम पोर्टल) नाम से एक ऑनलाइन समुदाय-आधारित प्लेटफ़ॉर्म स्थापित किया गया है। पोर्टल का उद्देश्य कागजरहित कार्यालय स्थापित करना है। केएम पोर्टल में केएम डैशबोर्ड है जहां विभिन्न डिवीजनों, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रबंधित सेवा प्रदाता द्वारा नवीनतम कार्यालय आदेश, परिपत्र, प्रशिक्षण सामग्री, निविदाएं और अन्य यूआईडीएआई संबंधित दस्तावेज अपलोड किए जाते हैं। इसके अलावा, यह यूआईडीएआई के विभिन्न प्रभागों द्वारा उपयोग के लिए विभिन्न पोर्टल्स/मॉड्यूल होस्ट करता है जैसे:

- मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली अनुप्रयोग
- परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली
- कार्यालय प्रबंधन (ई-ऑफिस)
- वीआईपी फाइल साझा प्रणाली
- यात्रा प्रबंधन प्रणाली

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, उक्त प्रणाली ने बेहतर और तीव्र परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए क्यूआर कोड पाठन और प्रसंस्करण क्षमता को शामिल करने के लिए मौजूदा परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली में संवर्धन किया गया है।

6.5. नोडल आरटीआई प्रकोष्ठ

6.5.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई अधिनियम) के अनुसार, आरटीआई प्रकोष्ठ यूआईडीएआई के मानव संसाधन प्रभाग के अंतर्गत सभी ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन/अपील/शिकायतों के साथ-साथ केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) से संबंधित सभी मामलों पर कार्य करती है। इसके अलावा, सीआईसी के निर्देशों के अनुसार मामलों से संबंधित तिमाही रिपोर्ट तैयार कर सीआईसी को भेजी जाती है। वर्ष के दौरान, क्रमश: विभिन्न केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और प्रथम अपीलीय

प्राधिकारियों (एफएए) द्वारा 2,635 आरटीआई आवेदनों और 313 अपीलों का निपटारा किया गया। केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और यूआईडीएआई के प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों (एफएएएस) की सूची का भी, आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार अन्य अनिवार्य मदों के साथ नियमित रूप से अनुरक्षण/अद्यतन किया जाता है और यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट www.uidai.gov.in पर "आरटीआई" टैब के तहत पोस्ट की जाती है।

6.6. यूआईडीएआई वेबसाइट

6.6.1 संगठन के मुख्य वेब सूचना केंद्र के रूप में, यूआईडीएआई की वेबसाइट (www.uidai.gov.in) आधार ऑनलाइन सेवाओं के लिए लॉन्च वेबसाइट है। उत्तरदायी और उपयोगकर्ता केंद्रित सूचना संरचना के साथ, वेबसाइट को विभिन्न जनसांख्यिकी और विविध तकनीकी दक्षताओं से संबंधित भारत के निवासियों हेतु सुलभ बनाया गया है।

6.6.2 वेबसाइट सूचना की संरचना निवासी और यूआईडीएआई ईकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए की गई है और इसकी विशेषताएं निम्नलिखित पेराग्राफ में वर्णित है।

6.6.3. निवासी-केंद्रित

- विषय-वस्तु को संदर्भानुसार वर्गीकृत किया गया है, लेबल और शीर्षक सार्वभौमिक रूप से समझने योग्य भाषा का अनुसरण करते हैं।
- दृश्य और रंग योजना का उपयोग विचलित किए बिना तटस्थ और समकालीन है।
- वेबसाइट में महत्वपूर्ण गहन जानकारी को बनाए रखने के बजाय,यूआईडीएआई वेबसाइट सबसे अधिक मांग वाली जानकारी के बाद सीधे ऐक्सेस प्रदान करती है।

6.6.4 सुलभ,अनुक्रियाशील और समावेशी

- अनुक्रियाशील उपयोगकर्ता अनुभव (यूएक्स) डिजाइन,यह सुनिश्चित करता है कि वेबसाइट को किसी भी डिवाइस से एक्सेस किया जा सकता है, चाहे वह डेस्कटॉप या स्मार्ट फोन हो।
- देश के विविध जनसांख्यिकीय जानकारी की व्यवस्था वेबसाइट की सामग्री अंग्रेजी,हिंदी और 11 भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है।
- वेबसाइट में विशद सूचना वास्तुकला,अटूट द्वि-स्तरीय नेविगेशन,सार्वभौमिक रूप से समझने योग्य लेबल और खोज सुविधा उपलब्ध है, ताकि निवासियों को सही समय पर सही जानकारी मिल सके।

6.6.5. आधार ऑनलाइन सेवाएं

- आधार सेवाओं को निम्न रूप से वर्गीकृत किया गया है:-
  - निवासी,जो आधार मांग रहे हैं।
  - निवासी,जो आधार अद्यतन करना चाहते हैं।

- निवासी,जो मोबाइल या ईमेल के अधिप्रमाणन और सत्यापन जैसी आधार आधारित सेवाओं को लाभ लेने चाहते हैं।
- नेविगेशन प्रवाह यह सुनिश्चित करता है कि निवासी एक क्लिक के साथ किसी भी आधार सेवा का उपयोग कर सकता है।
- निवासियों के मार्गदर्शन के लिए आधार सेवाओं से जुड़े एफएक्यू प्रदान किए जाते हैं।

6.6.6 सूचना केंद्र

- वेबसाइट में संपर्क खंड, मुख्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों और तकनीकी केंद्रों के विभिन्न प्रभागों और अधिकारियों का विवरण प्रदान करता है।
- वेबसाइट में आधार अधिनियम, 2016 और संबंधित नियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों के लिए एक विशेष खंड उपलब्ध है, जिसे "कानूनी ढांचे" के तहत प्रमुख स्थान पर रखा गया है।
- वेबसाइट में नवीनतम समाचार, प्रेस विज्ञप्ति, वीडियो, घटनाओं, कार्यशालाओं के अभियानों और अमतौर पूछे जाने वाले प्रश्नों पर नियमित रूप से अपडेट किया जाता है।

6.6.7 सामान्य दस्तावेज रिपॉजिटरी

- वेबसाइटआधारनामांकन,अधिप्रमाणनप्रौद्योगिकियों, यूआईडीएआई ईको-सिस्टम पर सूचनात्मक दस्तावेज प्रदान करती है, जो आधार सेवाओं और संबंधित सूचना के बारे में शिक्षा और प्रचार को सुगम बनाती है।
- नीतियां, दिशा-निर्देश, जांच-सूचियां और अन्य ऑन-बोर्डिंग दस्तावेज, जो ईको-सिस्टम के भागीदारों के लिए महत्वपूर्ण हैं और उक्त ईको-सिस्टम खंड में उपलब्ध हैं।
- राज्य और गैर-राज्य रजिस्ट्रार के साथ समझौता ज्ञापन, निविदाओं और व्यवसाय उपयोगकर्ताओं के लिए संबंधित दस्तावेज, नामांकन दस्तावेजों और यूआईडीएआई दस्तावेजों के तहत उपलब्ध हैं।

6.6.8 विविध

- वेबसाइट डब्ल्यू3सी द्वारा सीएसएस और एचटीएमएल के लिए प्रमाणित है तथा वर्तमान में जीआईजीडब्ल्यू अनुपालन के लिए इसकी एसटीक्यूसी द्वारा लेखापरीक्षा चल रही है।
- वेबसाइट देश भर में किए गए आधार सृजनों की संख्या और अधिप्रमाणन से संबंधित विश्लेषण प्रदर्शित करती है।
- वेबसाइट आधार डैशबोर्ड को लिंक प्रदान करती है, जो आधार नामांकन, अद्यतन, अधिप्रमाणन और ई-केवाईसी सेवाओं के लिए बड़ा डेटा प्रदर्शित करता है।
- सोशल मीडिया खंड निवासियों को नवीनतम अपडेट का अवलोकन करने और यूआईडीएआई फेसबुक और ट्विटर पेज पर भागीदारी की सुविधा प्रदान करता है।
- वेबसाइट भारत सरकार के रैपिड असेसमेंट सिस्टम (आरएएस) के साथ एकीकृत है, जो उपयोगकर्ता को वेबसाइट और अन्य आधार ऑनलाइन सेवाओं पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए एक पोर्टल प्रदान करती है।

6.7 एकीकृत मोबाइल एप्लीकेंशन (अद्यतित एम-आधार)

6.7.1. निवासियों को सुलभ आधार सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, यूआईडीएआई ने 25 अक्तूबर, 2019 को (एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए) और 9 नवंबर 2019 को (आईओएस उपयोगकर्ताओं के लिए) एमआधार ऐप्प का एक अद्यतन संस्करण जारी किया है। इस ऐप्प में 50 से अधिक आधार सेवाओं/सुविधाओं के साथ एक सिंगल फ्रेमवर्क में पहले से विकसित मोबाइल एप्लिकेशन (एमआधार, निवासी ऐप्प

और क्यूआर कोड स्कैनर) को एकीकृत किया गया है। बेहतर उपयोगिता और नई सुविधाओं के साथ, एम-आधार ऐप्प ने देश में स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की लगातार बढ़ती संख्या के लिए आधार सेवाओं की पहुंच बढ़ाई है। 31 मार्च 2020 तक, लगभग 44 लाख निवासियों ने आधार ऐप्प डाउनलोड और संस्थापित किया है तथा 6.5 लाख से अधिक निवासी दैनिक आधार पर आधार सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं।

6.7.2. आधार प्रौद्योगिकियों की 24/7 बैकएंड सपोर्ट के अलावा, आधार की निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं, इसे भारतीय निवासियों के लिए आधार सेवाओं को ऑनलाइन प्रसारित करने के लिए एक प्रभावी माध्यम प्रदान करती हैं:

- **सार्वभौमिकता:** आधार के साथ या उसके बिना कोई भी भारतीय निवासी अपने स्मार्टफोन में इस ऐप्प को इंस्टॉल और उपयोग कर सकता है, जबकि कुछ सामान्य सेवाएं जैसे आधार को सत्यापित करना, मेल/मोबाइल को सत्यापित करना, नामांकन केंद्र का पता लगाना और 'अधिक' खंड के तहत जानकारी को आधार के बिना उपयोगकर्ताओं द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, ऐप्प उपयोगकर्ता किसी भी अन्य आधार धारक के लिए सामान्य सेवाओं का उपयोग कर सकता है, बशर्ते कि आधार धारक ऐप्प उपयोगकर्ता के साथ ओटीपी साझा करता है। इसका उद्देश्य उन आधार धारकों के बीच के अंतर को बंद करना है, जिनके पास स्मार्ट फोन या वेब सुविधा नहीं है, लेकिन ऑनलाइन आधार सेवाओं की आवश्यकता है।

- **डिवाइस एक्सेसिबिलिटी:** आंकड़े बताते हैं कि लगभग 91% भारतीय स्मार्टफोन उपयोगकर्ता गूगल आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं, जबकि आईओएस उपयोगकर्ता 18.1% का। स्मार्ट फोन उपयोगकर्ताओं की अधिकतम संख्या तक पहुंचने के लिए एम-आधार ऐप्प एंड्रॉयड और आईओएस दोनों स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के लिए जारी किया गया है।

- **समग्रता:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत का कोई भी निवासी इससे अछूता न रहे, यह ऐप्प भारत की विविध जनसंख्या के लिए उनके समझने और बोली जाने वाली भाषा में उपलब्ध है। एम-आधार अंग्रेजी, हिंदी और 11 भारतीय भाषाओं (असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, मराठी, मलयालम, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू) में उपलब्ध है। उपयोगकर्ता इंस्टाल करने के बाद समय या उसके बाद 'अधिक' खंड से अपनी पसंदीदा भाषा का चयन कर सकते हैं।

- **व्यक्तिगत आधार स्पेस:** ऐप्प उपयोगकर्ता अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार डिज़ाइन की गई क्यूरेटेड सामग्री के सेट को पंसद करते हैं। ऐप्प में 'मेरा आधार' खंड एम-आधार उपयोगकर्ताओं को आधार की त्वरित ऐक्सेस, ई-केवाईसी को साझा करने, क्यूआर कोड और आधार और बायोमेट्रिक्स लॉक जैसी सुरक्षा सुविधाओं का एक सेट प्रदान करता है। ऐप्प को इंस्टॉल करने के बाद, उपयोगकर्ता को व्यक्तिगत खंड का लाभ उठाने के लिए ऐप्प में अपना आधार प्रोफाइल पंजीकृत करना आवश्यक है।

- **ऑनलाइन और ऑफलाइन सुविधाएं:** ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों सुविधाओं के साथ, एम-आधार एप्लिकेशन उपयोगकर्ता को सहज अनुभव प्रदान करती हैं। यहां तक कि जब निवासी नो-नेटवर्क ज़ोन में है या कम बैंडविड्थ है तब भी वह आधार को देख सकता है या 1947 पर एसएमएस भेज सकता है, ओटीपी के लिए यूआईडीएआई हेल्पलाइन या आधार या बायोमेट्रिक्स को लॉक/अनलॉक कर सकता है। जबकि आधार सेवाओं का मुख्य सेट (जैसे डाउनलोड आधार, अपडेट या अधिप्रमाणन सेवाएं) बैकएंड आधार प्रौद्योगिकियों के साथ सहभागिता की आवश्यकता है, उपयोगकर्ता इस समय भी ऑफ़लाइन मोड में ऐप का उपयोग कर सकता है।

- **तत्काल सेवा:** मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से ऑनलाइन आधार सेवाओं को ऐक्सेस करना आमतौर पर वेब पोर्टल की तुलना में अधिक तेज है। एम-आधार निवासी के डेटा को उसके उपकरण और डेटा पुनर्प्राप्ति पर स्थानीय रूप से संग्रहीत करता है, जो क्षण भर में हो जाता है।

- **निवासी-केंद्रित यूएक्स:** एमआधार ने सरल और नो-फ्रिल यूआई की मदद से उपयोगकर्ता अनुभव में बढ़ोतरी की है, नेविगेशन का पालन करना आसान है और ऐप्प में सबसे महत्वपूर्ण सुविधाओं के लिए सिंगल टैप एक्सेस है। प्रासंगिक रूप से विभाजित विशेषताएं, आइकनोग्राफी, स्व-व्याख्यात्मक लेबल और मार्गदर्शी अनुर्देश उपयोगकर्ताओं को, विषय-वस्तु जल्दी से समझने में सहायता करते हैं और डिजाइन स्थिरता और सीधी प्रक्रिया प्रवाह के माध्यम से सहज अनुभव प्रदान करते हैं।

- **सूचना भेजना और तत्काल अपडेट करना:** ऐप्प में निवासियों को तत्काल और बिना अधिकार के सूचनाएं भेजने की विशेषताएं हैं। भारत सरकार या यूआईडीएआई के नए विनियमन या निर्देशों के बारे में सूचना को, प्रत्येक ऐप्प उपयोगकर्ता के मोबाइल में तुरंत भेज दी जाती है। डिज़ाइन में उपयोग किए जाने वाले स्केलेबल मॉडल के कारण, डिज़ाइन या उपयोगकर्ता के अनुभव को बदले बिना किसी भी नई सुविधा को ऐप्प के अपडेट के साथ जारी किया जाता है।

- **डिवाइस की विशेषताओं का उपयोग करना**: डिवाइस की विशेषताएं उपयोगकर्ताओं को किसी कार्य को आरंभ करने और उसका निष्पादन करने के लिए काफी कम समय लेती हैं और अनुप्रयोगों के साथ उपयोगकर्ता के अनुभव को मौलिक रूप से बदल सकती है। एम-आधार ऐप्प डिवाइस की विशेषताओं जैसे क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए कैमरे को ऐक्सेस देना, डिवाइस स्टोरेज को बचाने के लिए डाउनलोड किए गए आधार, ई-केवाईसी और क्यूआर कोड को उपयोगकर्ता की सहमति से विवेकपूर्ण तरीके से एड्रेस अपडेट के लिए दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए उपयोग करती है।

7. भावी योजनाएं

7.1 चेहरा अधिप्रमाणन

7.1.1 वर्तमान में, यूआईडीएआई दो प्रकार के बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन सेवाएं प्रदान करता है, अर्थात् फिंगरप्रिंट अधिप्रमाणन और आईरिस अधिप्रमाणन। ज्यादातर निवासी फिंगरप्रिंट या आईरिस अधिप्रमाणन का प्रयोग करने में सक्षम हैं, कुछ निवासियों को बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन के प्रकार का प्रयोग करते हुए अधिप्रमाणन में समस्या का सामना करना पड़ता है। नामांकन के समय निवासी के चेहरे का फोटो समावेशी अधिप्रमाणन सेवा प्रदान करने के लिए, आधार नंबर धारक की पहचान को सत्यापित करने के लिए चेहरे की तस्वीर का भी प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए यूआईडीएआई ने चेहरा अधिप्रमाणन को समर्थ बनाने का निर्णय लिया है।

7.1.2 यूआईडीएआई चेहरा अधिप्रमाणन को शुरु करने पर कार्य कर रहा है, जो अधिप्रमाणन को सुरक्षित एवं संरक्षित बनाएगी। चेहरा अधिप्रमाणन उन निवासियों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी, जो फिंगर या आईरिस से अधिप्रमाणन करने में असमर्थ हैं।

7.2 आईरिस डिवाइस को बढ़ावा

7.2.1 आईरिस डिवाइस संपर्क रहित उपकरण हैं और निवासी के साथ किसी भी शारीरिक संपर्क के बिना अधिप्रमाणन किया जा सकता है। इसके अलावा, फिंगरप्रिंट उपकरणों की तुलना में आईरिस उपकरणों में अधिप्रमाणन सफलता दर अधिक है। इन तथ्यों के कारण, यूआईडीएआई अनुरोधकर्ता संस्थाओं द्वारा आईरिस उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है।

7.2.2. एसटीक्यूसी के संयोजन में, यूआईडीएआई विभिन्न फॉर्म फैक्टर में अधिक आईरिस डिवाइस मॉडल को प्रमाणित करने और उन्हें शुरु करने के लिए काम कर रहा है। आइरिस डिवाइस मॉडल एकाकी रूप में उपलब्ध हो सकते हैं या टैबलेट/पीओएस उपकरणों में एकीकृत हो सकते हैं, जो अनुरोधकर्ता संस्थाओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार आईरिस डिवाइस मॉडल चुनने की सुविधा प्रदान करेंगे।

7.3 आधार कार्ड आदेश

7.3.1 वर्तमान में यूआईडीएआई की वेबसाइट पर "आधार पुनर्मुद्रण आदेश" की उपलब्ध सेवा के समान, यूआईडीएआई ने नाममात्र के शुल्क पर निवासियों के लिए "आधार कार्ड सेवा" शुरू करने का निर्णय लिया है। नियमित मुद्रित आधार पत्र की तुलना में आधार कार्ड अधिक टिकाऊ और ले जाने में आसान होगा। साथ ही आधार कार्ड में होलोग्राम, क्यूआर कोड, माइक्रो टेक्स्ट, गिलोचे पैटर्न और घोस्ट इमेज जैसी उन्नत सुरक्षा विशेषताएं होंगी। आधार पत्र, ई-आधार और एमआधार के अलावा यह निवासी के लिए एक और विकल्प जोड़ेगा, जो सभी उपयोग के लिए समान रूप से मान्य हैं।

7.3.2 निवासी अपनी जेब के आकार और सत्यापन योग्य आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए, डाक विभाग की स्पीड पोस्ट सेवा के माध्यम से अपने पंजीकृत पते पर भुगतान के विभिन्न माध्यमों जैसे क्रेडिट/डेबिट कार्ड, नेटबैंकिंग, यूपीआई आदि से 50 रुपये की मामूली राशि का भुगतान करके सेवा का लाभ उठा सकते हैं।

7.3.3 ऑनलाइन भुगतान गेटवे के साथ एकीकृत एक पोर्टल विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से निवासी मामूली शुल्क का भुगतान करके अपने आधार कार्ड का आदेश दे सकते हैं। सेवा परीक्षण अधीन है।

7.4 संपर्क केंद्र की नई उन्नत अवसंरचना

7.4.1 हमारे वर्तमान संपर्क केंद्र की अवसंरचना लगभग 7

उन्नत सुविधाओं और ओमनी चैनल संदर्भ आधारित दृष्टिकोण को एकीकृत करने के लिए सीआरएम और आवाज समाधान जैसे कई महत्वपूर्ण घटकों को उन्नत या फिर से डिजाइन करने आवश्यकता है। साथ-साथ, प्रौद्योगिकियों में उन्नति के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए, यूआईडीएआई सभी महत्वपूर्ण इंटरैक्शन चैनलों, तकनीकी स्वचालन को शामिल करके और वेब इंटरफेस को मजबूत करके अपनी वर्तमान शिकायत निवारण प्रणाली में सुधार करने की योजना बना रहा है।

7.5 इंटरएक्टिव वर्चुअल लर्निंग और ट्रेनिंग मॉड्यूल

7.5.1. बदलती तकनीक के साथ, ई-लर्निंग और वर्चुअल लर्निंग तेजी से सीखने और विकास की दुनिया में अपनी लोकप्रियता हासिल कर रही हैं। यह सीखने वाले को अपनी गति और स्थान पर अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र करता है, ताकि उन्हें अन्य चीजों के लिए समय दिया जा सके। यह एक व्यक्ति की अंतःक्रियात्मक शक्तियों को सशक्त बनाता है, यहां तक कि अंतर्मुखी भी बातचीत करने के लिए स्वतंत्र महसूस करते हैं। पारंपरिक शिक्षा के विपरीत, यह यात्रा की लागत और समय बचाता है और यह किफायती भी है।

7.5.2. वर्तमान सीखने के माहौल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यूआईडीएआई ने इंटरएक्टिव वर्चुअल शिक्षण सामग्री के विकास के लिए सामग्री विकास एजेंसी को नियुक्त किया है। यह वर्चुअल लर्निंग ट्रेनिंग कंटेंट, मोबाइल नगेट्स, शॉर्ट वीडियो और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) प्लेटफॉर्म के माध्यम से नामांकन कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए यूआईडीएआई को विभिन्न प्रशिक्षण समाधान प्रदान करेगा। एलएमएस, यूआईडीएआई को शिक्षार्थियों, प्रलेखन, रिपोर्टिंग और प्रशासन का ट्रैक रखने में सहायता करेगा।

7.6 भाविपप्रा की वेबसाइट में भावी संवर्धन की योजना

7.6.1. यूआईडीएआई की वेबसाइट एक लाइव वेब सूचना विंडो है, जो विभिन्न पोर्टलों पर होस्ट किए गए आधार ऑनलाइन सेवाओं के लॉन्च पैड के रूप में कार्य करती है। इसके लिए वेबसाइट को समकालीन और निवासी केंद्रित रहने के लिए लगातार अपडेट होना आवश्यक है। आने वाले दिनों में, वेबसाइट को नवीनतम यूएक्स प्रवृत्ति, उपयोगकर्ता की जरूरतों और व्यवसाय की दिशा को समायोजित करने के लिए एक प्रयोज्य उन्नयन सामग्री से गुजरना प्रस्तावित है।

7.7 एम-आधार एप्लिकेशन में भावी संवर्धन की योजना

7.7.1 **आधार सेवा बंडल अद्यतन करना:** वर्तमान में एमआधार ऐप में निवासी आधार में पता अद्यतन की सुविधा है। एमआधार में आधार सेवा बंडल को अद्यतित किया जा रहा है जिससे एमआधार उपयोगकर्ता अपने जनसांख्यिकीय विवरण जैसे नाम, जन्म तिथि, लिंग और भाषा को बिना आधार सेवा केंद्र या आधार अद्यतन केंद्र पर जाये बिना अद्यतन कर सकते हैं।

7.7.2 **3 से 5 तक प्रोफाइल:** भविष्य के लिए प्रभावी, एमआधार उपयोगकर्ता को अपने ऐप में अपने परिवार के सदस्यों के 5 आधार प्रोफाइल तक पंजीकृत करने की अनुमति दी जाएगी। वर्तमान में उपयोगकर्ता केवल 3 प्रोफ़ाइल जोड़ सकते हैं।

7.7.3 **उन्नत व्यक्तिगत खंड:** आधार धारक के सेवा अनुरोधों को प्रबंधित करने और ओटीपी सत्यापन की आवश्यकता के बिना प्रस्तुत अनुरोधों की नवीनतम स्थिति प्रदान करने के लिए सुविधा को शामिल करने हेतु ऐप्प में व्यक्तिगत खंड को और बढ़ाया जाएगा।

7.7.4 **आधार समक्रमिकता:** यह सुविधा आधार डेटा को सुनिश्चित करेगी, जैसे हाल ही में अद्यतन किए गए जनसांख्यिकीय विवरण और एम-आधार में सृजित वर्चुअल आईडी अप-टू-डेट है।

8. वित्तीय कार्यनिष्पादन

8.1 यूआईडीएआई बजट

8.1.1. वर्ष 2017-18 तक, ब्याज और बकाया सहायता-अनुदान (जीआईए) सहित यूआईडीएआई की सभी आय, भारत के समेकित कोष में वापस जमा की जा रही थी। मार्च, 2019 में, भारत के लिए डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क पर न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसार, यूआईडीएआई की वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए एक अलग यूआईडीएआई निधि का गठन किया गया था। आधार अधिनियम, 2016 में संशोधन करने के द्वारा निधि का गठन किया गया था। यूआईडीएआई निधि के संबंध में आधार अधिनियम (यथा संशोधित) की धारा 25 इस प्रकार है:

"25(1) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण निधि नामक एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें – (क) इस अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी अनुदान, शुल्क और प्रभार तथा (ख) केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए अन्य स्रोतों से प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी धनराशि जमा की जाएगी।

(2) निधि को - (क) अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन एवं भत्ते तथा प्राधिकरण के अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और देय पेंशन सहित प्रशासनिक व्यय; और (ख) इस अधिनियम द्वारा अधिकृत वस्तुओं और उद्देश्यों के खर्चों की पूर्ति के लिए किया जाएगा।"

8.2 बजट एवं व्यय

8.2.1. यूआईडीएआई, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) से सहायता अनुदान (जीआईए) के तीन शीर्ष में नामत: सहायता अनुदान - सामान्य, सहायता अनुदान - पूंजीगत और सहायता अनुदान - वेतन के तहत प्राप्त करता है। स्थापना से अब तक यूआईडीएआई का बजट और व्यय तालिका 10 में दिया गया है तथा वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बजट और व्यय का सार तालिका 11 में दिया गया है।

8.2.2. वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान सामान्य अनुदान में व्यय, एमईआईटीवाई से प्राप्त अनुदान (प्राप्त अनुदान: 637.51 करोड़ रुपए, व्यय 674.18 करोड़ रुपए) के समक्ष 36.67 करोड़ रुपए बढ़ गया है, उक्त की पूर्ति यूआईडीएआई निधि में उपलब्ध अनुदान के अव्ययित शेष से की गई थी।

8.2.3. सामान्य अनुदान पर व्यय वार्षिक आधार पर 33.26% तक कम हुआ था (वित्त वर्ष 2018-19 में 1080.46 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2019-20 में 721.10 करोड़ रुपए)। यह मुख्य रूप से राज्यों को दी गई आईसीटी सहायता में कमी (वित्त वर्ष 2018-19 में 287.00 करोड़ और वित्त वर्ष 2019-20 में 13.00 करोड़) और मुख्य रूप से नामांकन में हुई कमी से परिचालन व्यय में कमी के कारण हुआ था।

8.2.4. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 985.00 करोड़ रुपए के बजट आकलन को मंजूरी दी गई।

तालिका 10. बजट एवं व्यय (स्थापना से)

2009-10 से 2019-20 तक बजट एवं आवंटन			
वर्ष	**बजट आकलन (रुपए करोड़ में)**	**संशोधित आकलन (रुपए करोड़ में)**	**वास्तविक व्यय (रुपए करोड़ में)**
2009-10	120.00	26.38	26.21
2010-11	1,900.00	273.80	268.41
2011-12	1,470.00	1,200.00	1,187.50
2012-13	1,758.00	1,350.00	1,338.72
2013-14	2,620.00	1,550.00	1,544.44
2014-15	2,039.64	1,617.73	1,615.34
2015-16	2,000.00	1,880.93	1,680.44
2016-17	1,140.00	1,135.27	1,132.84
2017-18	900.00	1,150.00	1,149.38
2018-19	1,375.00	1,344.99	1,181.86
2019-20	1,227.00	836.78	856.12*

*पिछले वर्ष के अव्ययित शेष से अतिरिक्त व्यय की पूर्ति की गई।

तालिका 11. 31.03.2020 तक की संक्षेप में वित्तीय स्थिति

शीर्ष अनुदान	बजट आकलन 2019-20 (करोड़ रु.में)	संशोधित आकलन 2019-20 (करोड़ रु.में)	एमईआईटीवाई से प्राप्त कुल निधि (करोड़ रु.में)	31.03.2020 तक व्यय (करोड़ रु.में)	संशोधित आकलन 2019-20 केसंदर्भ में व्यय का%
सहायता अनुदान-सामान्य	862.00	637.51	637.51	674.18*	105.75%
सहायता अनुदान- पूंजीगत	300.00	150.00	150.00	135.02	90.01%
सहायता अनुदान-वेतन	65.00	49.27	49.27	46.92	95.23%
कुल	**1,227.00**	**836.78**	**836.78**	**856.12**	**102.31%**

*पिछले वर्ष के अव्ययित शेष से सहायता अनुदान-सामान्य के तहत 36.67 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति की गई।

8.3 सेवाओं से आय

8.3.1. मार्च, 2019 के माह में, यूआईडीएआई ने अधिप्रमाणन सेवा प्रयोक्ताओं के लिए हाँ/नहीं और ईकेवाईसी की कुछ श्रेणियों के लिए शुल्क लेना आरंभ किया। इसके अलावा, यूआईडीएआई ने अपने आधार सेवा केंद्रों की ने अपने आधार सेवा केंद्रों की शुरुआत की, जिसमें निवासी नामांकन और अद्यतन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। वर्ष 2019-20 में विभिन्न सेवाओं के द्वारा हुई आय को तालिका 12 में दर्शाया गया है।

तालिका 12. 31.03.2020 के अनुसार सेवाओं से हुई आय का विवरण

वर्ष	अधिप्रमाणन सेवाएं (करोड़ रु.में)	आधार पुनमुर्द्रण (करोड़ रु.में)	आधार सेवा केंद्र (करोड़ रु.में)	कुल (करोड़ रु.में)
2019-20	125.32	21.66	4.41	151.39

9. वर्ष 2019-20 के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के लेखापरीक्षित लेखा विवरण

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1. हमने, 31 मार्च, 2020 के अनुसार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण(यूआईडीएआई) के संलग्न तुलन-पत्र और आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, हितलाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (आधार अधिनियम, 2016), की धारा 26 (2), आधार और अन्य कानून (संशोधित) अध्यादेश (02 मार्च, 2019) के साथ पठित नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियों तथा भुगतान लेखों की लेखापरीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, एवं लेखांकन की श्रेष्ठ परिपाटियों, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के अनुरूप के संबंध में केवल लेखांकन संव्यवहार पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां शामिल हैं। विधियों, नियमों एवं विनियमों (उपयुक्तता एवं नियमितता) के अनुपालन में वित्तीय लेन-देनों एवं दक्षता-सह-निष्पादन पहलुओं इत्यादि, यदि कोई हो, की लेखापरीक्षा अवलोकनों की रिपोर्ट, निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से अलग से दी जाती है।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार निष्पादित की है। इन मानकों में अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी लेखापरीक्षा की योजना एवं उसका निष्पादन इस तरह करें कि हम ऐसा तार्किक आश्वासन प्राप्त कर सकें, जिसमें वित्तीय विवरणियां महत्वपूर्ण मिथ्या-कथन से मुक्त हों। एक लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणियों में धनराशियों और प्रकटीकरण के समर्थन में, साक्ष्यों के परीक्षण के आधार पर जांच करना शामिल है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों और सार्थक अनुमानों के आकलन के साथ-साथ वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा, हमारी राय में, तर्कसंगत आधार प्रदान करती है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम यह प्रतिवेदित करते हैं कि:

i. हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में आवश्यक थे;

ii. इस रिपोर्ट में शामिल तुलन-पत्र और आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा को, आधार अधिनियम, 2016 की धारा 26(1) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित 'लेखों का एकरूपी प्रपत्र' में तैयार किया गया है।

iii. हमारी राय में, यूआईडीएआई द्वारा लेखा-बहियों और तथा अन्य संबंधित अभिलेखों का उपयुक्त रूप से रखरखाव किया गया है।

iv. हम यह भी प्रतिवेदित करते हैं कि:

क. तुलन-पत्र

क1 देयताएं चालू देयताएं और प्रावधान (अनुसूची 7)

उपरोक्त शीर्ष 15.05.2018 से 12.10.2018 की अवधि (अर्थात् तल को खाली करने/सुपुर्द करने तक) के लिए जीवन भारती बिल्डिंग, नई दिल्ली में टॉवर 2/लेवल 2 हेतु अनुरक्षण प्रभार को शामिल न करने के कारण 20.57 लाख रुपए कम आंका गया है, जिसके लिए भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा मांग की गई थी।

क2 परिसंपत्तियां चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि (अनुसूची 11) पूंजीगत खाते में: शून्य रुपए

उपरोक्त में पूंजीगत कार्य और परियोजना/एस्क्रो लेखा में जमा के लिए इंजीनियर इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) के लिए 47.82 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि शामिल नहीं है। उक्त को डीएवीपी, राज्य सरकार (आईसीटी सहायता, डीओपी आदि) तथा अन्य निवेश हेतु अग्रिम के तौर पर शामिल किया गया है। अत: इसके फलस्वरूप 47.82 करोड़ रुपए के पूंजीगत लेखा को कम आंका गया तथा 0.49 करोड़ रुपए के अन्य अग्रिम और 47.33 करोड़ रुपए के निवेश-अन्य को अधिक आंका गया है।

ख. आय और व्यय विवरण व्यय प्रचालन व्यय: 519.95 करोड़ रुपए (अनुसूची 22)

उपरोक्त शीर्ष प्रबंधित सेवा प्रदाता (एमएसपी) हेतु मैसर्स एचसीएल से प्राप्त बिलों का लेखा-जोखा न रखने और 01.11.2019 से 31.01.2020 की अवधि के लिए एमएसपी अनुबंध सेवा हेतु एएमसी प्रभारों की अदायगी के कारण 20.44 करोड़ रुपए (15.17 करोड़ + 5.27 करोड़ रुपए) अंडरस्टेटेड है। इसके परिणामस्वरूप उक्त राशि से कमी का अंडरस्टेटमेंट भी हुआ है।

ग. प्राप्तियां और भुगतान लेखा अचल परिसंपत्तियों एवं प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य पर व्यय

प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य पर व्यय: शून्य रु.

प्राधिकरण ने वर्ष 2019-20 के दौरान यूआईडीएआई के रिहायशी परिसर के निर्माण से संबंधित कार्यों पर 6.39 करोड़ रुपए का व्यय किया और उसका भुगतान किया है। प्राधिकरण ने प्राप्ति और भुगतान लेखा में प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य पर व्यय के अंतर्गत उक्त राशि का उल्लेख नहीं किया है।

घ. सामान्य

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (अनुसूची 26)

आकस्मिक देयताएं (टिप्पणी 26)

क) प्राधिकरण ने उपरोक्त विवरण में पूर्ववर्ती रिपोर्टिंग अवधि के लिए संबंधित राशि (तुलना) नहीं दी है।

ख) इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ने अनुसूची-26 में ''लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक'' से संबंधित टिप्पणी 7 को प्रकट नहीं किया है।

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं - शून्य

प्राधिकरण ने दिल्ली में यूआईडीएआई के रिहायशी परिसर के निर्माण के संबंध में 89.38 करोड़ रुपए की पूंजीगत प्रतिबद्धताओं को प्रकट नहीं किया है। इस प्रकार, उपरोक्त शीर्ष में उक्त सीमा तक कमी हुई है।

च. वर्ष 2019-20 के लिए अनुदान सहायता

वर्ष के दौरान प्राप्त 999.91 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष की 163.13 करोड़ रुपए की अव्ययित राशि सहित) के सहायता अनुदान में से, यूआईडीएआई ने 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार 856.13 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग किया है तथा जिसमें 143.78 करोड़ रुपए की राशि शेष रह गई है।

v. पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में हमारी टिप्पणियों के आधार पर, हम यह प्रतिवेदित करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित प्राप्ति एवं भुगतान सहित तुलन पत्र और आय एवं व्यय विवरण लेखा बहियों के साथ अनुबंध में हैं।

vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखांकन

नीतियों एवं लेखा संबंधी टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरणियां, और उपरोक्त वर्णित महत्वपर्णू मामलों एवं इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध-। में उल्लिखित अन्य मामलों के आधार पर, भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं:

क जहां तक यह 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के कार्यों के तुलन-पत्र से संबंधित है, और

ख. जहां तक यह उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं अधिशेष के व्यय लेखा से संबंधित है।

ह0/-
(मनीष कुमार)
प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा
(वित्त एवं संचार)

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के लेखों पर मसौदा पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक-I

हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार लेखापरीक्षा की सामान्य कार्यप्रणाली में लेखा बहियों और अभिलेखों की जांच की गई तथा अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास में, हम यह भी प्रतिवेदित करते हैं कि:

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

यूआईडीएआई में अगस्त/सितंबर, 2011 में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को संस्थापित किया गया था। आंतरिक लेखापरीक्षा विंग संबंधित मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय और प्रौद्योगिकी केंद्र की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार करता है। आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट उपमहानिदेशक (वित्त) को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रस्तुत की जाती है और तत्पश्चात रिपोर्ट संबंधित प्रभागों को आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई के लिए प्रेषित की जाती है।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में सभी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्यरत हैं। यूआईडीएआई के भर्ती नियम और नीतियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यूआईडीएआई ने आधार अधिनियम, 2016 के नियम 23 (4) को ध्यान में रखते हुए योजना, परियोजना प्रबंधन और तकनीकी विशेषज्ञ के लिए सलाहकार की नियुक्ति की है। उक्त का पालन किया जा रहा है। संदर्भित नियमों और विनियमों के अनुपालन में नकद की रसीद एवं संवितरण और रोकड़ बही का रखरखाव ठीक से किया गया है। नकदी की नियमित रूप से प्रत्यक्ष जांच की गयी तथा प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित रोकड़ शेष की अधिकतम सीमा को बनाये रखा गया था। हमारी राय में, संगठन की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त है और इसके आकार एवं इसकी कार्यप्रणाली की प्रकृति के अनुरूप है।

(क) आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

संगठन की आंतरिक लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली, कार्य की प्रकृति, अधीनस्थ कार्यालयों की संख्या, स्थापना की नफ़री, व्यय की प्रकृति और मात्रा आदि पर निर्भर करती है। वार्षिक आंतरिक लेखापरीक्षा की योजनाओं को तैयार किया जाए और उन पर नियमित रूप से कार्य किया जाए। हालांकि, वर्ष 2019-20 के लिए यूआईडीएआईकी लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि यूआईडीएआई में विद्यमान स्थितियों के विशेष संदर्भ में, संगठन के कर्तव्यों और कार्यों को निर्दिष्ट करने वाला कोई आंतरिक ऑडिट मैनुअल नहीं था। तथापि, एक आंतरिक लेखापरीक्षा योजना को तैयार किया गया था और तदनुसार आंतरिक लेखापरीक्षाएं आयोजित की गईं थी।

(ख) लेखापरीक्षा का परिमाण और लंबित पैरा

आंतरिक लेखापरीक्षा ने यूआईडीएआई मुख्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में अनुरक्षित सभी लेखों के रिकार्ड की सामान्य समीक्षा की। सामान्य समीक्षा के अलावा, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभारी द्वारा चयनित वर्ष के न्यूनतम एक माह के लेखा अभिलेखों की व्यापक जांच भी की जाती है। आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि वर्ष 2019-20 के दौरान 130 लंबित पैराओं का अभी निपटारा किया जाना बाकी है।

(ग) यूआईडीएआई में आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति

मुख्यालय के आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में, व्यय एवं अंतर्निहित प्रक्रिया और क्रियाविधियों की लेखापरीक्षा त्रैमासिक आधार पर की गई।

क्षेत्रीय कार्यालयों (कुल 08) और तकनीकी केंद्र (कुल 02) की आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में, लेखापरीक्षा वार्षिक आधार पर की गई थी।

आंतरिक लेखापरीक्षा में जाँच की सीमा और प्रकृति में निम्नलिखित शामिल है:

(क) अनुपालन / नियमितता मुद्दे

(ख) वित्तीय मुद्दे

(ग) गैर-वित्तीय मुद्दे

(घ) अर्थव्यवस्था, दक्षता और प्रभावकारिता संबंधी मुद्दे

यूआईडीएआई द्वारा निष्पादित कार्यों के आकार और प्रकृति के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली पर्याप्त है।

(घ) प्राप्तियों की जांच

यूआईडीएआई के संबंधित प्रभाग यह सुनिश्चित करने के लिए मुख्यतः उत्तरदायी हैं कि सभी प्रकार के राजस्व (शुल्क/अर्थदंड आदि) या देयताओं को सही और समुचित रूप से मूल्यांकित, वसूल किया गया और उन्हें संबंधित खाते में क्रेडिट किया गया है।

आंतरिक लेखापरीक्षा में अनिवार्यतः जांच की जाती है कि क्या यूआईडीएआई द्वारा सभी राजस्व प्राप्तियों और वसूलियों के संग्रहण और लेखाकरण की प्रभावी जांच हेतु पर्याप्त विनियम और क्रियाविधियां निर्धारित की गई हैं और उनका समुचित अनुपालन किया जा रहा है।

3. अचल परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

अचल आस्तियों के रजिस्टरों का रखरखाव केवल जीएफआर फार्म-22 में निर्धारित प्रपत्र में कंप्यूटरीकृत रूप में किया जाता है। अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रबंधन द्वारा किया गया है।

हमारी राय में, संगठन की अचल परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली पर्याप्त और इसकी कार्यप्रणाली की प्रकृति के अनुरूप है।

4. सामान-सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

एक गैर-उत्पादन संस्था होने के नाते, सामान-सूची का रखरखाव करना यूआईडीएआई में अपेक्षित नहीं है और यूआईडीएआई में उक्त का रखरखाव नहीं किया जा रहा है।

5. सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता

यूआईडीएआई सांविधिक देयताओं के भुगतान में तत्पर है, सिवाय प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में स्रोत पर की गई कटौती के समक्ष 64.22 लाख रुपए की राशि के संबंध में चूक/विवाद है, जिसका निपटारा होना बाकी है।

ह0/-
(मनीष कुमार)
प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा

वर्ष 2019-20 के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में आंतरिक नियंत्रण पर संक्षिप्त टिप्पणी

यूआईडीएआई में विद्यमान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों का सत्यापन करने के दौरान किया गया था। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

संगठनात्मक व्यवस्था

प्राधिकरण के गठन में, केंद्र सरकार द्वारा अंशकालिक आधार पर नियुक्त एक अध्यक्ष, दो अंशकालिक सदस्य और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो प्राधिकरण का सदस्य सचिव होगा, शामिल हैं। यूआईडीएआई के मुख्य प्रबंधकीय पद निम्नवत हैं:

अध्यक्ष	पद रिक्त है।
यूआईडीएआई का अंशकालिक सदस्य	डॉ.आनंद देशपांडे
मुख्य कार्यकारी अधिकारी(सीईओ)	पंकज कुमार, भा.प्र.से.

मुख्यालय व्यवस्था

मुख्यालय में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सहायता सात उपमहानिदेशक(डीडीजी), भारत सरकार के संयुक्त स्तर के अधिकारी, जो यूआईडीएआई के विभिन्न विंग के प्रभारी अधिकारी हैं, द्वारा की जाती है। उपमहानिदेशकों को सहायता, सहायक महानिदेशक(एडीजी), उप-निदेशक, अनुभाग अधिकारी और सहायक अनुभाग अधिकारी प्रदान करते हैं। मुख्यालय में लेखा और सूचना प्रौद्योगिकी शाखा से तैनात कार्मिकों सहित 127 अधिकारियों एवं स्टाफ सदस्यों की कुल स्वीकृत नफरी है।

क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) में व्यवस्था

यूआईडीएआई के आठ क्षेत्रीय कार्यालयों में से प्रत्येक की अध्यक्षता उपमहानिदेशक (डीडीजी) द्वारा की जाती है और सहायता संरचना में सहायक महानिदेशक, उप-निदेशक, अनुभाग अधिकारी, सहायक अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, लेखाकार और निजी स्टाफ शामिल हैं।

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन

सभी सक्षम प्राधिकारियों को विभिन्न कार्यालय आदेशों/ज्ञापनों के माध्यम से उन्हें प्रत्यायोजित प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के प्रयोग करने का अधिकार है।

नीतियां और क्रियाविधि

यूआईडीएआई की अभी तक (अक्तूबर, 2018 तक) कोई भर्ती संबंधी नीतियां नहीं हैं, क्योंकि यूआईडीएआई के अधिकारी/स्टाफ अन्य मंत्रालयों/विभागों और अन्य सरकारी एजेंसियों से प्रतिनियुक्ति पर नियोजित हैं।

नकदी की प्राप्तियां और संवितरण

नकदी की प्राप्ति और वितरण से संबंधित कार्य आहरण एवं वितरण अधिकारी(डीडीओ) द्वारा किया जाता है। कैश बुक खजांची (कैशियर) की अभिरक्षा में रहती है तथा नकदी की प्रत्यक्ष रूप से नियमित जांच की जाती है। नकद शेष की

अधिकतम सीमा का रखरखाव प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है।

निधियों का रखरखाव (नियोजित/अनियोजित)

सांविधिक प्राधिकरण के रूप में स्थापित होने से पूर्व, अर्थात 2016-17 तक, यूआईडीएआई तत्कालीन योजना आयोग (वर्तमान में नीति आयोग), उसकी दिनांक 28 जनवरी, 2009 की राजपत्र अधिसूचना सं. ए-43011/02/2009-प्रशा.। के तहत, के एक संबद्ध कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा था। बाद में, 12 सितंबर 2015 को, सरकार ने यूआईडीएआई को तत्कालीन इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई), संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से अटैच करने के लिए कार्यों की आबंटन नियमावली को संशोधित किया।

वित्त वर्ष 2019-20 में यूआईडीएआई को केंद्र सरकार से अनुदान के समक्ष 836.78 करोड़ रुपए (वेतन- 49.27 करोड़ रुपए+ पूंजीगत – 150.00 करोड़ रुपए + सामान्य– 637.51 करोड़ रुपए) की राशि प्राप्त हुई।

नकद की प्राप्तियां एवं प्राप्ति योग्य/संवितरण

सक्षम प्राधिकारी के सभी स्वीकृति आदेश, जिन्हें वित्त प्रभाग को भुगतान के लिए अग्रेषित किया जाता है, की विद्यमान नियमों/आदेशों, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन, आवंटन योग्य लेखा-शीर्ष के तहत निधियों की उपलब्धता आदि के साथ जांच की जाती है और तदनुसार भुगतान के लिए अंतिम आदेश जारी किए जाते हैं।

कार्मिकों के लिए वेतन रोल/ऋण और अग्रिम

यूआईडीएआई के कर्मचारियों के वेतन/ऋण और अग्रिमों को तैयार किया जा रहा है तथा उनका भुगतान समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों में निहित उपबंधों के अनुसार किया जाता है।

बैंक शेष/बैंक मिलान

बैंक के मिलान विवरण का रखरखाव यूआईडीएआई द्वारा नियमित रूप से किया जाता है।

अचल परिसंपत्तियां

यूआईडीएआई द्वारा अचल परिसंपत्तियों के रजिस्टर का रखरखाव समुचित रूप से किया जाता है। साथ ही, वर्ष 2019-20 के दौरान अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था।

ह0/-

(मनीष कुमार)

प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा

(वित्त एवं संचार)

31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(राशि / रू.)

क्र. सं.	विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
	देयताएं			
1.	आधारभूत / पूंजीगत निधि	1	14,35,73,05,525.11	14,24,03,50,023.13
2.	आरक्षित और अधिशेष	2	--	--
3.	निर्धारित/अक्षय निधियां	3	3,88,63,16,669.82	2,27,29,14,498.82
4.	प्रतिभूत ऋण और उधारी	4	--	--
5.	अप्रतिभूत ऋण और उधारी	5	--	--
6.	आस्थगित ऋण देयताएं	6	--	--
7.	वर्तमान देयताएं और प्रावधान	7	1,45,94,33,021.63	16,19,44,423.42
	कुल		**19,70,30,55,216.56**	**16,67,52,08,945.37**
	आस्तियां			
1.	अचल आस्तियां	8	7,44,88,25,159.44	7,95,35,81,936.49
2.	निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश	9	--	--
3.	अन्य निवेश	10	47,33,86,157.00	2,91,88,05,707.32
4.	वर्तमान आस्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	11	11,78,08,43,900.12	5,80,28,21,301.56
5.	विविध व्यय (उस सीमा तक जहां उसे बट्टे खाते नहीं डाला गया हो अथवा समायोजित नहीं किया गया हो)		--	--
	कुल		**19,70,30,55,216.56**	**16,67,52,08,945.37**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	25		
	आकस्मिक देयताएं और लेखा टिप्पणियां	26		

ह0 / –
वेतन एवं लेखा अधिकारी

ह0 /
सहायक महानिदेशक

ह0 /
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(राशि / रू.)

क्र. सं.	विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
	आय			
1.	सेवाओं से आय	12	1,51,39,45,833.34	2,91,01,272.00
2.	अनुदान / सब्सिडी	13	7,21,10,39,724.46	10,80,45,51,568.39
3.	शुल्क / अभिदान	14	19,68,70,155.68	15,43,20,346.43
4.	निवेश से आय (निधि में अंतरित निर्धारित अक्षय निधियों से निवेश पर आय)	15	--	--
5.	रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	--	--
6.	अर्जित ब्याज	17	6,76,84,889.00	23,85,45,422.50
7.	अन्य आय	18	24,92,25,851.29	23,18,77,127.15
8.	तैयार सामग्रियों और प्रगतिरत कार्य के स्टॉक में वृद्धि/ (कमी)	19	--	--
	कुल (क)		9,23,87,66,453.77	11,45,83,95,736.47
	व्यय			
1.	स्थापना व्यय	20	55,53,93,389.00	43,44,79,560.00
2.	अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	39,54,80,975.82	39,95,63,642.33
3.	परिचालन व्यय	22	5,19,94,59,750.84	5,75,64,21,449.83
4.	अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	23	--	--
5.	ब्याज	24	--	--
6.	मूल्यह्रास (साल के अंत में नेट अनुसूची- 8 के तदनुरूप		1,23,23,24,130.26	2,25,30,91,631.96
	कुल (ख)		7,38,26,58,245.92	8,84,35,56,284.12
	व्यय पर आय के अतिरिक्त शेष राशि (ग)= (क - ख)		1,85,61,08,207.85	2,61,48,39,452.35
	पूर्व अवधि व्यय (घ)		1,48,93,22,037.69	56,42,78,253.97
	पूर्व अवधि आय (ङ.)		3,02,16,852.98	3,00,06,610.60
	पूर्व अवधि के अन्य समायोजन (च)		40,73,26,455.00	9,33,67,528.67
	भाविपप्रा निधि को हस्तांतरण (छ)		2,02,77,26,729.31	64,16,33,814.37
	स्पेशल रिजर्व में स्थानांतरण हेतु (प्रत्येक निर्दिष्ट करें)		--	--
	जनरल रिजर्व से / को स्थानांतरण		--	--
	शेष बतौर अधिशेष / (घाटा) आधारभूत / पूंजीगत निधि के लिए (ज) ज=(ग-घ-ङ+च–छ)		(1,22,33,97,251.17)	1,47,22,88,302.08
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	25		
	आकस्मिक देयताएं और लेखा पर नोट्स	26		

ह0 / –
वेतन एवं लेखा अधिकारी

ह0 /
सहायक महानिदेशक

ह0 /
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा

(राशि / रू.)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
	प्राप्तियां		
1.	प्रारंभिक शेष		
	क. नकदी	33,960.00	3,25,920.00
	ख. बैंक राशि		
	i. चालू खातों में	7,76,41,419.45	61,60,06,272.12
	ii. जमा खातों में	--	--
	iii. बचत खाते	--	--
	iv. अन्य समायोजन		15,000.00
2.	प्राप्त अनुदान/ सब्सिडी		
	क. भारत सरकार से		
	i. अनुदान सहायता: सामान्य	6,37,51,00,000.00	11,76,87,00,000.00
	ii. अनुदान सहायता : वेतन	49,27,00,000.00	65,00,00,000.00
	iii. अनुदान सहायता: पूंजी	1,50,00,00,000.00	1,03,12,00,000.00
	ख. राज्य सरकार से	--	--
	ग. अन्य सूत्रों से (विवरण) पूंजी और राजस्व व्यय के लिए अनुदान अलग से दिखाया जाए।	--	--
3.	सेवाओं से आय	1,71,08,15,989.02	2,91,01,272.00
4.	निवेश से आय		
	क. निर्धारित /अक्षय निधि	--	--
	ख. स्वयं की निधि (अन्य निवेश)	18,53,07,02,945.00	13,67,58,11,828.00
5.	प्राप्त ब्याज		
	क. बैंक जमा राशियों पर	26,88,74,247.60	21,15,53,397.18
	ख. ऋण, अग्रिम आदि	--	--
	ग. अन्य	--	--
6.	अन्य आय (निविदा शुल्क, आरटीआई शुल्क आदि)	35,178.00	3,63,79,260.72
7.	उधार ली गई राशि	--	--
8.	अन्य प्राप्तियाँ		
	क. एनपीएस	--	--
	ख. छुट्टी वेतन पेंशन अंशदान	--	--
	ग. प्रतिभूति / बयाना जमा/बैंक गारंटी भुनाया	2,33,458.00	8,95,66,420.00
	घ. अग्रिमों की वापसी		
	i. गृह निर्माण अग्रिम	--	--
	ii. कार अग्रिम	--	--
	iii. मोटर साइकिल/ स्कूटर अग्रिम	--	--
	iv. कंप्यूटर अग्रिम	--	3,435.00
	v. अन्य अग्रिम	15,49,929.00	13,15,726.00
	vi. एलटीसी	19,85,989.00	57,85,766.00
	vii. सामान्य कार्यालय व्यय	12,22,097.00	5,50,187.00
	ङ. आयकर	--	--
	च. सेवा कर	--	--
	छ. विविध प्राप्तियां	--	--
	ज. जीएसटी/टीडीस	--	80,61,898.00
	झ. राज्य प्राधिकरणों द्वारा वापस किया गया अग्रिम	1,23,60,854.00	3,22,15,644.00
	ञ. ठेकेदारों द्वारा वापस किया गया अग्रिम	--	86,34,530.00
	ट. अन्य प्राप्तियां	13,68,894.12	1,61,05,999.00
	ठ. अर्थदंड एवं परिनिर्धारित नुकसानी	24,78,57,157.17	1,61,324.00
	ड. स्क्रैप की बिक्री	30,288.00	1,13,697.00

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
	ढ. क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त निधि	1,19,86,08,969.00	97,15,37,594.69
	ण. वेंडरों की रोकी गई राशि	--	29,32,92,778.00
	त. ऋणदाताओं से अग्रिम प्राप्त किया गया	19,13,40,487.56	27,78,43,181.41
	कुल	**30,61,24,61,861.92**	**29,72,42,81,130.12**
	भुगतान		
1.	स्थापना व्यय	45,60,24,454.80	38,56,81,486.49
2.	अन्य प्रशासनिक व्यय	43,62,05,338.76	43,47,32,522.28
3.	परिचालन खर्च	4,53,61,68,959.33	5,73,78,08,928.73
4.	विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधि से भुगतान		
5.	किए गए निवेश और जमा राशि		
	क. निर्धारित/ अक्षय निधि से	--	--
	ख. स्वयं के धन से (निवेश-अन्य)	15,76,19,82,762.00	16,25,79,63,827.00
6.	अचल आस्ति और पूंजी प्रगति कार्यों पर व्यय		
	क. अचल आस्तियों की खरीद	77,56,81,895.98	63,68,85,443.87
	ख. पूंजी प्रगति कार्यों पर व्यय	--	44,93,738.00
7.	अधिशेष धन/ऋण की वापसी		
	क. भारत सरकार को	--	69,94,85,431.00
	ख. राज्य सरकार को	--	--
	ग. अन्य धन प्रदाताओं को	--	--
8.	वित्त प्रभार (ब्याज)	--	--
9.	अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)		
	क. एनपीएस	--	--
	ख. छुट्टी वेतन पेंशन अंशदान	--	--
	ग. जमा बयाना राशि (ईएमडी)	--	--
	घ. अग्रिम		
	i. गृह निर्माण अग्रिम	--	--
	ii. कार अग्रिम	--	--
	iii. मोटर साइकिल/ स्कूटर अग्रिम	--	--
	iv. कंप्यूटर अग्रिम	--	50,000.00
	v. अन्य अग्रिम	30,30,192.00	--
	vi. सामान्य कार्यालय व्यय	44,07,986.00	17,95,963.00
	vii. एलटीसी	1,05,23,878.00	80,01,694.00
	vii. राज्य प्राधिकारणों	1,49,46,76,166.00	3,95,10,05,616.00
	ङ. आयकर	--	--
	च. सेवा कर	--	--
	छ. विविध भुगतान	--	--
	ज. जीएसटी/ टीडीस	30,44,48,790.92	17,38,87,684.38
	झ. ठेकेदारों को अग्रिम	34,80,46,460.00	32,24,54,499.00
	ञ. केएसआईआईडीसी को अग्रिम किराया	--	14,75,639.00
	ट. विद्युत विभाग के पास जमा	--	--
	ठ.सीआईएसएफ के पास जमा	--	--
	ड. यूपीसीआईडीसीओ के पास जमा (किराया)	--	5,18,440.00
	ढ. सीपीडब्लूडी के पास जमा (हैदराबाद)	--	--
	ण. बयाना वापसी	9,25,000.00	15,10,000.00
	त. निविदा शुल्क वापसी	--	--
	थ. पूर्वभुगतान और अन्य	--	65,11,382.00

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
	द. देनदारों को रिफ़ंड	--	2,22,80,135.23
	ध. एजेंसियों के पास जमा – एफ़डी	--	44,22,000.00
	न. एजेंसियों के पास जमा – सीआइएसएफ	--	96,12,000.00
	प. एजेंसियों के पास जमा – टेलीफ़ोन	--	15,000.00
	फ. एजेंसियों के पास जमा – अन्य	--	2,62,600.00
	ब. वेंडरों की रोकी गई राशि	--	1,42,14,126.00
	भ. क्षेत्रीय कार्यालयों को दिये गए फ़ंड	1,19,86,08,969.00	97,15,37,594.69
10.	अंत शेष		
	क. नकदी	12,19,210.00	33,960.00
	ख. बैंक बकाया		
	i. चालू खातों में	32,95,07,112.41	7,76,41,419.45
	ii. जमा खातों में	4,95,10,04,686.72	--
	iii. बचत खातों में	--	--
	कुल	**30,61,24,61,861.92**	**29,72,42,81,130.12**

नोट:

प्राप्तियों के शीर्ष 4 ख और भुगतान के 5 ख के तहत दर्शाई गई राशि वास्तव में चालू खाते में न्यूनतम सीमा सीमा से अधिक धन का ऑटो स्वीप है। स्वीप इन / आउट का शुद्ध प्रभाव बैंक खाते में जमा राशि के रूप में बिंदु 10 ख में अलग से दिखाया गया है।

ह0/–	ह0/	ह0/
वेतन एवं लेखा अधिकारी	सहायक महानिदेशक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अनुसूची 1 – आधारभूत/ पूंजीगत निधि
31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का संरूपित भाग

(राशि / रू.)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	वर्ष के प्रारंभ की स्थिति के अनुसार शेष राशि	14,24,03,50,023.13	11,73,62,27,846.32
2	जोड़: कॉर्पस/पूंजीगत निधि हेतु योगदान	1,35,02,07,632.35	1,01,40,67,747.16
3	जोड़/(घटा): आय और व्यय खाते से अंतरित शुद्ध आय/(व्यय) का संतुलन	(1,22,33,97,251.17)	1,47,22,88,302.08
4	जोड़/घटा: पूर्व वर्ष की देयताएं कॉर्पस को हस्तांतरित	(98,54,879.20)	1,77,66,127.57
	वर्ष के अंत में शेष राशि	**14,35,73,05,525.11**	**14,24,03,50,023.13**

ह0 /
वेतन एवं लेखा अधिकारी

ह0 /
सहायक महानिदेशक

अनुसूची 2 – आरक्षित और अधिशेष
31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र का संरूपित भाग

(राशि / रू.)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	**आरक्षित पूंजी**		
	पिछले लेखों के अनुसार		
	वर्ष के दौरान परिवर्धन		
	घटाना: वर्ष के दौरान कटौतियां		
2	**पुनर्मूल्यांकन आरक्षित**		
	पिछले लेखों के अनुसार		
	वर्ष के दौरान परिवर्धन		
	घटाना: वर्ष के दौरान कटौतियां		
3	**विशेष आरक्षिति**		
	पिछले लेखों के अनुसार		
	वर्ष के दौरान परिवर्धन		
	घटाना: वर्ष के दौरान कटौतियां		
4	**सामान्य आरक्षिति**		
	पिछले लेखों के अनुसार		
	वर्ष के दौरान परिवर्धन		
	घटाना: वर्ष के दौरान कटौतियां		
	कुल		

ह0 /
वेतन एवं लेखा अधिकारी

ह0 /
सहायक महानिदेशक

अनुसूची 3 – निर्धारित / अक्षय निधियां
31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र का संरूपित भाग

(राशि / रू.)

क्र. सं.	विवरण	निधीवर विवरण				कुल	
		निधि वेतन	निधि सामान्य	निधि अचल आस्तियां	निधि राजस्व	चालू वर्ष	गत वर्ष
1.	**निधियों का अधिशेष**	**3,04,63,495.00**	**1,58,36,84,936.61**	**1,71,32,252.84**	**64,16,33,814.37**	**2,27,29,14,498.82**	
2.	**निधियों में परिवर्धन**						
	क. दान/अनुदान	49,27,00,000.00	6,37,51,00,000.00	1,50,00,00,000.00	--	8,36,78,00,000.00	13,44,99,00,000.00
	ख. निधि के खातों में किए गए निवेश से आय	--	--	--	--	--	22,58,21,819.50
	ग. लाइसेंस आय और एनआरडी	--	--	--	19,68,34,977.68	19,68,34,977.68	15,29,66,287.43
	घ. अधिप्रमाणन सेवाओं से आय	--	--	--	1,25,32,36,979.68	1,25,32,36,979.68	--
	ड. नामांकन सेवाओं से आय	--	--	--	4,40,70,887.56	4,40,70,887.56	--
	च. आधार पुन-मुद्रण से आय	--	--	--	21,66,37,966.10	21,66,37,966.10	--
	छ. जुर्माना, हर्जाना एवं दंडात्मक कार्रवाई	--	--	--	24,78,57,157.17	24,78,57,157.17	22,86,50,393.18
	ज. स्क्रैप की बिक्री	--	--	--	--	--	(3,73,651.75)
	झ.अन्य आय (ब्याज, किराया, लाइसेंस शुल्क के अलावा अन्य शुल्क आदि)	--	--	--	6,90,88,761.12	6,90,88,761.12	4,67,79,319.72
	ञ. वित्त वर्ष 2018-19 के सहायता अनुदान पर ब्याज वर्तमान देनदारियों को हस्तांतरित किया गया	--	--	--	(22,08,77,201.50)	(22,08,77,201.50)	--
	कुल (2)	**49,27,00,000.00**	**6,37,51,00,000.00**	**1,50,00,00,000.00**	**1,80,68,49,527.81**	**10,17,46,49,527.81**	**14,10,37,44,168.08**
3.	निधियों के उद्देश्यों की दिशा में उपयोग/व्यय						
	क. पूंजीगत व्यय						
	i. अचल संपत्ति	--	--	1,35,02,07,632.35	--	1,35,02,07,632.35	1,01,40,67,747.16
	ii. अन्य	--	--	--	--	--	--
	कुल	**--**	**--**	**1,35,02,07,632.35**	**--**	**1,35,02,07,632.35**	**1,01,40,67,747.16**
	ख. राजस्व व्यय						
	i. वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	46,92,03,188.00	--	--	--	46,92,03,188.00	61,95,36,505.00
	ii. किराया	--	--	--	--	--	--
	iii. अन्य प्रशासनिक व्यय	--	6,74,18,36,536.46	--	--	6,74,18,36,536.46	10,19,72,25,417.10
	ग. केंद्र सरकार के पास जमा	--	--	--	--	--	--
	कुल	**46,92,03,188.00**	**6,74,18,36,536.46**	**--**	**--**	**7,21,10,39,724.46**	**10,81,67,61,922.10**
	कुल (3)	**46,92,03,188.00**	**6,74,18,36,536.46**	**1,35,02,07,632.35**		**8,56,12,47,356.81**	**11,83,08,29,669.26**
	वर्ष के अंत में निवल शेष (1 + 2 –3)	**5,39,60,307.00**	**1,21,69,48,400.15**	**16,69,24,620.49**	**2,44,84,83,342.18**	**3,88,63,16,669.82**	**2,27,29,14,498.82**

टिप्पणियाँ 1) अनुदान के लिए निर्धारित शर्तों के आधार प्रासंगिक शीर्षों का प्रकटीकरण किया जाएगा।
2) केंद्र / राज्य सरकारों से प्राप्ति योजना निधियों को अलग निधि के रूप में दर्शाया जाना चाहिए और किन्हीं अन्य निधियों के साथ न मिलाया जाए।

ह0 /
वेतन एवं लेखा अधिकारी

ह0 /
सहायक महानिदेशक

अनुसूची 4 – सुरक्षित ऋण और उधारी
31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र का संरूपित भाग

(राशि / रू.)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	**केंद्र सरकार**		
2	**राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)**		
3	**वित्तीय संस्थाएं**		
	क. मियादी ऋण		
	उपार्जित और देय ब्याज		
4	**बैंक:**		
	क. मियादी ऋण		
	उपार्जित और देय ब्याज		
	ख. अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)		
	उपार्जित ब्याज और देय		
5	**अन्य संस्थाएं और एजेंसियां**		
6	**डिबेंचर और बांड**		
7	**अन्य (निर्दिष्ट करें)**		
	कुल		

नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि

ह0 /
वेतन एवं लेखा अधिकारी

ह0 /
सहायक महानिदेशक

अनुसूची 5 – असुरक्षित ऋण और उधारी
31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र का संरूपित भाग

(राशि / रू.)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	**केंद्र सरकार**		
2	**राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)**		
3	**वित्तीय संस्थाए**		
	क. मियादी ऋण		
	उपार्जित और देय ब्याज		
4	**बैंक:**		
	क. मियादी ऋण		
	उपार्जित और देय ब्याज		
	ख. अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)		
	उपार्जित ब्याज और देय		
5	**अन्य संस्थाएं और एजेंसियां**		
6	**डिबेंचर और बॉन्ड**		
7	**सावधि जमा**		
8	**अन्य (निर्दिष्ट करें)**		
	कुल		

नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि

ह0 /
वेतन एवं लेखा अधिकारी

ह0 /
सहायक महानिदेशक

अनुसूची 6 – आस्थगित ऋण देयताएं
31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र का संरूपित भाग

(राशि / रू.)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	पूंजी उपकरणों और अन्य आस्तियों के दृष्टिबंधक द्वारा प्रतिभूत स्वीकृतियां		
2	अन्य		
	कुल		

नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि

ह0 /
वेतन एवं लेखा अधिकारी

ह0 /
सहायक महानिदेशक

अनुसूची 7 – वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान
31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र का भाग बनाया गया

(राशि / रू.)

क्र सं.	विवरण	चालू वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	गत वर्ष
	वर्तमान देयताएं				
1.	**स्वीकृतियां**	--	--	--	--
2.	**विविध लेनदार**				
	क. माल एवं सेवाएँ हेतु	--	55,68,67,636.52	--	27,93,01,798.08
	ख. अन्य	--	8,98,44,150.00	--	9,04,73,316.00
3.	**प्राप्त अग्रिम**	--	61,43,87,203.75	--	--
4.	**उपार्जित अदेय ब्याज:**				
	क. जमानती ऋण/उधार	--	--	--	--
	ख. गैर-जमानती ऋण/उधार	--	--	--	--
5.	**सांविधिक देयताएं**				
	क. अतिदेय	--	--	--	--
	ख. अन्य	--	(89,56,93,620.21)	--	(67,37,77,539.33)
6.	**अन्य वर्तमान देयता**				
क.	**अनुदान - पूंजी निर्माण**	--	--	--	--
	प्रारम्भिक शेष	--	--	40,74,640.40	--
	जोड़: वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	1,50,00,00,000.00	--	1,03,12,00,000.00	--
	कम: वर्ष के दौरान उपयोग किए गए अनुदान	1,35,02,07,632.35	--	1,01,40,67,747.16	--
		14,97,92,367.65	--	**2,12,06,893.24**	--
	कम: कॉर्पस में हस्तांतरित	--	--	40,74,640.40	--
		14,97,92,367.65	--	**1,71,32,252.84**	--
	कम: भाविपप्रा निधि में हस्तांतरित	**14,97,92,367.65**	--	**1,71,32,252.84**	--
ख.	**अनुदान - वेतन**				
	प्रारम्भिक शेष	--	--	--	--
	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	49,27,00,000.00	--	65,00,00,000.00	--
	कम: आय को हस्तांतरित राजस्व अनुदान	46,92,03,188.00	--	61,95,36,505.00	--
		2,34,96,812.00	--	**3,04,63,495.00**	--
	कम: भाविपप्रा निधि में हस्तांतरित	**2,34,96,812.00**	--	**3,04,63,495.00**	--
ग.	**अनुदान -सामान्य**				
	प्रारम्भिक शेष	--	--	--	--
	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	6,37,51,00,000.00	--	11,76,87,00,000.00	--
	कम: आय को हस्तांतरित राजस्व अनुदान	6,74,18,36,536.46	--	10,18,50,15,063.39	--
		(36,67,36,536.46)	--	1,58,36,84,936.61	--
	कम: भाविपप्रा निधि में हस्तांतरित	(36,67,36,536.46)	--	1,58,36,84,936.61	--

(राशि / रू.)

क्र सं.	विवरण	चालू वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	गत वर्ष
घ.	**प्रतिधारित आय - केंद्र सरकार**				
	प्रारम्भिक शेष	--	--	71,31,76,918.17	--
	क. निधि के निवेश से प्राप्त आय	--	--	--	--
	ख. लाइसेन्स से आय एवं एनआरडी	--	--	--	--
	ग. जुर्माना, हर्जाना एवं डिसइण्सेंटिव	--	--	--	--
	घ. स्क्रैप की बिक्री	--	--	--	--
	ङ. ब्याज से आय	21,81,85,172.03	--	--	--
	च. अन्य आय	--	--	--	--
		21,81,85,172.03	--	**71,31,76,918.17**	--
	कम: केंद्र सरकार को वापस कर दिया गया	--	--	69,94,85,431.00	--
	शेष निधि	**21,81,85,172.03**	--	**1,36,91,487.17**	--
	कम: कॉर्पस में हस्तांतरित	--	--	**1,36,91,487.17**	--
	जोड़: कॉर्पस से हस्तांतरित वित्त वर्ष 2017-18 से संबधित राशि	**98,54,879.20**	--	--	--
	जोड़: भाविपप्रा निधि से हस्तांतरित वित्त वर्ष 2018-19 के अनुदानों पर प्राप्त ब्याज	**22,08,77,201.50**	**44,89,17,252.73**	--	--
	कुल (क)	--	**81,43,22,622.79**	--	**(30,40,02,425.25)**
	प्रावधान				
1.	कराधान के लिए	--	--	--	--
2.	ग्रेच्युटी	--	--	--	--
3.	अधिवर्षिता/पेंशन अंशदान	--	--	--	--
4.	संचित छुट्टी नकदीकरण	--	--	--	--
5.	व्यापार वारंटियां / दावे	--	--	--	--
6.	देय छुट्टी वेतन	--	--	--	--
7.	अन्य (वेतन, सामान्य कार्यालय और				
	अन्य व्यय देय)	--	64,51,10,398.84	--	46,59,46,848.67
	कुल (ख)	--	**64,51,10,398.84**		**46,59,46,848.67**
	कुल (क + ख)	--	**1,45,94,33,021.63**	--	**16,19,44,423.42**

ह0 /
वेतन एवं लेखा अधिकारी

ह0 /
सहायक महानिदेशक

अनुसूची 8 – अचल आस्तियां

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित मूल्यह्रास					निबल ब्लॉक	
	वर्षारंभ पर लागत / मूल्याँकन (01/04/2019)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष की समाप्ति के अनुसार लागत / मूल्याँकन	01/04/2019 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियां	समायोजन	31/03/2020 को	31/03/2020 को	गत वर्ष 31/03/2019 की स्थिति के अनुसार
(1) और (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)
अचल आस्तियां											
1. भूमि											
क. पूर्ण स्वातमित्व में	44,64,02,050.00	1,97,86,240.46	--	46,61,88,290.46	--	--	--	--	--	46,61,88,290.46	44,64,02,050.00
ख. पट्टे पर	9,87,64,050.00	--	--	9,87,64,050.00	2,55,79,437.97	32,92,135.00	--	--	2,88,71,572.97	6,98,92,477.03	7,31,84,612.03
कुल (1)	**54,51,66,100.00**	**1,97,86,240.46**	**--**	**56,49,52,340.46**	**2,55,79,437.97**	**32,92,135.00**	**--**	**--**	**2,88,71,572.97**	**53,60,80,767.49**	**51,95,86,662.03**
2. कार्यालय भवन और डाटा सेंटर:											
क. पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि पर	1,96,04,20,363.00	13,32,454.00	--	1,96,17,52,817.00	5,13,61,200.26	2,95,47,547.91	--	--	8,09,08,748.17	1,88,08,44,068.83	1,90,90,59,162.74
ख. पट्टे पर दी गई भूमि पर	1,15,00,00,000.00	--	--	1,15,00,00,000.00	6,90,12,078.09	1,82,08,333.33	--	--	8,72,20,411.42	1,06,27,79,588.84	1,08,09,87,922.17
ग. स्वामित्व वाले फ्लैट्स	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
घ. इकाई से असंबंधित भूमि पर सुपरस्ट्रक्चर	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
कुल (2)	**3,11,04,20,363.00**	**13,32,454.00**	**--**	**3,11,17,52,817.00**	**12,03,73,278.35**	**4,77,55,881.24**	**--**	**--**	**16,81,29,159.59**	**2,94,36,23,657.67**	**2,99,00,47,084.91**
3. संयंत्र मशीनरी और उपकरण											
क. मशीनरी और उपकरण	1,89,00,39,708.22	37,94,210.00	--	1,89,38,33,918.22	46,03,51,931.80	11,98,90,193.51	--	--	58,02,42,125.31	1,31,35,91,792.91	1,42,96,87,776.42
ख. प्रौद्योगिकी बुनियादी सुविधाएं (सर्वर एवं डीपीयू)	14,64,45,43,874.22	27,80,89,162.88	--	14,92,26,33,037.10	12,43,76,94,868.62	69,30,32,120.69	--	--	13,13,07,26,989.31	1,79,19,06,047.79	2,20,68,49,005.60
ग. यूबीसीसी बुनियादी सुविधाएं	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
घ. सूचना प्रौद्योगिकी (सॉफ्टवेयर)	65,01,60,237.99	22,67,95,387.78	--	87,69,55,625.77	17,86,00,763.73	21,06,96,341.87	--	--	38,92,97,105.60	48,76,58,520.17	47,15,59,474.26
कुल (3)	**17,18,47,43,820.43**	**50,86,78,760.66**	**--**	**17,69,34,22,581.09**	**13,07,66,47,564.15**	**1,02,36,18,656.07**	**--**	**--**	**14,10,02,66,220.22**	**3,59,31,56,360.87**	**4,10,80,96,256.28**
4. वाहन	1 4,60,515.00	--	--	14,60,515.00	1,65,227.59	1,70,956.89	--	--	3,36,184.48	11,24,330.52	12,95,287.41
5. फर्नीचर एवं फिक्सचर	8,72,48,068.80	10,00,268.73	--	8,82,48,337.53	2,94,67,070.11	77,16,961.53	--	--	3,71,84,031.64	5,10,64,305.89	5,77,80,998.69
6. कार्यालयी उपकरण	7,87,49,294.30	41,17,073.85	26,46,928.00	8,02,19,440.15	5,06,89,820.23	69,04,364.22	5,02,916.32	-	5,70,91,268.13	2,31,28,172.02	2,80,59,474.07

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित मूल्यह्रास					निबल ब्लॉक	
	वर्षारंभ पर लागत / मूल्याँकन (01/04/2019)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष की समाप्ति के अनुसार लागत / मूल्याँकन	01/04/2019 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियां	समायोजन	31/03/2020 को	31/03/2020 को	गत वर्ष 31/03/2019 की स्थिति के अनुसार
(1) और (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(11)	(12)
7. कंप्यूटर/ पेरिफेरल (डेस्कटॉप, प्रिंटर एवं अन्य)	44,85,86,592.03	12,30,75,845.20	--	57,16,62,437.23	21,59,05,336.85	13,70,66,712.29			35,29,72,049.14	21,86,90,388.09	23,26,81,255.18
8. विद्त स्थापना	68,49,445.49	44,50,587.00	--	1,13,00,032.49	11,13,726.94	15,89,576.72	--	--	27,03,303.66	85,96,728.83	57,35,718.55
9. पुस्तकालयी किताबें	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10. अन्य अचल आस्तियां	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
क. लैपटाप एवं टैब्लेट	2,69,82,394.66	60,61,930.86	--	3,30,44,325.52	1,83,21,658.94	34,85,388.10	--	--	2,18,07,047.04	1,12,37,278.48	86,60,735.72
ख. मोबाइल फोन	78,31,866.98	14,35,541.40	--	92,67,408.38	61,93,403.33	12,26,414.52	--	--	74,19,817.85	18,47,590.53	16,38,463.65
कुल (10)	**3,48,14,261.64**	**74,97,472.26**	**--**	**4,23,11,733.90**	**2,45,15,062.27**	**47,11,802.62**	**--**	**--**	**2,92,26,864.89**	**1,30,84,869.01**	**1,02,99,199.37**
चालू वर्ष का योग (1+2+3+4 +5+6 +7+8+9+10)	**21,49,80,38,460.69**	**66,99,38,702.16**	**26,46,928.00**	**22,16,53,30,234.85**	**13,54,44,56,524.46**	**1,23,28,27,046.58**	**5,02,916.32**	**--**	**14,77,67,80,654.72**	**7,38,85,49,580.39**	**7,95,35,81,936.49**
गत वर्ष	**19,93,39,79,159.81**	**1,57,02,53,738.88**	**61,94,438.00**	**21,49,80,38,460.69**	**11,27,46,82,922.78**	**2,25,30,91,631.96**	**56,05,333.25**	**2,22,87,302.97**	**13,54,44,56,524.46**	**7,95,35,81,936.49**	**8,65,92,96,237.77**
प्रगतिरत कार्य पूंजी	--	6,02,75,579.05	--	6,02,75,579.05	--	--	--	--	--	6,02,75,579.05	--
कुल	**21,49,80,38,460.69**	**73,02,14,281.21**	**26,46,928.00**	**22,22,56,05,813.90**	**13,54,44,56,524.46**	**1,23,28,27,046.58**	**5,02,916.32**	**--**	**14,77,67,80,654.72**	**7,44,88,25,159.44**	**7,95,35,81,936.49**

(उपर्युक्तय में शामिल किराया, खरीद आधार पर आस्तियों की लागत के बारे में टिप्पणी दी जानी है।)

ह0 /
वेतन एवं लेखा अधिकारी

ह0 /
सहायक महानिदेशक

अनुसूची 9 – निर्धारित /अक्षय निधि से निवेश
31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र का संरूपित भाग

(राशि / रू.)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	सरकारी प्रतिभूतियां		
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		
3	शेयर		
4	डिबेंचर और बॉन्ड		
5	समनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम		
6	अन्य (स्पष्ट किया जाना है)		
	कुल		

ह0 /
वेतन एवं लेखा अधिकारी

ह0 /
सहायक महानिदेशक

अनुसूची 10 – अन्य निवेश
31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र का संरूपित भाग

(राशि / रू.)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	सरकारी प्रतिभूतियां	--	--
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	--	--
3	शेयर	--	--
4	डिबेंचर और बांड	--	--
5	सहायक कंपनियां और संयुक्त वेंचर्स	--	--
6	अन्य (स्पष्ट किया जाना है)	--	--
	क. ऑटो स्वीप के रूप मे बैंकों मे सावधि जमा	--	2,75,94,19,549.32
	ख. एफडी प्रोजेक्ट- ईआईएल	47,33,86,157.00	15,93,86,158.00
	कुल	**47,33,86,157.00**	**2,91,88,05,707.32**

ह0 /
वेतन एवं लेखा अधिकारी

ह0 /
सहायक महानिदेशक

अनुसूची 11 – वर्तमान आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम इत्यादि
31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र का संरूपित भाग

(राशि / रू.)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
	क. वर्तमान आस्तियां		
1	**वस्तु सूची**		
	क. स्टोर और स्पेयर्स	--	--
	ख. अबद्ध उपकरण	--	--
	ग. व्यापारिक स्टॉक		
	i. तैयार सामग्री	--	--
	ii. प्रगति अधीन – कार्य	--	--
	iii. कच्चा माल	--	--
2	**विविध देनदार**		
	क. छः महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण	25,18,34,350.07	--
	ख. अन्य	31,52,72,588.73	(8,51,75,462.37)
3	**हस्तगत रोकड़ (चेक / ड्राफ्ट एवं इम्प्रैस्ट सहित)**	12,19,210.00	33,960.00
4	**बैंकों में शेष राशि**		
	क. अनुसूचित बैंकों के साथ		
	i. चालू खातों में	32,95,07,112.41	7,76,41,419.45
	ii. मियादी जमा खातों में (उपान्त राशि सहित)	4,95,10,04,686.72	--
	iii. बचत बैंक जमा खातों में	--	--
	ख.गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ		
	i. चालू खातों में	--	--
	ii. मियादी जमा खातों में (उपान्त राशि सहित)	--	--
	iii. बचत बैंक जमा खातों में	--	--
5	**डाकघर बचत खाते**	--	--
6	**अन्य**	--	--
	कुल (क)	**5,84,88,37,947.93**	**(75,00,082.92)**
	ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य आस्तियां		
1	**ऋण**		
	क. स्टाफ		
	i. एलटीसी अग्रिम	49,99,036.00	35,46,623.00
	ii. सामान्य कार्यालय व्यय	8,93,339.00	7,49,793.00

(राशि / रू.)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
	ख. संस्था के समान कार्यक्रमों/ उद्देश्यों में लगी हुई अन्य संस्थाएं	--	--
	ग. अन्य (स्पष्ट करें)	11,03,072.00	15,53,944.00
2	**नकदी या वस्तु में या प्राप्य मूल्य के लिए वसूली योग्य**		
	अग्रिम एवं अन्य राशि		
	क. पूंजी खाते में	--	--
	ख. पूर्व-भुगतान	3,00,70,766.00	5,11,47,939.00
	ग. प्रतिभूति जमा	8,07,35,817.00	7,85,75,426.00
	घ. अन्य		
	i. टीडीएस प्राप्य	11,16,80,796.73	3,74,76,907.48
	ii. डीएवीपी, राज्य सरकार (आईसीटी सहायता), डीओपी आदि	5,67,46,52,043.85	5,23,69,54,150.00
	iii. ठेकेदार	1,62,96,707.00	40,03,16,602.00
3	**उपाचित आय**		
	क. निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश पर	1,15,74,374.61	--
	ख. अन्य निवेश पर	--	--
	ग. ऋण और अग्रिम पर	--	--
	घ. अन्य (अप्राप्य देय आय रूपए ..... सहित है)	--	--
4	**प्राप्य दावे**	--	--
	कुल (ख)	**5,93,20,05,952.19**	**5,81,03,21,384.48**
	कुल (क+ख)	**11,78,08,43,900.12**	**5,80,28,21,301.56**

ह0 /
वेतन एवं लेखा अधिकारी

ह0 /
सहायक महानिदेशक

अनुसूची 12 – सेवाओं से आय
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा का भाग बनाया गया

(राशि / रू.)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	प्रमाणीकरण सेवाएं	1,25,32,36,979.68	--
2	नामांकन सेवा	4,40,70,887.56	--
3	अन्य (आधार पुनर्मुद्रण)	21,66,37,966.10	2,91,01,272.00
	कुल	**1,51,39,45,833.34**	**2,91,01,272.00**

ह0 /
वेतन एवं लेखा अधिकारी

ह0 /
सहायक महानिदेशक

अनुसूची 13 – अनुदान / सब्सिडी
(प्राप्त किए गए अविकल्पी अनुदान और सब्सिडी)
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि / रू.)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	केंद्र सरकार		
	क. अनुदान - वेतन	46,92,03,188.00	61,95,36,505.00
	ख. अनुदान - सामान्य	6,37,51,00,000.00	10,18,50,15,063.39
2	राज्य सरकार (सरकारे)	--	--
3	सरकारी एजेंसियां	--	--
4	संस्थान/कल्याण निकाय	--	--
5	अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं	--	--
6	अन्य (निर्दिष्ट करें)		
	क. भाविपप्रा निधि से अव्ययित अनुदान	36,67,36,536.46	--
	कुल	**7,21,10,39,724.46**	**10,80,45,51,568.39**

ह0 /
वेतन एवं लेखा अधिकारी

ह0 /
सहायक महानिदेशक

अनुसूची 14 – शुल्क / अभिदान
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि / रू.)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	प्रवेश शुल्क	--	--
2	वार्षिक शुल्क/सदस्यता	--	--
3	संगोष्ठी/कार्यक्रम का शुल्क	--	--
4	व्यावसायिक/परामर्शी शुल्क	--	--
5	लाइसेंस शुल्क	19,68,34,977.68	15,29,66,287.43
6	अन्य (आरटीआई शुल्क, निविदा शुल्क, आरएफ़पी शुल्क आदि)	35,178.00	13,54,059.00
	कुल	**19,68,70,155.68**	**15,43,20,346.43**

ह0 /
वेतन एवं लेखा अधिकारी

ह0 /
सहायक महानिदेशक

अनुसूची 15 – निवेशों से आय
(निधि की अंतरित निर्धारित /अक्षय निधियों से निवेश पर आय)
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि / रू.)

क्र सं	विवरण	निर्धारित कोष से निवेश		अन्य निवेश	
		चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	**ब्याज**				
	क. सरकार प्रतिभूतियों पर				
	ख. अन्य बांड /डिबेंचर्स				
	ग. अन्य				
2	**लाभांश**				
	क. शेयरों पर				
	ख. म्युचुअल फंड पर				
	ग. अन्य (स्पष्ट करें)				
	कुल				
	निर्धारित/अक्षय निधि में अंतरित				

ह0 /
वेतन एवं लेखा अधिकारी

ह0 /
सहायक महानिदेशक

अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि / रू.)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	रॉयल्टी से आय		
2	प्रकाशनों से आय		
3	अन्य (स्पष्ट करें)		
	कुल		

ह0 /
वेतन एवं लेखा अधिकारी

ह0 /
सहायक महानिदेशक

अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि / रू.)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	**सावधि जमा राशियों पर**		
	क. अनुसूचित बैंकों से		
	i. अनुदान प्राप्तियों पर	--	20,81,53,598.50
	ii. अन्य प्राप्तियों पर	6,76,84,889.00	1,76,68,221.00
	ख. गैर-अनुसूचित बैंकों से	--	--
	ग. संस्थानों से	--	--
	घ. अन्य (ईआइएल के साथ एस्क्रो खाता)	--	1,27,23,603.00
2	**बचत खातों पर**	--	--
	क. अनुसूचित बैंकों से	--	--
	ख. गैर-अनुसूचित बैंकों से	--	--
	ग. डाकघर बचत खाते	--	--
	घ. अन्य	--	--
3	**ऋणों पर**		
	क. कर्मचारियों / स्टाफ़	--	--
	ख. अन्य	--	--
4	**ऋणों एवं प्राप्य राशियों पर ब्याज**		
	कुल	**6,76,84,889.00**	**23,85,45,422.50**

नोट – स्रोत पर कर कटौती से सूचित किया जाए।

ह0 /
वेतन एवं लेखा अधिकारी

ह0 /
सहायक महानिदेशक

अनुसूची 18 – अन्य आय
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि / रू.)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	आस्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ	--	--
	क. स्वामित्व वाली संपत्ति	--	--
	ख. आस्तियों अनुदान के बाहर का अधिग्रहण, या निःशुल्क प्राप्त	--	(3,73,651.75)
2	जारी परिनिर्धारिती हर्जाना, अर्थदंड	24,78,57,157.17	22,86,50,393.18
3	विविध सेवाओं के लिए शुल्क		
4	किराया	5,76,000.00	4,83,000.00
5	विविध आय	7,92,694.12	31,17,385.72
	कुल	**24,92,25,851.29**	**23,18,77,127.15**

ह0 /
वेतन एवं लेखा अधिकारी

ह0 /
सहायक महानिदेशक

अनुसूची 19 – तैयार सामग्रियों के स्टॉक एवं प्रगति अधीन कार्यों में वृद्धि / (कमी)
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि / रू.)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	अंतिम स्टॉक		
	क. तैयार सामग्रियां माल		
	ख. प्रगतिरत कार्य		
2	घटाव: प्रारंभिक शेष		
	क. तैयार सामग्रियां		
	ख. प्रगतिरत कार्य		
	निवल वृद्धि / (कमी) [(1)-(2)]		

ह0 /
वेतन एवं लेखा अधिकारी

ह0 /
सहायक महानिदेशक

अनुसूची 20 – स्थापना व्यय
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि / रू.)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	वेतन और मजदूरी	38,72,07,578.00	36,25,49,086.00
2	समयोपरि भत्ता	--	--
3	भत्ते और बोनस	47,82,411.00	67,75,124.00
4	चिकित्सा उपचार	40,51,239.00	36,33,618.00
5	शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति	55,39,423.00	42,97,112.00
6	घरेलू यात्रा व्यय	2,38,82,390.00	2,44,33,796.00
7	विदेश यात्रा व्यय	16,03,695.00	11,54,438.00
8	नियोक्ता अंशदान	58,66,346.00	37,39,838.00
9	ग्रेच्युटी अंशदान	4,33,747.00	
10	अवकाश वेतन पेंशन अंशदान	12,01,57,746.00	2,37,66,683.00
11	कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति एवं सेवा निवृति लाभ पर व्यय	--	--
12	अन्य कोष में योगदान	--	--
13	कर्मचारी कल्याण व्यय	--	--
14	अन्य (अवकाश नकदीकरण एवं मानदेय)	18,68,814.00	41,29,865.00
	कुल	**55,53,93,389.00**	**43,44,79,560.00**

ह0 /
वेतन एवं लेखा अधिकारी

ह0 /
सहायक महानिदेशक

अनुसूची 21 – अन्य प्रशासनिक व्यय इत्यादि
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि / रू.)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	खरीद	--	--
2	श्रम और प्रसंस्करण व्यय	--	--
3	आंतरिक ढुलाई एवं परिवहन	--	505.64
4	विद्युत एवं शक्ति	2,84,95,979.26	2,80,00,956.34
5	जल प्रभार	19,44,001.88	22,21,505.16
6	बीमा	33,935.00	--
7	मरम्मत और रख-रखाव	40,53,963.42	62,06,377.20
8	उत्पाद शुल्क	--	--
9	किराया, दर एवं कर	12,24,10,334.06	15,09,46,726.84
10	वाहन चालन एवं रख-रखाव	2,97,337.19	3,41,417.44
11	डाक, दूरभाष एवं संचार प्रभार	60,71,497.13	66,21,062.83
12	मुद्रण और स्टेशनरी	35,21,677.94	44,26,786.39
13	यात्रा एवं वाहन व्यय	2,89,87,990.82	3,24,08,573.05
14	संगोष्ठी / वर्कशॉप पर व्यय	5,27,552.00	27,10,138.00
15	अभिदान व्यय	13,83,308.00	9,75,747.00
16	शुल्कों पर व्यय	--	--
17	लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक		
18	आतिथ्य व्यय	33,59,554.10	30,41,525.11
19	पेशेवर प्रभार	1,12,35,942.06	1,23,44,625.00
20	पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	85,081.00	48,011.00
21	भर्ती व्यय	--	--
22	अशोध्य एवं संदिग्ध कर्ज/अग्रिमों के लिए प्रावधान	--	--
23	अपलिखित अप्रतिलभ्य शेष	--	--
24	पैकिंग शुल्क	--	--
25	मालभाडा एवं अग्रेषण प्रभार	--	--
26	वितरण व्यय	25,000.00	20,05,859.00
27	विज्ञापन एवं प्रचार व्यय	56,18,439.73	19,64,728.22
28	कानूनी प्रभार	1,48,15,374.00	1,36,49,015.00
29	संविदा स्टाफ को भुगतान (एमटीओ, परिचर आदि)	6,23,92,432.15	5,39,43,685.88
30	अन्य		
	i. बैठक शुल्क	1,200.00	8,000.00
	ii. वार्षिक रखरखाव शुल्क	28,00,668.74	6,53,967.06
	iii. कार्यालय-व्यय	9,74,19,707.34	7,70,44,430.17
	कुल	**39,54,80,975.82**	**39,95,63,642.33**

ह0 /
वेतन एवं लेखा अधिकारी

ह0 /
सहायक महानिदेशक

अनुसूची 22 – परिचालन खर्च
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि / रू.)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	**नामांकन, अधिप्रमाणन और अद्यतन**		
	क. पंजीयकों को सहायता	1,72,49,35,003.00	1,57,84,47,944.00
	ख. गुणवत्ता नियंत्रण (एबीआईएस पूर्व)	3,38,25,916.32	3,27,82,566.36
	ग. विज्ञापन और प्रचार	4,73,00,417.54	30,96,78,846.11
	घ. बीपीओ अद्यतन लागत	6,99,26,216.36	6,32,09,683.00
2	**प्रौद्योगिकी संचालन**		
	क. कार्यालय व्यय	1,32,11,31,002.03	1,43,70,48,578.23
	ख. किराया, दरें और कर	--	--
	ग. पेशेवर सेवाएं / प्रबंधित सेवा प्रदाता लागत	33,87,79,210.18	52,26,29,687.00
	घ. एचसीएल (एमएसपी) को भुगतान	19,70,90,018.00	58,03,56,002.79
	ङ. सीआईएसएफ को भुगतान	5,40,89,452.00	--
	च. केएम पोर्टल विकास शुल्क	--	9,31,975.00
3	**लॉजिस्टिक्स एवं अन्य संचार**		
	क. मुद्रण लागत	23,09,29,883.87	21,64,30,514.79
	ख. डिस्पैच लागत	13,73,47,872.92	1,19,83,655.09
	ग. टीएफएन / संपर्क केन्द्र लागत	37,34,80,724.16	30,64,82,420.00
	घ. शिकायत निवारण संचालक	78,51,500.38	73,27,618.48
	ङ.अन्य शुल्क	91,886.16	4,150.00
4	**आधार सक्षम अनुप्रयोग**		
	क. राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को आईसीटी सहायता	--	4,41,84,349.00
	ख. माइक्रो एटीएम सहायता	--	--
	ग. आधार आधारित अनुप्रयोगों का विकास		
	घ. एईए / राज्य संबंधित व्यक्ति	31,52,936.00	1,34,05,736.00
	ङ. अन्य शुल्क	2,20,721.00	--
5	**अन्य समर्थन संचालन**		
	क. डीएमएस	--	--
	ख. डीएमएस - क्यूसी	22,68,27,182.41	16,52,78,842.53
	ग. जीआरसीपी	7,35,73,951.00	5,27,78,481.40
	घ. प्रशिक्षण एवं परीक्षण / प्रमाणन	14,30,000.00	31,81,772.04

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
6	**यूबीसीसी ऑपरेशन्स**		
	क. ओ ई	--	--
	ख. ओ ए ई	--	--
	ग. सहायता अनुदान	--	--
7	**भौतिक सुरक्षा**		
	क. वेतन	19,93,17,205.00	21,14,57,961.00
	ख. कार्यालय व्यय	5,27,48,515.56	2,25,24,896.95
	ग. किराया, दरें और कर	40,82,594.00	38,94,234.00
	घ. अन्य शुल्क	58,75,463.28	38,47,145.00
8	**सूचना प्रौद्योगिकी**		
	क. कार्यालय व्यय	98,56,490.67	53,29,582.06
	ख. किराया, दरें और कर	--	--
	ग. व्यावसायिक सेवाएं (पीएमयू, टीएसयू, अन्य ठेके)	8,55,80,799.00	16,31,43,566.00
	घ. अन्य व्यय	14,790.00	81,243.00
9	**पूर्वोत्तर क्षेत्र (यूआईडीएआई)**		
	क. लॉजिस्टिक और अन्य संचार		--
	ख. अन्य शुल्क	--	--
	कुल	**5,19,94,59,750.84**	**5,75,64,21,449.83**

ह0/
वेतन एवं लेखा अधिकारी

ह0/
सहायक महानिदेशक

अनुसूची 23 अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि / रू.)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	संस्थानों / संगठनों को दिया अनुदान		
2	संस्थानों / संगठनों को दी गई सब्सिडी		
	कुल		

नोट - संस्थाओं के नाम, उनकी गतिविधियों अनुदान की राशि के साथ साथ सब्सिडी का भी खुलासा हो।

ह0 /
वेतन एवं लेखा अधिकारी

ह0 /
सहायक महानिदेशक

अनुसूची 24 – अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष की स्थिति के अनुसार आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि / रू.)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	ब्याज		
	क. नियत ऋणों पर		
	ख. अन्य ऋणों पर		
	ग. अन्य स्पष्ट करें)		
2	बैंक प्रभार		
	कुल		

ह0 /
वेतन एवं लेखा अधिकारी

ह0 /
सहायक महानिदेशक

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
अनुसूची 25 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लेखों के अंश का निरूपण

1. लेखांकन का आधार

1.1 वित्तीय विवरणियों को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (वार्षिक लेखा विवरण प्रपत्र) नियम, 2018, जिन्हें भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा तैयार किया गया था, के अनुसार तैयार किया गया है।

1.2 लेखों को उपचय पद्धति के आधार पर तैयार किया गया है।

2. निवेश

2.1 "दीर्घकालिक निवेशों" के रूप में वर्गीकृत निवेश लागत आधार पर वहन किए गए हैं। अस्थायी निवेश के अन्यत्र, अन्य गिरावट के लिए प्रावधान ऐसे निवेशों की लागत में वहन किए गए हैं।

2.2 ''चालू'' के रूप में वर्गीकृत निवेश न्यूनतम लागत और उचित मूल्य पर वहन किए गए हैं। ऐसे निवेशों के मूल्य मे हुई कमी के लिए प्रावधान, प्रत्येक निवेश के लिए वैयक्तिक आधार पर किए जाते हैं न कि वैश्विक आधार पर।

2.3 लागत में अधिग्रहण व्यय जैसे कि ब्रोकरेज,स्टाम्प हस्तांतरण शामिल है।

3. अचल परिसंपत्तियां

3.1 मूर्त परिसंपत्तियां - मूर्त परिसंपत्तियों को, लागत में से संचित मूल्यह्रास और क्षति नुकसानों, यदि कोई हो, से कम करके वहन किया जाता है। अचल परिसंपत्तियों की लागत मूल्य में, किसी तरह की व्यावसायिक छूट और रियायत, कोई आयात शुल्क और अन्य कर (उन्हें छोडकर जिन्हें कर प्राधिकरणों से वसूल किया जा सकता है), कोई प्रत्यक्ष खर्च जो इनके निर्दिष्ट उपयोग के लिए किसी परिसंपत्ति को तैयार करने में हुआ हो, अन्य आकस्मिक खर्च और उधारी पर ब्याज जो स्थायी परिसंपत्तियों के पूर्ण अधिग्रहण के संबंध में हो, इनके निर्दिष्ट उपयोग के लिए परिसंपत्ति निर्माण की तिथि तक तैयार है, शामिल हैं। मूर्त परिसंपत्तियों की खरीद/पूर्ण होने के बाद इन पर अनुवर्ती व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है, जब ऐसे व्यय के परिणामस्वरूप उस परिसंपत्ति के निष्पादन के पिछले आकलन मापदंड से परे भावी लाभों में वृद्धि हो रही हो।

3.2 प्रगति के अधीन पूंजीगत कार्य - ऐसी परिसंपत्तियों, जो अपने निर्दिष्ट उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, के निर्माण पर हुए व्यय को लागत में से हानि (यदि कोई हो) को कम करते हुए प्रगति के अधीन पूंजीगत कार्य के तहत वहन किया जाता है। लागत में, आयात शुल्क और अप्रतिदेय कर, कोई अन्य प्रत्यक्ष देय लागत सहित लागत खरीद शामिल है।

3.3 अमूर्त परिसंपत्तियां - अचल परिसंपत्तियों की लागत मूल्य में, किसी तरह की व्यावसायिक छूट और रियायत, कोई आयात शुल्क और अन्य कर (उन्हें छोडकर जिन्हें कर प्राधिकरणों से वसूल किया जा सकता है), कोई प्रत्यक्ष खर्च जो इनके निर्दिष्ट उपयोग के लिए किसी परिसंपत्ति को तैयार करने में हुआ हो, अन्य आकस्मिक खर्च और उधारी पर ब्याज जो स्थायी आस्तियों के पूर्ण अधिग्रहण के संबंध में हो, इनके निर्दिष्ट उपयोग के लिए आस्ति निर्माण की तिथि

तक तैयार है, शामिल हैं। मूर्त परिसंपत्तियों की खरीद/पूर्ण होने के बाद इन पर अनुवर्ती व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है, जब ऐसे व्यय के परिणामस्वरूप उस परिसंपत्ति के निष्पादन के पिछले आकलन मापदंड से परे भावी लाभों में वृद्धि हो रही हो।

साफ्टवेयर खरीद से संबंधित लागत को 'अमूर्त परिसंपत्तियों" के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। साफ्टवेयर की लागत को 5 प्रतिशत के अवशेष मूल्य के साथ स्ट्रेट लाइन विधि पर तीन वर्ष की अवधि के अंदर परिशोधित किया जाता है।

3.4 गैर-मौद्रिक अनुदान (कोर्पस निधि को छोडकर) से प्राप्त अचल परिसंपत्तियों को बताए गए मूल्य पर पूंजीगत अंशदान में समतुल्य जमा द्वारा पूंजीकृत किया जाता है।

4. मूल्यह्रास

4.1 अचल परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास का प्रावधान स्ट्रेट लाइन विधि (एसएलएम) से परिसंपत्तियों की प्रभावी जीवन अवधि एवं 5% अवशेष मूल्य (लैपटॉप, टेबलेट के मामले में 10%) रखते हुए निम्नानुसार किया गया है:

क्र.सं.	परिसंपत्तियों का विवरण	मूल्यह्रास दर	अवधारण अवधि	अभ्युक्तियां
1	सर्वर, नेटवर्क, स्टोरेज, सुरक्षा उपकरण,अन्य बायोमेट्रिक उपकरण, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट(डीपीयू)	15.83%	6 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-।। के अनुसार
2	डेस्कटॉप, मॉनीटर, प्रिंटर, स्कैनर, स्विच,अन्य आईटी उपकरण	31.67%	3 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-।। के अनुसार
3	सॉफ्टवेयर	31.67%	3 वर्ष	यूआईडीएआई की आंतरिक नीति के अनुसार
4	मोबाइल हैंडसेट	47.50%	2 वर्ष	यूआईडीएआई की आंतरिक नीति के अनुसार (5% अवशेष मूल्य सहित)
5	लैपटॉप, टैबलेट	30%	3 वर्ष	यूआईडीएआई की आंतरिक नीति के अनुसार (10% अवशेष मूल्य सहित)
6	कार्यालय उपस्कर	19%	5 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-।। के अनुसार
7	फर्नीचर और फिक्चर्स	9.50%	10 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-।। के अनुसार
8	भवन	1.58%	60 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-।। के अनुसार
9	संयंत्र और मशीनरी	6.33%	15 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-।। के अनुसार
10	वाहन (कार)	11.88%	8 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-।। के अनुसार

4.2 वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में वृद्धि/कमी के संबंध में मूल्यह्रास आनुपातिक आधार पर माना जाता है।

4.3 5000 रुपए या इससे कम लागत की प्रत्येक परिसंपत्ति का पूर्ण प्रावधान किया गया है।

5. सरकारी सहायता को छोड़कर सरकारी अनुदान/ सब्सिडियां एवं प्राप्तियां

5.1 सरकारी अनुदानों को उसकी सीमा तक "भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण निधि" यहां इसके उपरांत इसे "यूआईडीएआई निधि" कहा जाएगा, नामक निधि में पूर्णतया क्रेडिट किया गया है।

5.2 अनुदान को छोड़कर अन्य सभी प्राप्तियों को पूर्णत: 'यूआईडीएआई निधि' में क्रेडिट किया गया है।

5.3 चूंकि इस 'यूआईडीएआई निधि' के लिए तुलन-पत्र के निर्धारित प्रपत्र में कोई विशेष अनुसूची नहीं दी गई है, इसलिए यूआईडीएआई निधि के लिए 'अनुसूची-3' नामत: 'चिह्नित/अक्षय/यूआईडीएआई निधि' का उपयोग किया गया है। 'चिह्नित/अक्षय निधि' के रूप में अनुसूची का फिर नामकरण किया गया है।

5.4 उपरोक्त मद 5.1 एवं 5.2 में उल्लिखित अनुदानों और अन्य प्राप्तियों का क्रेडिट आधार अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित) की धारा 25 के अनुसार किया गया है, तथा उक्त को नीचे पुन:प्रस्तुत किया गया है:

"'25(1) 'भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण निधि' नामक एक निधि का गठन किया जाएगा, जिसमें निम्न को क्रेडिट किया जाएगा-

(क) इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी अनुदान, शुल्क और प्रभार; और

(ख) केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए अन्य स्रोतों से प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी राशि।

(2) निधि का उपयोग निम्न की पूर्ति हेतु किया जाएगा-

(क) अध्यक्ष और सदस्यों के लिए देय वेतन और भत्ते तथा प्रशासनिक व्यय के लिए, इसमें प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन या भत्ते देय पेंशन शामिल है; तथा

(ख) अन्य सामान पर खर्च और इस अधिनियम के द्वारा अधिकृत अन्य प्रयोजनों के लिए"।

5.5 एयूए/केयूए/एएसए से लाइसेंस शुल्क की दर निम्नवत है:

	उत्पादन-पूर्व लाइसेंस		उत्पादन लाइसेंस	
एजेंसी के प्रकार	**शुल्क**	**वैधता अवधि**	**शुल्क**	**वैधता अवधि**
एयूए/केयूए	5 लाख रुपए	3 माह	20 लाख रुपए	2 वर्ष
एएसए	10 लाख रुपए	3 माह	1 करोड़ रुपए	2 वर्ष

पिछले वित्त वर्षों में, लाइसेंस शुल्क उसी वर्ष में आय के रूप में बुक किया गया था। वित्त वर्ष 2018-19 के लेखों के लिए पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एसएआर) में लेखापरीक्षा द्वारा यथा सुझावित, लाइसेंस फीस से आय आनुपातिक आधार पर अर्थात् बिल की तारीख से चालू वित्त वर्ष के अंत तक बुक की जा रही है और शेष राशि को ''अग्रिम में प्राप्त आय'' के रूप में समानुपातिक आधार पर आने वाले वित्त वर्षों में बुक किया जाना है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2019-20 में 52,75,80,000/- रुपए की लाइसेंस फीस से प्राप्त कुल आय में से, 19,65,32,511/- रुपए की राशि को चालू वित्त वर्ष की आय के रूप में बुक किया गया है और 33,10,47,489/- रुपए की शेष राशि को अगले वित्त वर्षों में बुक किए जाने के लिए अग्रिम तौर पर प्राप्त आय के रूप में बुक किया गया है।

6. विदेशी मुद्रा लेन-देन

6.1 विदेशी मुद्रा में लेन-देन का लेखांकन लेन-देन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर अंकित किया जाता है।

6.2 चालू परिसंपत्तियों, विदेशी मुद्रा ऋणों और चालू देयताओं को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है और परिणामस्वरूप लाभ/हानि को, विदेशी मुद्रा की देयता अचल परिसंपत्ति से संबंधित है, अचल परिसंपत्तियों की लागत से समायोजित किया जाता है, और अन्य मामलों में राजस्व के रूप में विचारा जाता है।

ह0/
वेतन एवं लेखा अधिकारी

ह0/
सहायक महानिदेशक

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
अनुसूची 26 - आकस्मिक देयताएं और लेखा संबंधी टिप्पणियां
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लेखों का अंश का निरूपण

1. आकस्मिक देयताएं

क. दावे जिनको संस्था के समक्ष ऋण के रूप में नहीं समझा गया है - 218,84,50,349/- रुपए

(दो चालू मध्यस्था मामलों में, जिन पर वाद-विवाद किया जा रहा है, मैसर्स एचसीएल इंफोसिस्टम लिमिटेड द्वारा 218.8 करोड़ रुपए का निवल दावा दायर किया गया है, ब्योरा नीचे बिंदु (ज) में दिया गया है)

ख. निम्न के संबंध में:

1. संस्था द्वारा/की ओर से बैंक गारंटी - शून्य
2. संस्था की ओर से बैंक द्वारा खोले गए साख-पत्र -शून्य
3. बैंक द्वारा डिस्काउंट किए गए बिल - शून्य

ग. मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में स्रोत पर की गई कटौती की चूकों के संबंध में 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार विवादित मांग- 64,22,420/- रुपए है।

घ. सेवा कर – शून्य

ङ. निगम कर – शून्य

च. आदेशों के गैर-निष्पादन, किंतु संस्था द्वारा विवादित, के लिए पार्टियों के दावों के संबंध में - शून्य

छ. वेंडरों के साथ अनुबंध करने के संबंध में – 50,92,32,782/- रुपए की राशि रोकी गई है।

ज. 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार 2,79,99,93,274/- रुपए की राशि के लिए यूआईडीएआई के विरूद्ध न्यायालयों में लंबित मामलों का ब्योरा:

क्र.सं.	मुकदमा दायरकर्ता	किस न्यायालय में मामला लंबित	याचिकाकर्ता का वित्तीय दावा (रु)	अभ्युक्ति
1	डीएम श्रावस्ती और यूआईडीएआई के जरिए श्री रवि मोहन पाण्डेय बनाम् उत्तर प्रदेश राज्य	उपभोक्ता फोरम, श्रावस्ती	100,000	याचिकाकर्ता ने नामांकन एजेंसी से एक लाख रुपए की मांग की है।
2	टुलिप टेलिकॉम लिमिटेड	दिल्ली उच्च न्यायालय	87,231,446	दावा किया गया कि यूआईडीएआई ने 8,72,31,446 राशि की बैंक गारंटी को जब्त कर लिया है।
3	एचसीएल इंफोसिस्टम लिमिटेड	मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996	397,449,828	अनुबंध बढ़ाने के विरूद्ध वर्धित दरों के लिए 39,74,49,828/- रुपए का दावा
4	एचसीएल इंफोसिस्टम लिमिटेड	मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996	2,169,890,000	यूआईडीएआई द्वारा की गई कटौतियों के विरूद्ध 216,98,90,000/- रुपए का दावा
5	मैसर्स सेरको बीपीओ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996	5,14,00,000	मैसर्स सेरको द्वारा मूल दावा 3.28 करोड़ रुपए और संशोधित दावा 5.14 करोड़ रुपए
6	मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड (आरसीओएम)	दिल्ली उच्च न्यायालय	8,95,00,000	(मैसर्स आरसीओएम द्वारा 8.95 करोड़ रुपए का दावा)
7	मैसर्स आई-एनर्जाइज़र आईटी सर्विसेज़ प्रा. लि.	जिला न्यायालय, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली	44,22,000	(मैसर्स आई-एनर्जाइज़र द्वारा 44.22 लाख रुपए का दावा)

नोट: क. मैसर्स टुलिप टेलिकॉम लिमिटेड द्वारा दायर मामले में, उक्त राशि के लिए यूआईडीएआई के पास बैंक गारंटी के रूप में पहले से उपलब्ध दावाकृत राशि जब्त कर ली गई थी।

ख. उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 3 एवं 4 में उल्लिखित 39,74,49,828/- एवं 216,98,90,000/- रुपए की राशि को दो मध्यस्थ मामलों में मैसर्स एचसीएल इंफोसिस्टम लिमिटेड द्वारा दायर दावा विवरण से लिया गया है, और अधिकरण के निर्णय के अध्यधीन है, जो दावाकृत राशि से कोई भिन्न राशि हो सकती है तथा निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करने के भी अध्यधीन है:

i) 39,74,49,828/- और 216,98,90,000/- की कथित राशि में दावाकृत ब्याज शामिल नहीं है, क्योंकि एमएसपी

अनुबंध के तहत ब्याज अदा करने की देयता वर्जित है, हालांकि उक्त मामला मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत विवेकाधीन है।

ii) यूआईडीएआई ने एचसीएल इंफोसिस्टम लिमिटेड के विरूद्ध 37,88,89,479/- रुपए का काउंटर दावा भी किया है। काउंटर दावे की मात्रा पर अभी यूआईडीएआई द्वारा कार्य किया जा रहा है तथा अंतिम दावे में अंतर हो सकता है।

iii) देयता पूर्णत: आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के आदेश पर निर्भर है।

ग. उपरोक्त के अलावा, कुछ अन्य मामले भी लंबित हैं, जिनका वित्तीय प्रभाव शून्य अथवा सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

पूंजीगत लेखा में निष्पादित किए जाने वाले अनुबंधों का अनुमानित मूल्य और जिनके (अग्रिमों का निवल) के लिए प्रदान नहीं किया गया – शून्य।

3. पट्टा बाध्यताएं

संयंत्र और मशीनरी के लिए वित्तीय पट्टा व्यवस्थाओं के तहत किराए हेतु भावी बाध्यताओं के संबंध में धनराशि - शून्य

4. सेवानिवृत्ति हितलाभ

सेवानिवृति हितलाभ के समक्ष कोई देयता नहीं है, क्योंकि यूआईडीएआई के सभी कर्मचारी अन्य मंत्रालयों/विभागों और सरकारी एजेंसियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त हैं।

5. चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम

5.1 चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम, व्यवसाय के सामान्य तरीके में प्राप्त की गयी राशि है, जो तुलन-पत्र में दिखाई गयी कुल राशि के बराबर है।

5.2 यूआईडीएआई ने आधार सेवा केंद्र (एएसके) के जरिए संपूर्ण भारत में आम लोगों के लिए आधार के नामांकन, बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय अपडेट से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए दो एजेंसियों को नियुक्त किया है। ये एजेंसियां आम जनता से यूआईडीएआई की ओर से नकद रूप से शुल्क वसूलती हैं और उसे यूआईडीएआई के बैंक खाते में जमा करती हैं।

5.3 मुख्य रूप से अग्रिम तीन श्रेणियों नामत: आधार संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को आईसीटी सहायता, डाक विभाग को आधार पत्र का प्रेषण प्रभार और मीडिया प्रचार अभियान के लिए डीएवीपी/आकाशवाणी/दूरदर्शन को दिया जाता है। बिलों/उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की प्राप्ति होने तक, इन अग्रिमों को तुलन-पत्र में ऋण एवं अग्रिम शीर्ष में दर्शाया जाता है तथा इन एजेंसियों से बिल/उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होते ही, इसे व्यय के रूप में बुक कर लिया जाता है। वित्त वर्ष 2018-19 में लगभग 89 करोड़ रुपए तथा वित्त वर्ष 2019-20 में 186 करोड़ रुपए के मूल्य के उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) एजेंसियों से प्राप्त हुए थे और उन्हें यूआईडीएआई के हिसाब में भी ले लिया गया था।

6. कराधान

यूआईडीएआई के पास लाइसेंस फीस, अधिप्रमाणन सेवाएं, नामांकन सेवाएं, परिनिर्धारित नुकसानी और पेनल्टी, सावधि जमा पर ब्याज आदि के संबंध में प्राप्तियां हैं, जिन्हें अनुसूची-3, यूआईडीएआई निधि में दर्शाया गया है। आधार अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित) की धारा 50क के अनुसार, यूआईडीएआई को इसकी सभी प्रकार की आय पर आयकर से छूट प्राप्त है, अत: 'आयकर' के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

ब्याज आदि के संबंध में प्राप्तियां हैं, जिन्हें अनुसूची-3, यूआईडीएआई निधि में दर्शाया गया है। आधार अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित) की धारा 50क के अनुसार, यूआईडीएआई को इसकी सभी प्रकार की आय पर आयकर से छूट प्राप्त है, अत: 'आयकर' के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

7. पूर्व की अवधि का समायोजन

7.1 1 अप्रैल, 2019 से पूर्व की अवधि के लिए प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को पूर्व की अवधि के खर्चों के रूप में बुक किया गया है।

7.2 वित्त वर्ष 2019-20 से पूर्व की अवधि से संबंधित सभी व्यय एवं आय को क्रमश: पूर्व अवधि के व्यय और पूर्व अवधि की आय के रूप में बुक किया गया है।

7.3 पूर्व अवधि की सभी मदों को आय एवं व्यय लेखा में अलग से दर्शाया गया है।

8. स्क्रैप की बिक्री

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, कार्यालय उपकरणों एवं लकड़ी का सामान, जो भारतीय जीवन बीमा की जीवन भारती बिल्डिंग में जहां है, जैसा है के आधार पर जड़ा हुआ था, की बिक्री के कारण 26,46,928/- रुपए की राशि प्राप्त हुई। चूंकि बहुत पुराना सामान होने के कारण, प्रत्येक मद को मैप करना संभव नहीं था, इसलिए उसे यूआईडीएआई, मुख्यालय की अचल परिसंपत्ति के कार्यालय उपकरण के सकल ब्लॉक से हटा दिया गया है।

9. वित्त वर्ष 2018-19 की लेखा संबंधी पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एसएआर) में लेखापरीक्षा द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार, विभिन्न अनुसूचियों में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं:

9.1 वित्त वर्ष 2018-19 की अनुसूची 10 में ''अन्य निवेश'' के रूप में दर्शाये गए ऑटोस्वीप शेष को पुन:समूहीकृत किया गया है और चालू वर्ष की अनुसूची 11 में बैंक शेष के रूप में दर्शाया गया है। हालांकि, वित्त वर्ष 2018-19 के तदनुरूपी आंकड़ों को पुन:समूहीकृत नहीं किया गया है।

9.2 वित्त वर्ष 2018-19 की अनुसूची 11 में ''कर्जदार'' के रूप में दर्शाये गए देनदारों से प्राप्त अग्रिमों को पुन:समूहीकृत किया गया है और उसे चालू वर्ष की अनुसूची 7 में चालू देयता के रूप में दर्शाया गया है। हालांकि, पिछले वित्त वर्ष 2018-19 के तदनुरूपी आंकड़ों को पुन:समूहीकृत नहीं किया गया है।

9.3 6 महीने से अधिक पुराने कर्जदारों को अलग से चालू वित्त वर्ष में दर्शाया गया है। हालांकि, पिछले वित्त वर्ष के आंकड़ों की पुनर्गणना नहीं की गई है।

9.4 चालू वर्ष और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सरकारी अनुदान पर अर्जित ब्याज, जिसे संबंधित अनुदानों में क्रेडिट किया जाना है, अर्थात् भारत की समेकित निधि में जमा किया जाना है, को चालू देयताओं में दर्शाया गया है।

9.5 वित्त वर्ष 2017-18 की प्रतिधारित आय, जिनका भारत की समेकित निधि में जमा किया जाना लंबित था, को चालू देयताओं में दर्शाया गया है।

9.6 पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनसमूहीकृत और पुन:व्यवस्थित किया गया है।

1 से 26 तक की अनुसूचियां संलग्न हैं, जो 31 मार्च, 2020 के अनुसार तुलन-पत्र, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान खाते के अभिन्न अंश का रूप हैं।

ह0/	ह0/	ह0/
वेतन एवं लेखा अधिकारी	सहायक महानिदेशक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी

10. अनुलग्नक

10.1 अनुलग्नक 1: आधार अधिनियम

दिनांक 29 फरवरी, 2016 को मंत्रिमंडल से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत सरकार ने 3 मार्च, 2016 को लोकसभा में आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) विधेयक, 2016 प्रस्तुत किया। विधेयक पर चर्चा की गई तथा संसद ने इसे 16 मार्च, 2016 को पारित कर दिया और 25 मार्च, 2016 को इसे राष्ट्रपति महोदय की सहमति प्राप्त हो गई। विधायी विभाग द्वारा आम सूचना के लिए इस अधिनियम का प्रकाशन भारत के अधिकारिक राजपत्र, असाधारण, भाग 2, भाग-1, दिनांक 26 मार्च, 2016 (2016 का अधिनियम संख्या 18; जिसे "आधार अधिनियम, 2016" के नाम से जाना जाता है) को किया गया था। आधार अधिनियम, 2016 की विभिन्न धाराएं 12 जुलाई, 2016 और 12 सितंबर, 2016 को अधिसूचित की गई है।

आधार अधिनियम, 2016 में सुशासन, कार्य कौशल, पारदर्शिता एवं उन लक्षित सहायिकियों, लाभों एवं सेवाओं के परिदान के प्रावधान हैं, जिन पर व्यय भारत की समेकित निधि से भारत के निवासी व्यक्तियों को उनकी निर्दिष्ट विशिष्ट पहचान संख्या (आधार नाम से ज्ञात) तथा इससे संबंधित मामलों अथवा आकस्मिक कार्यों के लिए किया जाता है।

आधार अधिनियम, 2016 की प्रमुख विशेषताएं नीचे सूचीबद्ध हैं:-

1. धारा 1: आधार का सांविधिक मूलतत्व एवं घोषण की तिथि से अधिनियम का प्रवर्तन।
2. धारा 3: प्रत्येक निवासी आधार प्राप्त करने पा पात्र है। निवासी वह है जो तत्काल पूर्व एक वर्ष में 182 दिन अथवा उससे अधिक समय से भारत में निवास कर रहा है।
3. धारा 7: इसके अंतर्गत भारत की समेकित निधि से सरकारी-लाभों, सहायिकियों अथवा सेवाओं की प्राप्ति के लिए केंद्र/राज्य के मंत्रालयों/विभागों को व्यक्तियों की पहचान के लिए आधार करने की शक्ति प्रदान की गई है।
4. धारा 8: आधार धारक द्वारा आधार अधिप्रमाणन एवं सहमति।
5. धारा 29: सूचना सहभाजिता पर प्रतिबंध:

   क. आधार एवं पहचान सूचना के संग्रहण के लिए निवासी की सहमति की आवश्यकता।

   ख. आधार का उपयोग केवल आधार अथवा अधिप्रमाणन के संग्रहण के समय प्रकट किए गए उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए।

   ग. सहमति प्राप्त कर आधार का सहभाजन पात्रता निर्धारण के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ किया जा सकता है।

   घ. मूल बायोमेट्रिक का सहभाजन किसी भी एजेंसी के साथ कभी भी नहीं किया जा सकता तथा इनका उपयोग किसी भी अन्य उद्देश्य से किया जा सकता।

   ड. आधार का प्रकाशन, प्रदर्शन अथवा प्रस्तुति सार्वजिनक रूप से नहीं किया जा सकता।
6. धारा 40 तथा 42: प्रतिरूप तैयार करने, अनधिकृत रूप से विस्तार करने/सूचना की सहभाजिता करने की स्थिति के लिए दंडात्मक कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं, जिनमें जुर्माने तथा/अथवा 3 वर्ष की सजा की व्यवस्था है, जो व्यक्तियां एवं कंपनियां, दोनों के संबंध में लागू है।

7. धारा 57: यह सक्षमता प्रदान करने की धारा है जिसके अंतर्गत राज्यों अथवा किसी भी कॉर्पोरेट अथवा व्यक्ति को किसी कानून के अनुसरण में किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या मांगने की अनुमति दी गई है।

अतिरिक्त जानकारी के लिए, कृपया भाविपप्रा की वेबसाइट पर लिंक https://uidai.gov.in/images/the_aadhaar_act_2016.pdf में उपलब्ध आधार अधिनियम, 2016 देखें।

तत्पश्चात्, आधार अधिनियम, 2016 की अधिसूचना से पहले और बाद में, अन्य बातों के साथ-साथ, आधार की वैधता को चुनौती देते हुए विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय, के समक्ष, कई रिट याचिकाएं दायर की गई। इन सभी रिट याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति के एस.पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य नामक प्रमुख मामला डब्ल्यू. पी. (सिविल) संख्या 494/2012 के साथ टैग किया। कुछ प्रतिबंधों और परिवर्तनों के साथ; आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ द्वारा डब्ल्यू. पी. (सिविल) नंबर 494/2012 के मामले में अंतिम निर्णय 26.09.2018 को सुनाया गया।

आधार पर निर्णय के पश्चात्, गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों को शामिल करने, व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग को रोकने एवं योग्य व्यक्तियों को सेवाओं और लाभों की मनाही को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्णा (सेवानिवृत्त) समिति की सिफारिशों के अनुसार, आधार अधिनियम, 2016 में आवश्यक बदलाव लाने का निर्णय लिया गया था। इसके अलावा, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में भी बदलाव की आवश्यकता थी ताकि सिम कार्ड प्राप्त करने और बैंक खाते खोलने के लिए आधार प्रमाणीकरण के स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति दी जा सके। तदनुसार, आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019 लोकसभा द्वारा 4 जनवरी, 2019 को पारित कर दिया गया, लेकिन राज्य सभा द्वारा इसे नहीं लिया जा सका क्योंकि वह अनिश्चित काल तक स्थगित हो गया। उसके बाद, आधार और अन्य विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्या 9), दिनांक 02.03.2019 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापति किया गया और तुरंत लागू हो गया।

तत्पश्चात्, उक्त अध्यादेश का आधार और अन्य विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2019 के साथ प्रतिस्थापित कर दिया गया था। यह संशोधित अधिनियम, अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकार को एक सब्सिडी, हितलाभ या सेवा, जिसके लिए राज्य की समेकित निधि से व्यय हुआ है, या उससे किसी अंश को प्राप्त किया की प्राप्ति हेतु एक शर्त के रूप में एक व्यक्ति विशेष की पहचान स्थापित करने के प्रयोजनार्थ आधार अधिप्रमाणन के उपयोग को समर्थ बनाता है।

आधार एवं अन्य विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 2019 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकारहैं:-

1. किसी व्यक्ति की वास्तविक आधार संख्या को छुपाने के लिए प्राधिकरण द्वारा उत्पन्न वैकल्पिक संख्या प्रदान करना;
2. अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बच्चों को अपना आधार नंबर रद्द करने का विकल्प देना;
3. अधिप्रमाणन या ऑफलाइन सत्यापन या अन्य साधन द्वारा भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में आधार संख्या के स्वैच्छिक उपयोग को प्रदान करने के लिए;
4. आधार संख्या का अधिप्रमाणन या ऑफलाइन सत्यापन केवल आधार संख्या धारक की सूचित सहमति से किया जा सकता है;
5. मना करने या अधिप्रमाणन से गुजरने में असमर्थ होने पर सेवाओं के इंकार की रोकथाम;

6. अधिप्रमाणन करने पर सुरक्षा उपायों और प्रतिबंधों को ध्यान में रखने के लिए;
7. ऑफलाइन सत्यापन के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए;
8. आधार ईकोसिस्टम में किसी संस्था के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश देने के लिए प्राधिकरण को शक्ति प्रदान करना;
9. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण निधि की स्थापना के लिए;
10. सूचना के आदान-प्रदान पर प्रतिबंध बढ़ाने के लिए;
11. नागरिक दंड, उसके अधिनिर्णय और अपील प्रदान करने के लिए;
12. आधार अधिनियम की धारा 57 को रद्द करने के लिए;
13. टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत स्वीकार्य केवाईसी दस्तावेज के रूप में स्वैच्छिक आधार पर प्रमाणीकरण के लिए आधार संख्या के उपयोग की अनुमति देना।

10.2 अनुलग्नक II : आधार अधिनियम

निम्नलिखित विनियम और उनके संशोधन को उक्त आधार अधिनियम, 2016 और आधार एवं अन्य विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के अनुसार अधिसूचित किए गए हैं:

तालिका 13. विनियमों की सूची

क्र.सं0.	विनियम	प्रकाशन तिथि
1	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (प्राधिकरण की बैठकों में कार्य संचालन), विनियम, 2016 - (2016 की संख्या 1)	14 सितंबर 2016
2	आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम, 2016 (2016 की संख्या 2)	14 सितंबर 2016
3	आधार (अधिप्रमाणन) विनियम, 2016 (2016 की संख्या 3)	14 सितंबर 2016
4	आधार (डेटा सुरक्षा) विनियम, 2016 (2016 की संख्या 4)	14 सितंबर 2016
5	आधार (सूचना की सहभाजिता) विनियम, 2016 (2016 की संख्या 5)	14 सितंबर 2016
6	आधार (नामांकन एवं अद्यतन) (पहला संशोधन) विनियम, 2017 (2017 की संख्या 1)	15 फरवरी 2017
7	आधार (नामांकन एवं अद्यतन) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017 (2017 की संख्या 2)	7 जुलाई 2017
8	आधार (नामांकन एवं अद्यतन) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017 (2017 की संख्या 3)	11 जुलाई 2017
9	आधार (नामांकन एवं अद्यतन) (चौथा संशोधन) विनियम, 2017 (2017 की संख्या 5)	31 जुलाई 2017
10	आधार (नामांकन एवं अद्यतन) (पाचवां संशोधन) विनियम, 2018 (2018 की संख्या 1)	12 जनवरी 2018
11	आधार (नामांकन एवं अद्यतन) (छठा संशोधन) विनियम, 2018 (2018 की संख्या 2)	31 जुलाई 2018
12	आधार (अधिप्रमाणन सेवाओं का मूल्य-निर्धारण) विनियम, 2019 (2019 की संख्या 1)	7 मार्च 2019
13	आधार (नामांकन एवं अद्यतन) (सातवां संशोधन) विनियम, 2019 (2019 की संख्या 3)	9 सितंबर 2019
14	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2020 (2020 की संख्या 1)	22 जनवरी 2020
15	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2020 (2020 की संख्या 2)	22 जनवरी 2020

ऊपर उल्लिखित विनियमों से भाविपप्रा को अपने रोजमर्रा के कार्यों में सहायता प्राप्त होती है। ये विनियम भाविपप्रा की वेबसाइट **www.uidai.gov.in/legal-framework/acts/regulations.html** पर उपलब्ध हैं। विनियमों से संबंधित किसी प्रकार के अद्यतन शीर्ष लिंक से संदर्भित किए जा सकते हैं।

10.3 अनुलग्नक III: सत्यापन हेतु स्वीकार्य समर्थित दस्तावेजों की सूची

नाम और फोटो वाले पहचान दस्तावेजों के स्वीवकार्य प्रमाण

1. पासपोर्ट
2. पैन कार्ड
3. राशन/पीडीएस फोटो कार्ड
4. मतदाता पहचान पत्र
5. ड्राइविंग लाइसेंस
6. सरकारी फोटो पहचान पत्र/पीएसयू द्वारा जारी पहचान पत्र
7. नरेगा जॉब कार्ड
8. मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र
9. हथियार लाइसेंस
10. फोटो बैंक एटीएम कार्ड
11. फोटो क्रेडिट कार्ड
12. पेंशनभोगी फोटो कार्ड
13. स्वतंत्रता सेनानी फोटो कार्ड
14. किसान फोटो पासबुक
15. सीजीएचएस/ईसीएचएस फोटो कार्ड
16. डाक विभाग द्वारा जारी नाम और फोटो वाला पता कार्ड
17. लेटरहैड पर राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी फोटो की पहचान संबंधी प्रमाणपत्र
18. संबंधित राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रों की सरकारों/प्रशासनों द्वारा जारी दिव्यांगता पहचान पत्र/दिव्यांगता चिकित्सा प्रमाणपत्र
19. राजस्थान सरकार द्वारा जारी जन-आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड
20. नामांकन/अद्यतन के लिए यूआईडीएआई के मानक प्रमाणपत्र प्रपत्र पर मान्यताप्राप्त आश्रय गृह या अनाथालय आदि के अधीक्षक/वार्डन/मैट्रन/संस्थान प्रमुख द्वारा उनके सरकारी लेटरहैड पर प्रमाणपत्र
21. नामांकन/अद्यतन के लिए यूआईडीएआई के मानक प्रमाणपत्र प्रपत्र पर लेटरहैड पर सांसद या विधायक या सदस्य विधान परिषद या नगरपालिका पार्षद द्वारा जारी फोटो पहचान वाला प्रमाणपत्र
22. नामांकन/अद्यतन के लिए यूआईडीएआई के मानक प्रमाणपत्र प्रपत्र पर ग्राम पंचायत प्रमुख या इसके समकक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान वाला प्रमाणपत्र (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए)
23. नाम परिवर्तन के लिए राजपत्र अधिसूचना
24. फोटो के साथ विवाह प्रमाणपत्र
25. आरएसबीवाई (राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना) कार्ड
26. माध्यमिक विद्यालय छोडने की प्रमाणपत्र बुक, जिसमें अभ्यर्थी का फोटो लगा हो
27. फोटोयुक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडी जाति का प्रमाणपत्
28. नाम और फोटो सहित स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र (एसएलसी)/स्कूल से स्थानांतरण का प्रमाणपत्र (टीसी)
29. नाम और फोटो के साथ स्कूल प्रमुख द्वारा जारी स्कूल अभिलेख का उद्धरण
30. नाम और फोटो वाली बैंक की पासबुक
31. नामांकन/अद्यतन के लिए यूआईडीएआई के मानक प्रमाणपत्र प्रपत्र पर संस्थान प्रमुख से हस्ताक्षरित मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी नाम और फोटो की पहचान वाला प्रमाणपत्र
32. नामांकन/अद्यतन के लिए यूआईडीएआई के मानक प्रमाणपत्र प्रपत्र पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा जारी नाम, जन्मतिथि और फोटोयुक्त पहचान प्रमाणपत्र

परिवार के मुखिया के साथ रिश्ते का ब्योरा वाले संबंध दस्तावेज (पीओआर) के स्वीकार्य प्रमाण

1. पीडीएस कार्ड
2. मनरेगा जॉब कार्ड
3. सीजीएचएस/राज्य सरकार/ईसीएचएस/ईएसआईसी चिकित्सा कार्ड
4. पेंशन कार्ड
5. सेना कैंटीन कार्ड
6. पासपोर्ट
7. जन्म पंजीयक, नगर निगम और तालुक, तहसील आदि जैसे अन्य अधिसूचित स्थानीय सरकारी निकायों द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र
8. केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी परिवार पात्रता का कोई अन्य दस्तावेज
9. सरकार द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र
10. डाक विभाग द्वारा जारी नाम और फोटो वाला पता कार्ड
11. राजस्थान सरकार द्वारा जारी जन-आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड
12. बच्चे के जन्म उपरांत सरकारी अस्पताल द्वारा जारी डिस्चार्ज कार्ड/पर्ची
13. लेटरहैड पर सांसद या विधायक या सदस्य विधान परिषद या नगरपालिका पार्षद या राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान वाला प्रमाणपत्र
14. ग्राम पंचायत प्रमुख या मुखिया या समकक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी परिवार के मुखिया के साथ संबंध दर्शाता फोटोयुक्त पहचान प्रमाणपत्र (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए)

जन्म तिथि दस्तावेजों के स्वीकार्य प्रमाण

1. जन्म प्रमाणपत्र
2. माध्यमिक विद्यालय छोडने की प्रमाणपत्र बुक/प्रमाणपत्र
3. पासपोर्ट
4. नामांकन/अद्यतन के लिए यूआईडीएआई के मानक प्रमाणपत्र प्रपत्र पर लेटरहैड पर ग्रुप 'ए' राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जन्म तिथि का प्रमाणपत्र
5. किसी सरकारी प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं जारी एक प्रमाणपत्र (नामांकन/अद्यतन के लिए यूआईडीएआई के मानक प्रमाणपत्र प्रपत्र पर) या पहचान पत्र जो फोटो और जन्मतिथि युक्त हो।
6. मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी जन्मतिथि युक्त फोटो सहित पहचान पत्र
7. पैन कार्ड
8. किसी भी सरकारी बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी अंक-पत्र (मार्कशीट)
9. सरकारी फोटो पहचान पत्र कार्ड/पीएसयू द्वारा जारी जन्म तिथि वाला फोटो पहचान पत्र

10. केंद्र/राज्य पेंशन भुगतान आदेश
11. केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना फोटो कार्ड या भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना फोटो कार्ड
12. स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र (एसएलसी)/स्कूल से स्थानांतरण का प्रमाणपत्र, जिसमें नाम और जन्म-तिथि इंगित हो
13. स्कूल के प्रमुख द्वारा जारी स्कूल अभिलेख का उद्धरण, जिसमें नाम, जन्म तिथि और फोटो निहित हो
14. नामांकन/अद्यतन के लिए यूआईडीएआई के मानक प्रमाणपत्र प्रपत्र पर संस्थान प्रमुख से हस्ताक्षरित मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी नाम, जन्म तिथि और फोटो की पहचान वाला प्रमाणपत्र
15. नामांकन/अद्यतन के लिए यूआईडीएआई के मानक प्रमाणपत्र प्रपत्र पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा जारी नाम, जन्मतिथि और फोटोयुक्त पहचान प्रमाणपत्र

नाम और पता वाले पता दस्तावेजों के स्वीकार्य प्रमाण

1. पासपोर्ट
2. बैंक स्टेटमेंट/पासबुक
3. डाक घर खाता विवरण/पासबुक
4. राशन कार्ड
5. मतदाता पहचान पत्र
6. ड्राइविंग लाइसेंस
7. सरकारी फोटो पहचान पत्र/पीएसयू द्वारा जारी पहचान पत्र
8. बिजली का बिल (3 महीने से अधिक पुराना न हो)
9. पानी का बिल (3 महीने से अधिक पुराना न हो)
10. टेलीफोन लैंडलाइन बिल (3 महीने से अधिक पुराना न हो)
11. संपत्ति कर रसीद (1 वर्ष से अधिक पुरानी न हो)
12. क्रेडिट कार्ड विवरण (3 महीने से अधिक पुराना न हो)
13. बीमा पॉलिसी
14. लेटरहैड पर बैक द्वारा हस्ताक्षरित फोटोयुक्त पत्र
15. लेटरहैड पर पंजीकृत कंपनी द्वारा जारी हस्ताक्षरित फोटोयुक्त पत्र
16. लेटरहैड पर मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी हस्ताक्षरित फोटोयुक्त पत्र या मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी पते सहित फोटोयुक्त पहचान पत्र
17. नरेगा जॉब कार्ड
18. हथियार लाइसेंस
19. पेंशनभोगी कार्ड
20. स्वतंत्रता सेनानी कार्ड
21. किसान पासबुक
22. सीजीएचएस/ईसीएचएस कार्ड
23 लेटरहैड पर सांसद या विधायक या सदस्य विधान परिषद या नगरपालिका पार्षद या राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी फोटो पहचान वाला प्रमाणपत्र
24. नामांकन/अद्यतन के लिए यूआईडीएआई के मानक प्रमाणपत्र प्रपत्र पर ग्राम पंचायत प्रमुख या समकक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी पते का प्रमाणपत्र (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए)
25. आयकर निर्धारण आदेश
26. वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र
27. पंजीकृत बिक्री/पंजीकृत पट्टा/पंजीकृत किराया अनुबंध
28. डाक विभाग द्वारा जारी फोटोयुक्त पता कार्ड
29. राज्य सरकार द्वारा जारी फोटोयुक्त जाति और निवास प्रमाणपत्र
30. संबंधित राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रों की सरकारों/प्रशासनों द्वारा जारी दिव्यांगता पहचान पत्र/दिव्यांगता चिकित्सा प्रमाणपत्र
31. गैस कनेक्शन बिल (3 महीने से अधिक पुराना न हो)
32. पति/पत्नी का पासपोर्ट
33. माता-पिता का पासपोर्ट (अवयस्क के मामले में)
34. केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी आवास आवंटन पत्र (अधिकतम 3 वर्ष पुराना हो)
35. सरकार द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र, जिसमें नाम एवं पते का उल्लेख हो
36. राजस्थान सरकार द्वारा जारी जन-आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड
37. नामांकन/अद्यतन के लिए यूआईडीएआई के मानक प्रमाणपत्र प्रपत्र पर मान्यताप्राप्त आश्रय गृह या अनाथालय आदि के अधीक्षक/वार्डन/मैट्रन/संस्थान प्रमुख द्वारा उनके लेटरहैड पर प्रमाणपत्र
38. नामांकन/अद्यतन के लिए यूआईडीएआई के मानक प्रमाणपत्र प्रपत्र पर लेटरहैड पर नगरपालिका पार्षद द्वारा जारी फोटोयुक्त पता प्रमाणपत्र
39. मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी पहचान पत्र
40. फोटोयुक्त एसएसएलसी बुक
41. विद्यालय का पहचान पत्र
42. नाम और पता सहित स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र (एसएलसी)/स्कूल से स्थानांतरण का प्रमाणपत्र (टीसी)
43. नाम, पता और फोटो के साथ स्कूल प्रमुख द्वारा जारी स्कूल अभिलेख का उद्धरण
44. नामांकन/अद्यतन के लिए यूआईडीएआई मानक प्रमाणपत्र प्रपत्र पर संस्थान प्रमुख से हस्ताक्षरित मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी नाम, पता और फोटो की पहचान वाला प्रमाणपत्र
45. नामांकन/अद्यतन के लिए यूआईडीएआई के मानक प्रमाणपत्र प्रपत्र पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा जारी नाम, जन्मतिथि और फोटोयुक्त पहचान प्रमाणपत्र

- **नामांकन/अद्यतन के लिए मूल दस्तावेज साथ में लायें। फोटोकॉपी की आवश्यकता नहीं है।**
- **मूल दस्तावेज स्कैन करने के उपरांत आपको वापस कर दिए जाएंगे।**

10.4 अनुलग्नक IV: 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार परिपूर्णता रिपोर्ट

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र- वार परिपूर्णता 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार				
क्र सं	राज्य का नाम	कुल आबादी (पररयोजति2019)	समनुदेजति आधार के नंबर (लाइव)	परिपूर्णता % (लाइव)
1	दिल्ली *	1,84,98,192	2,18,62,993	118.2%
2	हरियाणा *	2,77,93,351	2,90,70,634	104.6%
3	केरल	3,54,61,849	3,65,99,471	103.2%
4	हिमाचल प्रदेश *	73,84,022	75,85,833	102.7%
5	पंजाब *	2,98,75,481	3,04,45,158	101.9%
6	गोवा *	15,64,349	15,91,550	101.7%
7	तेलंगाना	3,89,19,054	3,93,38,889	101.1%
8	उत्तराखंड	1,11,40,566	1,11,22,669	99.8%
9	चंडीगढ़ *	11,42,479	11,35,138	99.4%
10	लक्षद्वीप	72,172	70,613	97.8%
11	दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव *	6,07,223	5,86,129	96.5%
12	गुजरात *	6,48,01,901	6,23,19,137	96.2%
13	छत्तीसगढ़	2,89,89,789	2,74,70,935	94.8%
14	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह *	4,11,278	3,88,045	94.4%
15	तमिलनाडु	7,71,77,540	7,25,82,892	94.0%
16	महाराष्ट्र	12,19,24,973	11,44,81,254	93.9%
17	कर्नाटक	6,68,34,193	6,27,23,434	93.8%
18	ओडिशा	4,58,61,035	4,28,88,645	93.5%
19	पश्चिम बंगाल	9,86,62,146	9,21,16,558	93.4%
20	पुदुचेरी	13,94,026	12,88,937	92.5%
21	आंध्र प्रदेश *	5,33,90,841	4,93,34,539	92.4%
22	झारखंड	3,79,33,898	3,47,11,333	91.5%
23	मिजोरम	12,22,134	10,96,374	89.7%
24	त्रिपुरा	41,12,223	36,84,713	89.6%
25	मध्य प्रदेश	8,38,49,671	7,49,87,528	89.4%
26	उत्तर प्रदेश *	23,33,78,519	20,48,16,373	87.8%
27	राजस्थान	7,95,84,255	6,91,57,253	86.9%
28	सिक्किम	6,80,721	5,80,277	85.2%
29	बिहार	12,22,56,981	10,32,97,187	84.5%
30	मणिपुर	30,48,861	25,28,751	82.9%
31	अरूणाचल प्रदेश	15,48,776	12,35,214	79.8%
32	जम्मू कश्मीर	1,34,68,313	1,05,20,770	78.1%
33	लद्दाख	2,79,924	2,14,314	76.6%
34	नागालैंड	22,18,634	12,70,107	57.2%
35	मेघालय	33,20,226	10,07,449	30.3%
36	असम	3,50,80,827	80,04,698	22.8%
योग		**1,35,38,90,423**	**1,22,21,15,794**	**90.3%**

*राज्य द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के अनुसार

0<5 वर्ष आयु सीमा में आधार परिपूर्णता 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार				
क्र.सं	राज्य का नाम	आबादी (0 < 5वर्ष) (पररयोजति 2019)	समनुदेजति आधार के नंबर (लाइव)	परिपूर्णता % (लाइव)
1	हरियाणा *	23,61,884	17,65,900	74.8%
2	हिमाचल प्रदेश *	5,66,716	3,41,448	60.3%
3	चंडीगढ *	87,776	47,340	53.9%
4	गोवा *	1,08,545	47,865	44.1%
5	दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव *	58,859	25,782	43.8%
6	आंध्र प्रदेश *	38,06,444	16,03,866	42.1%
7	उत्तराखंड	10,18,460	4,03,651	39.6%
8	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह *	31,125	12,129	39.0%
9	पंजाब *	22,76,809	8,68,661	38.2%
10	छत्तीसगढ़	28,84,275	10,27,875	35.6%
11	पुदुचेरी	1,05,240	36,777	34.9%
12	दिल्ली	15,25,061	5,28,055	34.6%
13	तेलंगाना	29,16,815	9,78,104	33.5%
14	ओडिशा	39,93,856	12,52,214	31.4%
15	गुजरात *	58,54,485	17,65,128	30.2%
16	कर्नाटक	55,17,577	16,30,180	29.5%
17	लक्षद्वीप	5,659	1,505	26.6%
18	मिजोरम	1,35,803	35,938	26.5%
19	महाराष्ट्र	1,01,57,823	26,51,678	26.1%
20	जम्मू कश्मीर	15,17,863	3,76,249	24.8%
21	तमिलनाडु	56,47,395	13,16,714	23.3%
22	केरल	26,05,488	5,91,401	22.7%
23	झारखंड	41,98,056	9,34,432	22.3%
24	मध्य प्रदेश	86,29,282	18,09,295	21.0%
25	अरूणाचल प्रदेश	1,60,050	32,025	20.0%
26	पश्चिम बंगाल	79,20,324	14,06,321	17.8%
27	मणिपुर	2,87,530	49,350	17.2%
28	बिहार	1,50,34,144	24,72,838	16.4%
29	उत्तर प्रदेश *	2,39,94,499	39,30,731	16.4%
30	त्रिपुरा	3,61,333	54,510	15.1%
31	सिक्किम	47,424	4,922	10.4%
32	राजस्थान	84,68,802	7,10,948	8.4%
33	लद्दाख	32,242	1,338	4.1%
34	नागालैंड	2,20,969	1,420	0.6%
35	मेघालय	4,54,966	1,134	0.2%
36	असम	36,16,024	8,781	0.2%
	योग	**12,66,09,603**	**2,87,26,505**	**22.7%**

*राज्य द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के अनुसार

5 <18 वर्ष आयु बैंड में आधार परिपूर्णता 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार				
क्र.सं.	राज्य का नाम	आबादी (5 < 18 वर्ष) (पररयोजति2019)	समनुदेजति आधार के नंबर (लाइव)	परिपूर्णता % (लाइव)
1	दिल्ली	45,73,319	49,19,599	107.6%
2	हरियाणा *	63,78,603	65,99,576	103.5%
3	पंजाब *	60,84,878	59,87,334	98.4%
4	हिमाचल प्रदेश *	15,39,413	15,14,345	98.4%
5	दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव *	1,42,656	1,36,164	95.4%
6	चंडीगढ *	2,62,243	2,46,939	94.2%
7	गोवा *	3,01,270	2,71,858	90.2%
8	मणिपुर	7,29,913	6,43,461	88.2%
9	केरल	74,06,826	64,47,709	87.1%
10	आंध्र प्रदेश *	1,15,17,531	99,95,906	86.8%
11	झारखंड	1,18,42,395	1,01,52,405	85.7%
12	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह *	90,265	76,830	85.1%
13	गुजरात *	1,65,95,119	1,39,70,169	84.2%
14	कर्नाटक	1,57,49,526	1,31,94,755	83.8%
15	छत्तीसगढ़	82,09,348	67,66,081	82.4%
16	तेलंगाना *	95,37,282	78,58,817	82.4%
17	उत्तराखंड	32,24,846	26,40,938	81.9%
18	मिजोरम	3,31,148	2,69,418	81.4%
19	लक्षद्वीप	16,729	13,574	81.1%
20	पुदुचेरी	2,93,640	2,38,208	81.1%
21	ओडिशा	1,18,82,722	95,35,662	80.2%
22	तमिलनाडु	1,65,33,860	1,32,18,824	80.0%
23	महाराष्ट्र	2,95,26,954	2,35,35,331	79.7%
24	मध्य प्रदेश	2,46,87,305	1,94,38,254	78.7%
25	त्रिपुरा	10,14,929	7,77,643	76.6%
26	बिहार	4,10,86,599	3,11,53,521	75.8%
27	पश्चिम बंगाल	2,47,43,933	1,81,23,105	73.2%
28	उत्तर प्रदेश *	7,64,91,285	5,43,65,310	71.1%
29	राजस्थान	2,45,84,010	1,67,92,928	68.3%
30	अरूणाचल प्रदेश	5,01,352	3,35,254	66.9%
31	सिक्किम	1,81,333	1,05,181	58.0%
32	जम्मू कश्मीर	38,76,719	22,33,734	57.6%
33	लद्दाख	82,349	39,812	48.3%
34	नागालैंड	7,02,315	2,53,087	36.0%
35	मेघालय	10,95,010	1,46,564	13.4%
36	असम	99,70,334	5,69,137	5.7%
योग		**37,17,87,959**	**28,25,67,433**	**76.0%**

*राज्य द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के अनुसार

11. लघुरूपण

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
एडीजी	सहायक महानिदेशक
एईपीएस	आधार समर्थित भुगतान प्रणाली
एओएन	आवश्यकता की स्वीकृति
एपीबी	आधार भुगतान ब्रिज
एपीआई	एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस
एएसए	अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी
एएसके	आधार सेवा केंद्र
एटीएम	स्वचालित टेलर मशीन
एयूए	अधिप्रमाणन प्रयोक्ता एजेंसी
बी2सी	व्यवसाय से उपभोक्ता
बीई	बजट अनुमान
भीम	भारत इंटरफेस फॉर मनी
बीपीएल	गरीबी रेखा से नीचे
बीएसएनएल	भारत संचार निगम लिमिटेड
सी2बी	उपभोक्ता-से-व्यवसाय
सीएबी	परिवर्तन अनुमोदन बोर्ड
सीएजी	भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
सीसीएफ	संपर्क केंद्र फर्म
सीईएलसी	बाल नामांकन लाइट क्लाइंट
सीईओ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीजीएचएस	केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना
सीआईसी	केंद्रीय सूचना आयोग
सीआईडीआर	केंद्रीय पहचान डाटा रिपॉजिटरी
सीपीआईओ	केंद्रीय जन सूचना अधिकारी
सीआरएम	ग्राहक संबंध प्रबंधन
सीएसएसी	सामान्य सेवा केंद्र
सीएसएस	व्यापक स्टाइल शीट
डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
डीडीजी	उपमहानिदेशक

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
डीईआईटीवाई	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
डीआईटी	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
डीओबी	जन्म-तिथि
डीओटी	दूरसंचार विभाग
ईएएस	व्यय संबद्ध स्वीकृति
ईसीएचएस	भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना
ईजीओएम	मंत्रियों का अधिकार प्राप्त समूह
ईआईडी	नामांकन पहचान
ईपीआईसी	मतदाता फोटो पहचान पत्र
ईएसआईसी	कर्मचारी राज्य बीमा निगम
एफएए	प्रथम अपीलीय प्राधिकरण
एफएक्यू	प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न
एफआईएसी	वित्त समावेशन सलाहकार समिति
एफआईएनटीईसीएच	वित्तीय प्रौद्योगिकी
एफवाई	वित्त वर्ष
जी2सी	सरकार-से-उपभोक्ता
जीआईए	सहायता अनुदान
जीआईजीडब्ल्यू	भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देश
जीआरसीपी-एसपी	संचालन, जोखिम, अनुपालन और निष्पादन-सेवा प्रदाता
एचओएफ	परिवार मुखिया
एचक्यू	मुख्यालय
एचआर	मानव संसाधन
एचआरडी	मानव संसाधन विकास
एचटीएमएल	हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज
आईएएस	भारतीय प्रशासनिक सेवा
आईबीए	भारतीय बैंक एसोसिएशन
आईसीसी	आंतरिक शिकायत समिति
आईसीटी	सूचना व संचार तकनीक
आईडी	पहचान दस्तावेज़

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
आईईसी	सूचना, शिक्षा और संचार
आईएफएससी	भारतीय वित्त व्यवस्था संहिता
आईआरडीए	बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण
आईएसओ	अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
आईटीआर	आयकर रिटर्न
आईवीआर	इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस
आईवीआरएस	परस्पर स्वर प्रतिक्रिया प्रणाली
जेएएम	जन-धन आधार और मोबाइल
जेडब्लूजी	संयुक्त कार्य समूह
केएम पोर्टल	ज्ञान और प्रबंधन पोर्टल
केयूए	ई-केवाईसी प्रयोक्ता एजेंसी
केवाईसी	अपने ग्राहक को जानो
एलएमएस	लर्निंग प्रबंधन प्रणाली
एलपीजी	रसोई गैस
एमईए	विदेश मंत्रालय
एमईआईटीवाई	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
मनरेगा	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना
एमएचए	गृह मंत्रालय
एमएलए	विधान सभा सदस्य/विधायक
एमएलसी	विधान परिषद सदस्य
एमओआरडी	ग्रामीण विकास मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमओडब्लूसीडी	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एमपी	संसद सदस्य/सांसद
एमपीएलएस	मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग
एमएसडी	माइक्रोसॉफ्ट गतिशीलता
एमएसपी	प्रबंधित सेवा प्रदाता
एनबीएफसी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
एनसीआईआईपीसी	राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र
एनपीसीआई	भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
एनआईएसजी	नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गर्वमेंट
एनआईटीआई	नेशनल इंस्टीट्यूषन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया
एनपीआर	राष्ट्रीय जनसंख्या पंजिका
एनआरआई	अनिवासी भारतीय
ओएसी	आधार आदेश कार्ड
ओएआर	आधार आदेश पुनर्मुद्रण
ओसीआई	विदेश में रह रहे भारतीय नागरिक
ओटीपी	एकल समय पासवर्ड
ओएस	ऑपरेटिंग सिस्टम
पी2पी	प्वाइंट टू प्वाइंट
पी2पी	पर्सन टू पर्सन
पीएसी	लोक लेखा समिति
पहल	प्रत्यक्ष हस्तांतरण लाभ
पैन	स्थायी खाता संख्या
पीबीएक्स	निजी शाखा विनिमय
पीसीएच	प्लेटफार्म नियंत्रक केंद्र
पीडीएफ	पोर्टेबल दस्तावेज फार्मेट
पीडीएस	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
पीईसी	स्थायी नामांकन केंद्र
पीएफआरडीए	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
पीओए	पते का प्रमाण
पीओआई	पहचान का प्रमाण
पीओएसएच	यौन उत्पीड़न की रोकथाम
पीओआर	रिश्ते का प्रमाण
पीएमएलए	मनी लॉंड्रिंग निवारण अधिनियम
पीएम	प्रधान मंत्री

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
पीएमजेएवाई	प्रधानमंत्री जन अरोग्य योजना
पीएमओ	प्रधानमंत्री कार्यालय
पीएसबी	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
पीएण्डटी	डाक और दूरसंचार
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
पीवीसी	पोलीविनाइल क्लोराइड
क्यूआर	त्वरित प्रतिक्रिया
आरएएस	त्वरित मूल्यांकन व्यवस्था
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरडी	पंजीकृत उपकरण
आरई	संशोधित अनुमान
आरएफपी	प्रस्ताव के लिए अनुरोध
आरजीआई	भारत के महापंजीयक
आरकेवीवाई	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
आरओ	क्षेत्रीय कार्यालय
आरआरबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरटीआई	सूचना का अधिकार
एसईबीआई	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एसईडी	राज्य शिक्षा विभाग
एसआईएम	उपभोक्ता पहचान मॉड्यूल
एसएमएस	लघु संदेश सेवा
एसएसएलसी	माध्यमिक स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र
एसएसयूपी	स्व सेवा अद्यतन पोर्टल
एसआरटी	मानक प्रतिक्रिया टेम्पलेट
एसटीक्यूसी	मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाण पत्र
टीसीए	परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी
टीईई	विश्वसनीय निष्पादन पर्यावरण
टीपीडीएस	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
यूआई	उपयोगकर्ता इंटरफेस

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
यूआईडी	विशिष्ट पहचान
यूआईडीएआई	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
यूआरएन	अद्यतन अनुरोध संख्या
यूटी	संघ राज्य-क्षेत्र
यूएक्स	उपयोगकर्ता अनुभव
वीआईडी	वर्चुअल आईडी
डब्ल्यू3सी	वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम
एक्सएमएल	एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज

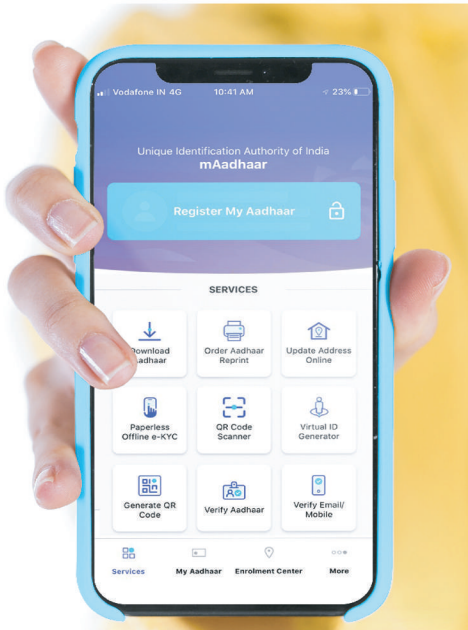

mआधार ऐप

में नई आधार सेवाएं

डाउनलोड करें

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

आधार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

बंगला साहिब रोड, गोल मार्केट,
नई दिल्ली–110001